बुधवार
25 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १——प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
3-4-97
Fumigated
On 24/1/97
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२६७ और १२६९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

पृष्ठ

अंक ५८—गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ — २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९३, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ — २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका — २३१९–२०

अंक ५९—शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४६ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ — २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ — २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ — २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका — २३५५–५६

अंक ६०—सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण — २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ — २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका — २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा

बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

लोक सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छावनी की जमीन

*१७१८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ दिसम्बर १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनियों की जमीन सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर अब कुछ निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) आखिरी फैसला अभी तक भी नहीं किया जा सका है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : आज से कई महीने पहले यानी ४ अगस्त, १९५५ को प्रतिरक्षा मंत्री डा० काटजू ने यह बताया था कि इस सम्बन्ध में कुछ नया मसाला जमा किया जा रहा है और मुख्तलिफ कैंटोनमैंट्स की पोजीशन जानने के लिए एक सर्वे हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या देरी का कारण यही है कि अभी तक आंकड़े जमा नहीं हुए हैं या कोई और वैधानिक अड़चन है या कोई दूसरी दिक्कतें हैं ?

सरदार मजीठिया : ऐसी कोई कठिनाई नहीं है पर कुछ जानकारी पाना आवश्यक हो जाता है । उदाहरणार्थ पहले दी गई जमीन की शर्तों के अनुसार दिये गये भूमिखंडों की संख्या, पहले दी गई जमीन की शर्तों के अनुसार दिये गये भूमिखंडों की संख्या जिन पर भवन बनाये गये हैं छावनी के पुराने पट्टों पर दिये गये भूमिखंण्डों की संख्या आदि आदि कुल नौ मदों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जानी है । ये सब आंकड़े बड़े पेचीदे हैं । और अंतिम निश्चय करने से पहले इन्हें इकट्ठा करना आवश्यक है । इसी कारण देरी हुई है परन्तु मैं सभी को आश्वासन देता हूं कि लगभग ४-५ महीनों में हम निश्चय रूप से सब बातों के बारे में अंतिम निर्णय कर लेंगे ।

*मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि माननीय त्यागी जी ने यह आश्वासन दिया था कि इसमें बहुत जल्दी कीं जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के यहां बहुत जल्दी की परिभाषा क्या है ?

†**श्री सी० डी० पांडे** : यथासंभव शीघ्र की क्या परिभाषा है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं परिभाषा नहीं दे सकता । जैसा कि सभी को और विशेषरूप से आपको ज्ञात है पिछले दो तीन वर्षों में मुख्य कठिनाई यह थी कि हमारे आधारभूत संयंत्रों के स्थान के बारे में कुछ स्पष्ट कारणों से स्थिति अंतिम रूप से तय नहीं की गई थी और इसीलिये इस विषय में देरी हुई । वह समस्या अन्य समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण थी ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : बहुत सी छावनियां उजड़ गई हैं । अल्मोड़ा की मेरी सुन्दर छावनी उजड़ गई है । जो पहले एक सुन्दर बाग और रमणीय स्थान था वह आज मरुस्थल बन गया है । इनके पुनःसंस्थापन के प्रश्न पर कब विचार किया जायगा ।

†**सरदार मजीठिया** : इसमें संशय नहीं कि अल्मोड़ा छावनी बहुत सुन्दर स्थान है ।

†**श्री बंसल** : और रानीखेत ?

†**सरदार मजीठिया** : कृपया एक बार में एक प्रश्न पूछिये । वह सुन्दर स्थान है परन्तु इतनी दूर है और आवागमन में इतनी कठिनाई है कि उस छावनी का एक दम पुनःसंस्थापन करने के बारे में मैं नहीं सोच सकता ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : यदि वहां रेजीमेंट नहीं रखा जायगा तो वह क्षेत्र असैनिक पदाधिकारियों को हस्तान्तरित किया जा सकता है ।

†**सरदार मजीठिया** : इस पर विचार किया जायगा ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : यद्यपि मैसूर सरकार और निगम ने बारबार प्रार्थना की है फिर भी बंगलौर नगर के मूल छावनी क्षेत्र में सैनिकों द्वारा अधिकार में ली गई भूमि निगम को वापस क्यों नहीं दी जा रही है ?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये । यह किसी एक विशेष मामले के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह निजी मामला है ।

†**श्री बंसल** : क्या मंत्री महोदय को स्मरण है कि उन्होंने सभा में वचन दिया था कि छावनी विधि का संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधेयक शीघ्र ही सभा के समक्ष लाया जायगा और यदि हां तो उसके बारे में ये क्या कर रहे हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

सम्पदा शुल्क

*१७१९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ और १९५५ में बिहार के विभिन्न जिलों में सम्पदा शुल्क के रूप में पृथकपृथक कितनी राशि वसूल की गई ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया ह जिसमें बताया गया है कि १९५४ और १९५५ में बिहार के विभिन्न जिलों में कितना सम्पत्ति शुल्क इकट्ठा हुआ [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : इस विवरण को देखने से पता चलता है कि बिहार के १७ जिलों में से केवल आठ का ही हिसाब दिया गया है। इनमें से भी सारन जिले में ही केवल ८०७ रुपये १९५४ में सरकार को मिले। १९५५ में सरकार को इन आठ जिलों से जिन का वर्णन इस स्टेटमेंट में किया गया है कुल ३४,५३१ रुपये प्राप्त हुए। मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरे जिले म एक वितिया महारानी मर गई है और उनके मरे एक साल हो गया है और वह लाखों की सम्पत्ति छोड़ गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का डिपार्टमेंट इस विषय में क्या कर रहा है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यदि यह विषय वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाया जाय तो हम जांच करेंगे और पता लगायेंगे कि सम्पदा शुल्क के भुगतान के बारे में क्या कोई अपवंचन हुए हैं। जितने मामले पंजी-बद्ध किये गये थे उनकी जांच की जा चुकी है। यह जांचने के लिये कि मृत व्यक्तियों ने कर-देय सम्पत्ति छोड़ी थी अथवा नहीं हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। यदि लेखा करने वाले व्यक्ति इसका ब्यौरा नहीं देते तो हम कार्यवाही करते हैं।

यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई मामला ध्यान में हो तो वे उसे हमारे पास भेजें; जिससे कि हम उसकी जांच करें और सम्पदा शुल्क से राजस्व बढ़ाने के लिये कार्यवाही करें।

†**श्री भागवत झा आजाद** : विवरण से पता चलाया है कि पिछले दो वर्षों में इकट्ठी की गई राशि ३४ हजार से कम थी। ऐसा मृत्यु दर घटने से अथवा सदाचार में कमी होने से अथवा अदक्षता के कारण हुआ ?

†**श्री एम० सी० शाह** : कर केवल ऐसे लोगों से उत्तराधिकारियों से वसूल किया जा सकता है जो कर-देय सम्पत्ति छोड़ जाते हैं। कारण यह है कि उस कालावधि में बहुत कम लोगों ने ऐसी सम्पत्ति छोड़ी जिस पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सके। विमुक्ति खंडों के कारण जिस के अनुसार वैयक्तिक मामलों में एक लाख और संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवारों में ५० हजार की छूट है। ऐसा हुआ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : कार्य की गति में कमी और इकट्ठी की गई कम राशि का कारण क्या यह है कि इस काम के लिये विशेष कर्मचारी नहीं हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं प्रश्न नहीं समझा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या पर्याप्त कर्मचारियों की कमी के कारण कम राशि इकट्ठी की गई।

†**श्री एम० सी० शाह** : जी नहीं, कर्मचारी पर्याप्त हैं उनकी कमी के कारण ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि बहुत कम व्यक्ति सम्पत्ति छोड़कर मरे इसलिये ऐसा हुआ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सम्पदा शुल्क की जल्दी से जल्दी वसूली करने के बारे में गवर्नमेंट क्या उपाय कर रही है ? मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वितिया महारानी जो मर गई है, उनका ७० लाख रुपया अभी भी बैंक में जमा पड़ा है।

†**श्री एम० सी० शाह** : यदि माननीय सदस्य हमें जानकारी भेजेंगे तो हम उनके बहुत अनुगृहीत होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने ७५ लाख की सम्पत्ति छोड़ी है। यदि यह सच हुआ तो उस सम्पत्ति पर जो कि मृत-व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के पास है हम अवश्य कर लगायेंगे। अभी तक हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।

तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय

†**१७२०. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में हाल ही में बनाये गये तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय के लिये कितने शाखा कार्यालय खोले गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि आसाम को छोड़कर भारत के अन्य भागों में उपरिभूमि से यह पता नहीं चलता कि वहां तेल पाया जायगा;

(ग) क्या तेल की गवेषणा के लिये कोई विशेष भूभौतिकी रीति अपनाई जायगी; और

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस निदेशालय के लिये कितनी राशि नियत की जायगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) शाखा कार्यालय खोलने के लिये अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) जहां तक निश्चित जानकारी का सम्बन्ध है ज्वालामुखी में उपरिभूमि से भी इसका पता चलता है ।

(ग) भूभौतिकी खोज की समस्त प्रमापी रीतियां जिनमें चुम्बकीय, गुरुत्वाकर्षणीय, भूकम्पीय और विद्युतीय, रीतियां शामिल हैं, प्रयोग की जायेंगी ।

(घ) तीस करोड़ ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रूसी तेल खोज विशेषज्ञों ने देश छोड़ने से पहले कोई प्रतिवेदन दिया है और यदि हां तो क्या उसमें भूभौतिकी की ओर कोई इशारा किया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : रूसी विशेषज्ञ इस देश से कल शाम को चले गये । उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया है और उस प्रतिवेदन पर उनके साथ बहुत बार चर्चा हुई है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या सरकार देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने और प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करने का विचार रखती है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी हां । तेल खोज कार्यक्रम की दृष्टि से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने का विचार है । उन सब बातों पर तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय विचार कर रहा है ।

†**श्री बंसल** : क्या रूसी विशेषज्ञ विस्तृत नक्शे और चार्ट छोड़ गये हैं जिनमें बताया गया हो कि देश के किन-किन भागों में तेल पाया जाता है । उन्होंने कौन से क्षेत्र दर्शाये हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इतने कम समय में उन क्षेत्रों के विस्तृत नक्शे बनाना, जहां तेल पाया जाता है, किसी भी तेल विशेषज्ञ के लिये सम्भव नहीं था । परन्तु निश्चय ही ऐसे बहुत अच्छे नक्शे हैं जहां पर वे क्षेत्र बताये गये हैं जहां कि भूमि रचना अनुकूलतम है और जहां विस्तृत जांच की आवश्यकता है ।

†**श्री बंसल** : उन्होंने मेरे प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर नहीं दिया । वे क्षेत्र कौन-कौन हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य को बहुत सी विस्तृत बातें पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती । अन्य बातें भी हैं ।

†**श्री बंसल** : यह वही प्रश्न है ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या आसाम में, जहां तेल पाया जाता है, एक शाखा कार्यालय खोला जायगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : आसाम के तेल के बारे में आसाम तेल समवाय काम कर रहा है । प्रस्ताव भारत सरकार के साथ एक संयुक्त समवाय बनाने का है । भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला खोज कार्यक्रम आसाम पर लागू नहीं होगा ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या रूसी विशेषज्ञों ने बताया है कि दक्षिणी भारत के पूर्वी तट में एक स्थान पर भूमि के ऊपर तेल पाये जाने के चिन्ह दिखाई दिये थे ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आंध्र के

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुत से क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाये जाने का समाचार है, क्या निदेशालय वहां पर अपनी एक शाखा स्थापित करेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : "भूमि के ऊपरी चिन्ह" पारिभाषिक पद हैं । इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं होता कि वहां से गैस अथवा तेल निकलता है । जहां तक गैस अथवा तेल का सम्बन्ध है निश्चित जानकारी यह है कि ज्वालामुखी और अन्य एक दो स्थानों में ये पाये जाते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से तेल अथवा प्राकृतिक गैस न हो अपितु केवल कोयले की गैस हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दें ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : अभी ऐसा करना समय से बहुत पहले होगा ।

भारतीय असैनिक सेवा

*१७२१. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एक उच्च स्तरीय आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो भारतीय असैनिक सेवा के संगठन, उद्देश्य और अन्य विषयों की जांच करेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी नहीं । सेवाओं के संगठन और अन्य विषयों के बारे में सरकार का मत गृह-कार्य मंत्री ने गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की चर्चा के दौरान में व्यक्त कर दिया है ।

†**श्री राधा रमण** : इस विषय पर पहले एक गैर सरकारी संकल्प के सम्बन्ध में इस सभा द्वारा व्यक्त किये गये मत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार निकट भविष्य में इस विषय में कोई कार्यवाही करेगी यद्यपि उस समय सरकार ने उच्च स्तरीय आयोग स्थापित करने का विरोध किया था ?

†**श्री दातार** : गृह-कार्य मंत्री ने यही बात स्पष्ट कर दी है । उन्होंने कहा था कि वे एक समिति नियुक्त करने का विचार रखते हैं क्योंकि आयोग स्थापित करने में अधिक समय लगेगा । इस समिति के निर्देश पद आदि के बारे में विस्तृत बातें विचाराधीन हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या ऐसा आयोग अथवा समिति स्थापित करने से पूर्व क्या राज्य सरकारों की मंत्रणा ली जायेगी और उनसे राय मांगी जायेगी ?

†**श्री दातार** : ऐसी समिति बनाने के औचित्य के बारे में राज्य सरकारों से मंत्रणा ली जायगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : सरकार कब तक घोषणा कर सकेगी । क्या मंत्री इसके बारे में कोई संकेत देंगे ?

†**श्री दातार** : अभी यह कहा नहीं जा सकता । सम्भवतः अगले तीन महीनों में संकेत दिया जा सके ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी सरकार समाजवादी ढांचे पर देश को ले जा रही है, क्या सरकार इस तरह की कोई अपील निकाल रही है कि आई० सी० एस० का परसोनेल खुद ब खुद अपनी तनख्वाहों में कमी करे ?

श्री दातार : सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय असैनिक सेवा पदाधिकारियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य में वे कितने हैं ?

†**श्री दातार** : मैं सोचता हूं कि लगभग ३०० पदाधिकारी हैं । मैं इस समय अलग-अलग आंकड़े नहीं दे सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में तेल के कुएं

†*१७२२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तेल के कुएं खोदने का कार्य इस वर्ष पूरा हो जायगा; और

(ख) यदि हां तो क्या चालू वर्ष में तेल उत्पादन आरम्भ हो जायगा ।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) तथा (ख). जब तक किसी क्षेत्र के किसी भाग में तेल पाने के चिन्ह प्रतीत होंगे तब तक तेल के कुएं खोदने का कार्य जारी रहेगा । खुदाई के परिणामस्वरूप नाहौरकटिया के क्षेत्र में तेल निकलने लगा है । और पुराने डिगबोई क्षेत्र के साथ ही साथ इससे भी उत्पादन होने लगा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस समय कितने तेल के कुओं में कार्य हो रहा है ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : नये क्षेत्र में अब तक १६ अथवा १७ तेल के कुएं खोदे गये हैं । परन्तु जिस क्षेत्र में आसाम तेल समवाय को खोदने का पट्टा मिला है कम तेल के कुएं खोदे गये हैं । परन्तु खोदने के पट्टे के क्षेत्र से भी तेल पैदा किया जा रहा है ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि समवाय ने इन तेल के कुओं के बारे में प्रतिकर मांगा है, क्योंकि सरकार ने उस समवाय में जो इन कुओं से तेल निकालेगी उससे ५१ प्रतिशत अंश मांगे हैं ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : आसाम तेल समवाय द्वारा प्रतिकर मांगे जाने का कोई प्रश्न नहीं है । समस्त क्रम को एकीकृत करने के बहुत से प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है । एक प्रश्न वहां पाये जाने वाले क्रूड आइल का मूल्य आंकने के बारे में है ।

†**श्री पी० सी० बोस** : क्या यह सच है कि आसाम में पाये गये नये तेल को निकालने के कार्य में बाधा पहुंची है और विलम्ब हुआ है क्योंकि सम्बन्धित समवाय के साथ रुपये की पूंजी वाला समवाय नहीं बनाया जा सका है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : नये स्थानों में तेल पाये जाने के परिणामस्वरूप हुई तेल की मात्रा में वृद्धि के बारे में क्या माननीय मंत्री कुछ संकेत दे सकते हैं ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : तेल की मात्रा का निर्धारण करना बहुत कठिन है । परन्तु भूतत्ववेत्ताओं ने कतिपय अनुमान लगाये हैं । छोटे क्षेत्रों में से एक में वे अब तेल की मात्रा निर्धारण करने में लगे हुए हैं और ज्यों ही वे कोई ठोस आंकड़े बतायेंगे, मैं सभा को बता दूंगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या आसाम तेल समवाय के अतिरिक्त कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी इन क्षेत्रों में गये हैं ? यदि हां तो उनके प्रतिवेदन क्या हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, हां अन्य विशेषज्ञ भी आसाम के क्षेत्र में गये हैं । उनका निर्धारण और जो कार्य वे कर रहे हैं उसका मूल्यीकरण बहुत अच्छा है ।

भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*१७२४. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य की खनिज सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में भूतत्व तथा खान के निदेशालय द्वारा अब तक एकत्र किये गये आंकड़ों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन सम्बन्धित क्षेत्रों में एक विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का विचार है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**:(क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश के भूतत्व तथा खान के निदेशालय ने अभी कार्य आरम्भ ही किया है । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण को अभी तक निदेशालय से कोई ऐसा प्रतिवेदन या कार्यक्रम नहीं मिला जिसमें उसके द्वारा एकत्र किये गये उत्तर प्रदेश की खनिज सम्पत्ति सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हों । उत्तर प्रदेश में समन्वित कार्य करने के लिये दोनों संस्थाओं में चर्चा हो चुकी है । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कुछ खान सम्बन्धी तथा अन्य अनुसंधान करने की योजना बनाई है ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : क्या इस वर्ष कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी हां । समय समय पर उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों में खान सम्बन्धी खोज का कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस वर्ष का कार्यक्रम पूरा हो गया है और अब हम एकत्रित जानकारी का निर्वाचन करेंगे ।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : इस सम्बन्ध में कि इस खान में कार्य किया जाये अथवा अन्य में, प्राथमिकता का निर्णय कौन मंत्रालय करता है ? क्या यह प्राकृतिक संसाधन और गवेषणा मंत्रालय है अथवा कोई अन्य मंत्रालय ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : खान खोजने का कार्य प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का नहीं है । जहां तक गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है वे लोग राज्य सरकारों को पट्टे के लिए आवेदन पत्र देते हैं और बाद में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके किसी विशेष खान में काम करने की सहमति दे देते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना अलग जिओलौजिकल सर्वे डिपार्टमेंट (भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग) खोला है उसको केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार की सहायता दे रही है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मांग की है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जिओलौजीकल डिपार्टमेंट खोला, उस समय उन्होंने हम से सलाह मशविरा किया था और हम ने उनको हर प्रकार से सहयोग दिया और सहायता का वचन दिया । पारसाल नैनीताल में इस सम्बन्ध में एक कान्फ्रेंस (सम्मेलन) भी हुई थी, हमारे विशेषज्ञों और उनके बीच में एक प्रोग्राम तय किया गया था और उसी के अनुसार वे गालिबन (संभवत:) काम कर रहे हैं ।

विदेशी पत्रिकाएं

†*१७२७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी पत्रिकाओं के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक भारत में विज्ञापन लेने की अनुज्ञा दी गई है;

(ख) क्या विज्ञापनों से अर्जित आय भारत से भेजी जाती है;

(ग) भारत से विज्ञापन प्राप्त करने के लिये अनुज्ञा देते समय क्या कुछ शर्तों का उपबन्ध किया जाता है;

(घ) यदि हां तो क्या अब तक प्रत्येक मामले में इस सम्बन्ध में दी गई शर्तों और प्रतिज्ञाओं को पूरा किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) केवल रीडर्स डाइजेस्ट एक विदेशी पत्रिका है जिसे भारत से विज्ञापन प्राप्त करने की सामान्य अनुज्ञा दी गई है ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) केवल यह शर्त थी कि विज्ञापन आय भारत से बाहर भेजने की अनुज्ञा नहीं मांगी जायेगी ।

(घ) हां श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को कुछ पता है कि भारत से विज्ञापन प्राप्त करके इस पत्रिका को कितनी धनराशि मिलती है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : विज्ञापन की आय या कि चन्दा ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : केवल विज्ञापनों की आय ।

†**श्री बी० आर० भगत** : उनके पास उनके लेखे हैं जो वहां के निवासी नहीं हैं और यह राशि २ लाख रुपये से अधिक होती है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को यह विदित है कि यद्यपि उन्हें भारत से विज्ञापन प्राप्त करने की रियायत दी गई है, रीडर्स डाइजेस्ट का मूल्य इंग्लैण्ड में १ शिलिंग ६ पैंस अर्थात् १-२-० रुपया है जबकि उसकी प्रति भारत में १-८-० रुपये में बिकती है ।

†**श्री बी० आर भगत** : जी हां; वार्षिक चन्दा केवल १२ रुपये है परन्तु यदि आय एक प्रति खरीदें तो इस का मूल्य १-८-० रुपये है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को विदित है कि भारत में कोई अन्य प्रकाशक इस पत्रिका को भारत में प्रकाशित करने का अधिकार अमरीकी प्रकाशकों से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मुझे इसका पता नहीं, परन्तु माननीय सदस्य यह प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पूछें ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा की भारतीय परिषद्

†*१७३०. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा की परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा कौन करता है;

(ख) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इन की लेखा परीक्षा का अधिकार है अथवा वह इन की सहमति पर लेखा परीक्षा कर सकता है;

(ग) क्या इन से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रखे जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जैसा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् के नियमों और उपनियमों में उपबन्धित ह, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, करता है ।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् के लेखों की परीक्षा करने का अधिकार है जब कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के लेखों की परीक्षा वह सहमति के आधार पर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के मामले में लेखा परीक्षा सहमति के आधार पर की जाती है; अतः उस का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस समय संसद् के समक्ष नहीं रखा जाता । कृषि गवेषणा संस्था की भारतीय परिषद् के नियमों के अनुसार संस्था के लेखा परीक्षा किये गये लेखों को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखने की आवश्यकता है और वह किया जाता है ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : यह लेखा परीक्षा सहमति के आधार पर की जाती है न कि संविहित नियमों के आधार पर, इसलिये इसके वित्तीय मामलों पर संसद् का नियंत्रण कैसे किया जाता है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यह स्वायत्तशासी निकाय हैं और उनके नियमों में इसका उपबन्ध है । जब तक संसद् विधि पारित न करे, यह नहीं किया जा सकता ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : इस त्रुटि को ध्यान में रखते हुए इसका संविहित आधार बनाने का कोई विचार है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : वित्त मंत्रालय को एक प्रस्थापना भेजी गई है कि इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जाये ।

†**श्री वी० पी० नायर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत की संचित निधि से व्यय की गई राशियों के लेखों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है । संस्था की सहमति का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है जब वह राशि भारत की संचित निधि में से व्यय की जाती है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : क्योंकि ये स्वायत्तशासी निकाय हैं इनके लेखों की लेखा परीक्षा सहमति के आधार पर ही हो सकती है । मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मेरा प्रश्न यह नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य नियमों का निर्वचन चाहते हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : यह प्रश्न निर्वचन का नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी व्यक्ति को कोई राशि संचित निधि में से दान के रूप में दी जाती है तो क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक जाकर लेखा परीक्षा कर सकता है, यह निर्वचन सम्बन्धी प्रश्न है । मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

†**श्री वी० पी० नायर** : यह निर्वचन का प्रश्न नहीं है यह तो तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है ।

कल्याण विस्तार योजनायें

*१७३१. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कल्याण विस्तार परियोजनाओं के खोलने के लिये कुल कितनी अनुमानित राशि व्यय की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : लगभग १५·९ करोड़ रुपये ।

†**श्री अमर सिंह डामर** : दूसरी पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिये मध्य भारत के लिये कितनी धन राशि रखी गई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अमर सिंह डामर : अभी तक इस कार्य पर समूचे देश में कितनी धन राशि व्यय हुई है ?

†**डा० एम० एम० दास :** यह प्रश्न अगली पंच वर्षीय योजना में व्यय की जाने वाली अनुमित राशि के सम्बन्ध है। दूसरी योजना अभी आरम्भ हुई है और अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया।

श्री अमर सिंह डामर : मेरा पहला प्रश्न यह था कि मध्य भारत के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी धनराशि रखी गई है ?

†**डा० एम० एम० दास :** मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** मुझे आश्चर्य है कि माननीय सभा सचिव ने प्रश्न पढ़ा ही नहीं है। प्रश्न का सम्बन्ध व्यय की जाने वाली कुल अनुमित राशि से है। अलग अलग आंकड़ों का प्रश्न नहीं है। कुल कितनी राशि व्ययं की जानी है।

†**डा० एम० एम० दास :** उत्तर में वह बताई जा चुकी है। कुल राशि लगभग १५·९ करोड़ रुपये है।

मछली टेक्नालोजी का विकास

†*१७३२. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य टेक्नालोजिकल गवेषणा संस्था मैसूर ने मछली टेक्नालोजी के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां तो क्या कोई प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना है; और

(ग) यह प्रयोगशाला कहां स्थापित होगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग). केन्द्रीय खाद्य टेक्नालोजिकल गवेषणा संस्था ने विभिन्न भारतीय मछलियों को डिब्बों में बन्द करने, ताजा मछलियों को प्रशीत भंडार में रखने, मछलियों के उपोत्पाद के प्रयोग और अन्य सम्बन्धित विषयों और मछली टेक्नालोजी पर गवेषणा करने की योजना बनाई है। इस प्रयोजन के लिये एक उप-केन्द्र स्थापित करने का विचार है, जिस के लिये स्थान का निश्चय अभी नहीं किया गया।

भारत सरकार इस प्रस्थापना पर भी विचार कर रही है कि मछली टेक्नालोजी के विभिन्न पहलुओं पर गवेषणा आरम्भ करने के लिये पश्चिम तट पर एक टेक्नालोजीकल केन्द्र स्थापित किया जाये।

†**श्री शिवनंजप्पा :** इस प्रस्थापना को कार्यान्वित या लागू करने के कार्य पर लगभग कितना व्यय होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जहां तक इस संस्था का सम्बन्ध है, यह वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् है; पूंजीगत और आवर्तक व्यय क्रमशः १ लाख रुपये और ३२ लाख रुपये प्रति वर्ष होगा।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** माननीय मंत्री ने बताया है कि पश्चिमी तट पर एक प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। पूर्वी तट के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** विभिन्न राज्य सरकारें मछली टेक्नालोजी की गवेषणा का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और उन की अपनी प्रयोगशालाएं हैं। कुछ स्थानों पर इन में वृद्धि मात्र करनी है, यह आवश्यक समझा गया है कि हम कुछ और गवेषणा केन्द्र खोलें और परिषद् ने पश्चिमी तट पर एक केन्द्र खोलने की प्रस्थापना रखी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामोदर मेनन :** पश्चिमी तट पर किस स्थान पर यह गवेषणा केन्द्र खोला जाना है।

†**श्री के० डी० मालवीय :** स्थान का अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ।

†**श्री दामोदर मेनन :** मैं सुन नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया।

†**श्री वी० पी० नायर :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि त्रावणकोर-कोचीन और मलाबार जिला में पनडुब्बियों के मीन-क्षेत्र बहुत विकसित हैं और कलामसरे में एक संस्था है जहां मछली टेक्नालोजी का पाठ्यक्रम है, क्या सरकार ने इस विशेष संस्था का इस प्रकार विस्तार करने की आवश्यकता पर विचार किया है जिस से यह विचाराधीन संस्था भी इसी के अन्तर्गत आ जाये ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जैसा मैंने बताया और जैसा कि माननीय सदस्य को पता है त्रावणकोर कोचीन में मछली टेक्नालोजीकल प्रयोगशाला में कार्य संतोषजनक रूप से हो रहा है और वहां मछली पकड़ने आदि के ढंगों, मछली के तेल के निर्माण और मछलियों में नमक मिलाकर उन्हें सुखाने तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के उपयुक्त ढंग में सुधार करने का कार्य किया जा रहा है। मंडपम में भी कतिपय और अनुसंधान हो रहे हैं। मेरा अनुमान है कि काफी काम हो रहा है। अतः हम ने यह प्रयोगशाला कहीं और स्थापित करने का विचार किया है ।

†**श्री वी० पी० नायर :** माननीय मंत्री कहते हैं .....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं। वे यह बातें घुमाव के साथ कह रहे हैं।

†**श्री वी० पी० नायर :** मैंने दूसरे स्थान का उल्लेख किया था जहां एक संस्था है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री का कहना है कि वह उसे कहीं और स्थापित करना चाहेंगे। माननीय सदस्य को कुछ सुझाव देने की अनुमति दी गई है किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वे उस आधार पर सुझाव दें और माननीय मंत्री से इस बात पर आग्रह करें कि उनके सुझाव स्वीकार किये जायें।

सरकारी कर्मचारियों की गुप्त रिपोर्टें

†*१७३४. **श्री नम्बियार :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के कर्मचारियों की गुप्त रिपोर्टें सरकार के विभिन्न कार्यालयों में रखी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह प्रथा कब से प्रचलित है; और

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति, पदावनति आदि इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर होती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकारी कर्मचारी के चरित्र की सरकार द्वारा निगरानी करने के अतिरिक्त, गुप्त रिपोर्ट में उसकी योग्यताएं और कमियां भी दी रहती हैं।

(ग) यह प्रथा बहुत समय से चली आ रही है।

(घ) हां। सरकारी कर्मचारी का रिकार्ड रखना एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर सामान्यतः ध्यान दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नम्बियार :** क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी गुप्त रिपोर्टों में दर्ज की गई बातें नहीं बताई जातीं ?

†**श्री दातार :** यह ठीक नहीं है। जब कभी उनके प्रतिकूल कोई बात दर्ज की जाती है, तो सामान्य नियम यह है कि प्रतिकूल टिप्पणी का सारांश सम्बन्धित कर्मचारी को बताया जाता है और यदि उसकी कोई जवाबतलबी होती है, तो वह प्रतिकूल टिप्पणी के साथ रखी जाती है।

†**श्री नम्बियार :** जो कुछ दर्ज किया जाता है उस सारी बात को न बता कर केवल सारांश देने का क्या कारण है ?

†**श्री दातार :** सारांश भी बहुत कुछ पूर्ण होता है।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या इससे पक्षपात नहीं होता है ? उदाहरणार्थ, उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जो ठीक एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की रिपोर्ट 'सन्तोषजनक' होगी; कुछ लोगों की 'अत्यन्त सन्तोषजनक' और कुछ अन्य लोगों की 'श्रेष्ठ' होगी और इसी से पक्षपात को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मैं यह भी कह सकता हूं ? मेरे मित्र के अनुपूरक प्रश्न का माननीय मंत्री का उत्तर यह था कि यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी होगी, तो उसे सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को बताया जायेगा किन्तु सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। जब विपरीत टिप्पणी दी जाती है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या हम संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं ? मैं इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं और कभी कभी माननीय मंत्री भी व्याख्या करने लग जाते हैं। मेरा काम यह देखना नहीं है कि प्रश्न उत्तर जानने के लिये पूछा जा रहा है अथवा सुझाव देने के लिये ? मुझे इस प्रकार के प्रश्न पर आश्चर्य होता है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** स्वतन्त्रता के पश्चात् उच्च पदाधिकारियों की सम्मति रिकार्ड करने के तरीके में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**श्री दातार :** पिछले वर्ष ही हमने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है जिसके अनुसार ये टिप्पणियां उस पदाधिकारी द्वारा की जायेंगी जिसके अधीन सरकारी कर्मचारी कार्य करता है, और उसके पश्चात् ही इस पदाधिकारी विशेष से उच्च पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

†**श्री कामत :** मैंने माननीय मंत्री को यह कहते सुना है कि किसी पदाधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी मिलने पर उसका जवाब तलब किया जाता है और फाइल में रखा जाता है। क्या इससे मैं यह समझूं कि जिस पदाधिकारी को प्रतिकूल टिप्पणी दी गई है, उसे उचित प्राधिकारियों के पास अभ्यावेदन करने और तत्पश्चात आवश्यक होने पर, उच्चतम प्राधिकारी के पास भी अभ्यावेदन करने का अवसर नहीं दिया जाता है ?

†**श्री दातार :** उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है। गुप्त रिपोर्ट होती है जिसमें प्रतिकूल टिप्पणी और उसका स्पष्टीकरण रहता है। दोनों चीजों पर विचार किया जाता है और उसे शिकायत तभी हो सकती है जबकि या तो उसकी पदोन्नति न की जाये अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाये। इसके पश्चात् उसे भी अवसर दिया जाता है .....

†**श्री कामत :** यदि वह फाइल से प्रतिकूल टिप्पणियाँ निकलवाना चाहे, तो उसे ऐसा करने के लिये अभ्यावेदन करने का अधिकार नहीं है ? यह अधिकार उसे दिया जाना चाहिये; जो अभी तक नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा किया जाता रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** बहुत कुछ हद तक हम अंग्रेजों की नीति का पालन कर रहे हैं। हाल ही में हमने अन्य देशों की नीति का भी पालन करना शुरू कर दिया है, अतः हमारा तरीका पूर्णतः अद्यतन है।

†**श्री कामत :** मुझे आश्चर्य है।

†**श्री नम्बियार :** सरकार का "गुप्त फाइलों से पता लगाने" का क्या तात्पर्य है ?

†**श्री दातार :** जब कभी ऐसे पदाधिकारी की उपयुक्तता अथवा अन्यथा किसी चीज का पता लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी गुप्त फाइल की सारी टिप्पणियों पर विचार किया जाता है, केवल यदा-कदा की गई टिप्पणियों पर नहीं अपितु कई वर्षों की टिप्पणियों पर विचार किया जाता है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या सरकार को विदित है कि इस पद्धति के कारण बहुत से पदाधिकारी, जो १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन तथा अन्य ऐसे ही आन्दोलन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार रखते थे, अब भी इसके शिकार बने हुए हैं ?

†**श्री दातार :** राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति के शिकार बनने की बात मुझे मालूम नहीं है। वास्तव में ऐसे लोगों को तो हम ने कुछ छूटें दी हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** मेरा प्रश्न यह था कि बहुत समय से जो पद्धति चली आ रही है, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले बहुत से पदाधिकारियों को अब भी हानि उठानी पड़ रही है ?

†**श्री दातार :** मुझे हानि उठाने वाले ऐसे किसी मामले के बारे में जानकारी नहीं है।

आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण

†*१७३६. **श्री कामत :** क्या **विधि** मंत्री ९ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा १ से १५ जनवरी, १९५२ के पखवारे में इतने कम अभियोगों का निबटारा करने के क्या कारण हैं ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिश्वास) :** यह आवश्यक नहीं कि आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी खास दिन जितने अभियोगों की सुनवाई हो उनका निर्णय और उस पर आदेश उसी दिन अथवा उसी मास में पारित किये जायें। न्यायाधिकरण की दिल्ली बेंच ने १ से १५ जनवरी, १९५२ के पखवारे (९ न्यायालय दिवसों) में ११८ अभियोगों की सुनवाई की और उसी काल में ३४ अभियोगों का निबटारा किया। इस बेंच द्वारा उक्त पखवारे में किये गये कार्य की जांच इससे करना चाहिये कि उसने कितने अभियोगों की सुनवाई की, अन्तिम रूप से निबटाये गये अभियोगों की संख्या से नहीं।

†**श्री कामत :** इस पखवारे में कितने दिनों न्यायाधिकरण ने अभियोगों की सुनवाई की ?

†**श्री बिश्वास :** मैं नहीं जान सका कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं। क्या वह यह जानना चाहते हैं कि पिछले पखवारे और उसके बाद के पखवारे में कितने अभियोगों की सुनवाई की गई ?

†**श्री कामत :** इस पखवारे में न्यायाधिकरण कितने दिन अभियोगों की सुनवाई के लिये बैठा ?

†**श्री बिश्वास :** १ से १५ जनवरी तक के पखवारे में नौ न्यायालय दिवस थे। मैं यह नहीं बता सकता कि ये नौ न्यायालय दिवस कौन-कौन से हैं।

†**श्री कामत :** एक न्यायालय दिवस कितना बड़ा होता है ?

†**श्री विश्वास :** न्यायालय दिवस वह दिवस है जिस दिन बेंच बैठती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किसी दिन अथवा न्यायालय दिवस को न्यायालय कितने घंटे बैठता है ।

†**श्री बिश्वास :** मैं समझता हूं कि सामान्य घंटे १०-३० से ५ तक हैं; समझा यह जाता है कि न्यायालय इतने घंटों तक बैठेगा ।

†**श्री कामत :** माननीय मंत्री ने कहा कि न्यायालय बैठा था । क्या इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधिकरण का सभापति भी बैठा था अथवा उसके अन्य सदस्य ही बैठे थे ?

†**श्री बिश्वास :** न्यायाधिकरण बैठता है । कभी कभी वह अपना निर्णय खुले न्यायालय में सुनाता है । अन्यथा निर्णय को सुरक्षित रख लेता है जिस पर विचार होता है और बाद में वह पारित किया जाता है ।

†**श्री कामत :** माननीय मंत्री ने मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुनी । क्या इन दिनों सभापति भी बैठे थे अथवा केवल अन्य सदस्य ही थे ?

†**श्री बिश्वास :** मैं नहीं जानता कि सभापति से मेरे माननीय मित्र का क्या तात्पर्य है । वास्तव में आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिये एक सभापति होता है । जबकि न्यायाधिकरण भिन्न भिन्न भागों और भिन्न भिन्न केन्द्रों में बैठता है । न्यायाधिकरण कहीं होता है जबकि उसका सभापति बम्बई में रहता है ।

†**श्री कामत :** मैं दिल्ली के बारे में बात कर रहा हूं ।

†**श्री बिश्वास :** यहां दो सदस्य हैं, एक न्यायिक व्यक्ति है और दूसरा लेखा सम्बन्धी । वे एक साथ बैठते हैं ।

†**श्री कामत :** मैं समझता हूं कि वहां गणपूर्ति नहीं होती ।

श्रवण सम्बन्धी यन्त्र

†*१७३७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी में बहरों की शिक्षा के बारे में हुई गोष्ठी ने विदेशों से भारत में आयात किये जाने वाले श्रवण सम्बन्धी यन्त्रों के लिये आवश्यक पुर्जों पर सीमा-शुल्कों और अन्य शुल्कों को समाप्त कर देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि गोष्ठी ने श्रवण सम्बन्धी यंत्रों के आवश्यक पुर्जों की छूट के लिये सिफारिश नहीं वरन् उसने इस बात की सिफारिश की है कि वैयक्तिक और वर्ग के श्रवण सम्बन्धी यन्त्रों को शुल्क से छूट नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश के जो बहरे भाई हैं उन की सहायता के लिये क्या शिक्षा मंत्रालय ने कोई ऐसा उपाय सोचा है जिस से उन के कान में लगाने वाला यंत्र उन को कम कीमत में मिले ।

†**डा० एम० एम० दास :** मुझे ठीक मूल्य नहीं मालूम है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्रालय ने वैयक्तिक श्रवण सम्बन्धी यंत्रों को पहले से ही छट दे रखी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो कीमत है, उसमें कितनी प्रतिशत कमी होगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस पर आयात शुल्क लगभग नहीं लगता है ।

हाकी का विकास

†*१७३८ **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हाकी के विकास के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) देश में खेलों के विकास के लिये सरकार के सामान्य शिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित खेलों में हाकी भी एक है ।

(ख) एक तीन सप्ताह का हाकी शिक्षण शिविर बम्बई में संगठित किया गया है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या प्रत्येक देश का राष्ट्रीय खेल होता है । और क्या सरकार ने हॉकी को भारतीय राष्ट्रीय खेल के रूप में विकसित करने के प्रश्न पर विचार किया है यदि नहीं तो कारण क्या है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस देश के राष्ट्रजनों द्वारा खेले गये इन खेलों का भेद मैं नहीं जानता । मैं सोचता हूं कि इस देश के राष्ट्रजन जिन खेलों में रुचि लेते हैं वे राष्ट्रीय खेल हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या समस्त विश्व में हॉकी के खेल में भारत श्रेष्ठ है यदि हां तो क्या सरकार इस खेल का विकास करने का विचार करेगी जिससे कि यह देहाती और शहरी क्षेत्रों में खेला जाय ।

†**डा० एम० एम० दास** : यह सर्वविदित है कि हम समस्त विश्व में हॉकी के खेल में अपनी श्रेष्ठता बनाये रख सके हैं । इसे भविष्य में बनाये रखने के लिये भी सरकार कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या हॉकी के विकास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये कार्य का सम्बन्ध स्तर बनाये रखने से भी है ? यदि हां तो इस ओलम्पिक वर्ष में जब हमें मैलबोर्न एक दल भेजना है सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि पहले का स्तर बना रहे ?

†**डा० एम० एम० दास** : ओलम्पिक खेलों के लिये अलग संगठन है जिसका नाम भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा ऐसा ही कुछ नाम है । यह आवश्यक कार्यवाही कर रही है । यदि वह सरकार से आवेदन करे तो वित्तीय सहायता देने के लिये तैयार है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : सभासचिव ने जो कुछ कहा है उससे क्या मैं यह समझूं कि यदि भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उसका कोई अंग अर्थात् भारतीय हॉकी फैडरेशन भारत सरकार से कोई आवेदन करे तो सरकार ओलम्पिक टीम की यात्रा के लिये धन देने के लिये प्रत्येक कार्यवाही करेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : यदि आवेदन किया जायेगा तो सरकार उस पर विचार करने के लिये तैयार है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार देश में हॉकी सिखलाने के लिये कुछ कार्यवाही कर रही है । क्या सरकार ने देश के सब से अच्छे हॉकी खिलाड़ी श्री जयपाल सिंह का मत लिया है जिन्होंने पहली भारतीय टीम का नेतृत्व किया था तथा विजय प्राप्त की थी ।

†**डा० एम० एम० दास** : सरकार हॉकी के विशेषज्ञ, इस राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति की मंत्रणा लेने के लिये तैयार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सच नहीं है कि हमारे कुछ अच्छे हॉकी सिखलाने वालों को देश में सेवायुक्त नहीं किया जाता और उनसे विदेशों को जाने के लिये कहा जाता है ।

†**डा० एम० एम० दास** : इसके बारे मे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

भारतीय विमान बल संधारण कमांड

†*१७३९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान बल का संधारण कमांड कब बनाया गया था;

(ख) इसके बनाने में क्या विशेष लाभ हुए ;

(ग) इसके कारण कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये; और

(घ) क्या यह स्थायी निकाय होगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जनवरी १९५५ में ।

(ख) इससे भारतीय विमान बल के संधारण कार्य के स्तर में काफी सुधार हुआ है ।

(ग) सब श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलाकर कुल २०८ अतिरिक्त कर्मचारी स्वीकृत किये गये हैं ।

(घ) जी हां ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संधारण कार्य के अतिरिक्त वहां पर मरम्मत भी की जाती है ?

†**सरदार मजीठिया**: मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है वहां छोटी मरम्मत का कार्य होता है । जब कुछ इंजिनों की पूरी सफाई (ओवरहाल) करनी होती है तब वे अन्य स्थानों में भेजे जाते हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : इस कमांड को जो काम अब सौंपा गया है उसे कौन करता था ?

†**सरदार मजीठिया** : जैसा कि मैंने कहा संधारण कार्य और छोटी मरम्मत का कार्य किया जाता है । दैनिक जांच आदि सदैव यूनिट में की जाती है । बड़ी जांच डिपो द्वारा की जाती है जो इस कमांड के अधीन आते हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह संधारण कार्य अन्य सम्मिलित संधारण सेवाओं द्वारा किया जाता था और क्या इस अलग संगठन में बहुत अधिक व्यय हुआ है जब कि काम नाम मात्र का है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं पूरी जानकारी देना चाहूंगा । पहले संधारण कार्य वायुसेना के मुख्यालय के अधीन था अब हमने अलग कमांड बनाई है, जैसे कि हमारे यहां प्रशिक्षण, कार्य संचालन कमांड आदि हैं उसी तरह यह संधारण कमांड है । जहां तक वायु सेना के मुख्यालय का सम्बन्ध है यह कार्य, लगभग केन्द्रित हो गया है । यह कमांड ज्यादा ध्यान से काम कर सकता है और उसके साथ इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित कर सकता है कि संधारण उचित प्रकार से किया जाय । यह लगभग केन्द्रित हो गया है ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह अलग संधारण कमांड जो बनाया जा रहा है अधिक पैट्रोल और अन्य सामान व्यय करने के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

†**सरदार मजीठिया** : बिल्कुल नहीं । जैसा कि मैंने कहा कि संधारण अच्छी तरह किया जाता है । अतः यद्यपि पहले से अधिक पदाधिकारी हैं फिर भी सम्पूर्ण बात को देखते हुए यह व्यवस्था पहले से कम खर्चीली होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खड़कपुर स्थित भारतीय प्रोद्यौगिकीय संस्था

†*१७४१ **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़कपुर स्थित भारतीय प्रोद्यौगिकीय संस्था में ज्वलन इंजीनियरिंग और ईंधन मितव्ययता के प्रथम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कितने छात्र भर्ती हुए हैं,

(ख) उक्त छात्रों में से कितने सफल हुए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सभी छात्रों को प्रतिमास १०० रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उनके लिये कुल कितना धन व्यय किया गया था; और

(ङ) क्या सभी छात्रों को अच्छी नौकरियां मिल गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) १०

(ख) ९ ।

(ग) हां ।

(घ) १६,६०० रुपये

(ङ) हां ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे यह जानकारी दी गई है कि सभी छात्रों को काम दे दिया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को उन छात्रों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें कि रोजगार नहीं मिला है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मुझे एक सूची दी गई है । सभी सफल छात्रों को सेवायुक्त कर लिया गया है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सेवायोजन के लिये अथवा अन्यथा सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : "अन्यथा" से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ?

†**श्री एस० सी० सामन्त** : वहां के कार्यकरण के बारे में ।

†**डा० एम० एम० दास** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सभी नौ छात्र सेवायुक्त कर लिये गये हैं । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मैं सूचना चाहता हूँ ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन नौ सफल छात्रों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया गया है जहां उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग होता है या उन्हें अन्य विभागों में नियुक्त किया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं देखता हूं कि 'सिन्दरी फर्टिलाइजर्स', 'दि कलकत्ता स्टेटिस्टिकल इन्स्टीट्यूट', 'दी उड़ीसा सीमेन्ट फैक्टरी' जैसी व्यापारिक संस्थाओं ने इन छात्रों को सेवायुक्त किया है ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या मैं जान सकता हूं कि उन छात्रों में से जो असफल हुए थे किसी ने अपना अध्ययन जारी रखा है और क्या उन्हें छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं । जहाँ तक असफल छात्रों का सम्बन्ध है, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । पहले दस छात्रों को प्रवेश दिया गया था । चार महीने के बाद एक छात्र चला गया और शेष सभी नौ छात्र अन्तिम परीक्षा में सफल घोषित किये गये थे और अब उन्हें औद्योगिक और अन्य व्यापार संस्थाओं में सवायुक्त किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोहिन्दरगढ़ जिले में लिगनाइट के निक्षेप

†*१७४३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू के मोहिन्दरगढ़ जिले में लिगनाइट के निक्षेपों की उपलब्धि का पता लगाने के लिये कोई जांच आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पेप्सू सरकार के परामर्श से इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र की जांच १९५१-५२ में की गई थी, किन्तु कोई लिगनाइट नहीं पाया गया था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पेप्सू सरकार ने इस क्षेत्र के पुनर्सर्वेक्षण के लिये कोई योजना भेजी है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : सर्वेक्षण का कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों से परामर्श करने के लिये प्रतिवर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगले मास या संभवत: जून में हम केन्द्रीय खनिज मंत्रणा बोर्ड की एक बैठक आयोजित कर रहे हैं जिसमें सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि निमन्त्रित किये जायेंगे और उस समय अगले वर्ष के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिये उस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : इस बात को देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि उस जिले में एक प्रकार का लौह प्रस्तर उपलब्ध है, जोकि देश के अन्य भागों में उपलब्ध लौह प्रस्तर से अधिक अच्छा है, और लोहे को गलाकर शुद्ध करने वाला एक संयंत्र भी वहां स्थापित किया जा सकता है जो कि सौ वर्षों तक चलेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लोहा पिघलाने के ऐसे किसी कारखाने के वहां स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मेरे पास कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं है, किन्तु हम जानते हैं कि लोहे के निक्षेपों के लिये वहां कुछ गुंजाइश है। वहां लोहा कितनी मात्रा में है यह हम नहीं जानते हैं। लोहे को गलाकर शुद्ध करने वाले एक संयंत्र की वहां स्थापना किये जाने का जहां तक सम्बन्ध है, यह कार्य इस मंत्रालय का नहीं है। उसका सम्बन्ध उत्पादन मंत्रालय से है।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : उस क्षेत्र का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया था और वह प्रस्ताव भारत सरकार का है। लोहा वहां उपलब्ध है और माननीय मंत्री को जानकारी नहीं है यह कैसे कह रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यदि यह प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या उत्पादन मंत्रालय से पूछा जाये तो अधिक अच्छा हो।

†**श्री बंसल** : माननीय मंत्री ने कहा है कि वहां लोहा कितनी मात्रा में उपलब्ध है इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह वहां उपलब्ध लोहे की मात्रा की जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराएंगे ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं इस प्रकार कोई वचन नहीं दे सकता हूं। जब तक कि लोहे की किन्हीं विशिष्ट खानों का कार्य करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव न हो तब तक मात्रा का अनुमान लगाना अत्यन्त महंगा होता है और किसी विशिष्ट प्रस्ताव के अभाव में इस कार्य को प्रारम्भ करना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि चूंकि मोहिन्दरगढ़ और गुड़गांव इन जिलों में लौहप्रस्तर एक बड़े परिमाण में उपलब्ध है क्या पंजाब और पेप्सू सरकार द्वारा उक्त जिलों के सर्वतोमुखा सर्वेक्षण के लिये एक योजना भेजी गई है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मेरे पास इस समय इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं सूचना चाहता हूं।

राजस्थान में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

*१७२३. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने १९५५-५६ में राजस्थान सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की उन्नति के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया और राजस्थान के किन-किन डिवीजनों में और किन-किन मदों पर यह राशि व्यय की गई; और

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर इस सरकारी सहायता का दुरुपयोग हो रहा है और दलित वर्ग को इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) मांगी हुई सूचना के दो विवरण सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) इस प्रकार का कोई मामला भारत सरकार के सामने नहीं आया ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की अस्पृश्यता निवारण योजना के अन्तर्गत जितने पोस्टर और प्रकाशन छपते हैं वे सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रहते हैं और साधारण जनता तक नहीं पहुंच पाते ?

श्री दातार : यह बात सही नहीं है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने हरिजनों के लिये कितने जलाशय आदि बनवाये हैं और अन्य पीड़ितों को कितनी सहायता दी गई है ?

श्री दातार : इस की सूचना मेरे पास नहीं है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि कुल राशि में से कितनी प्रतिशत राशि वास्तविक कल्याण कार्य पर व्यय की जाती है और कर्मचारियों पर कितनी राशि व्यय की जाती है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि स्थापना प्रभार पर बहुत कम राशि व्यय की जाती है; यह राशि दस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, और शेष राशि स्वयं कल्याण योजनाओं पर व्यय की जाती है ।

†**श्री वेलायुधन** : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में—हरिजन उद्धार निधि के दुरुपयोग के बारे में कुछ शिकायतें समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुई थीं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एक गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ७५,००० रुपये दिये गये थे और अनुसूचित जाति के लोगों के उद्धार के लिये आवंटित निधि से उसने अपने लिये एक भवन बनवा लिया है ?

†**श्री दातार** : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री नम्बियार** : श्रीमान्, मैं अनुरोध करता हूं कि प्रश्न संख्या १७३३ का उत्तर दिये जाने के लिये निदेश दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसे ले रहा हूं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मुझे प्रश्न संख्या १७२५, १७४० और १७४२ प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । वह परस्परावलम्बी हैं और एक ही प्रकार के हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को प्राधिकार प्राप्त है ?

†**श्री विभूति मिश्र** : जी, हां । मैंने उसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने टेबल आफिस को प्राधिकार प्रस्तुत कर दिया है ?

†**श्री विभूति मिश्र** : जी हां । मैंने उसे २० तारीख को प्रस्तुत कर दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास यहां केवल श्री कृष्णाचार्य जोशी का नाम है । खैर, मैं देखे लेता हूं । अब प्रश्न का उत्तर दिया जाये ।

हिन्दी की उन्नति

†*१७२५. **श्री विभूति मिश्र** (**पंडित डी० एन० तिवारी** की ओर से) : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के प्रसार सम्बन्धि योजनाओं की क्रियान्विति के लिये अहिन्दी-भाषी राज्यों को मंजूर की गई और उन्हें दी गई कुल राशि का उन राज्यों द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने हिन्दी के विकास के बारे में विशेष कर अहिन्दी-भाषी राज्यों में की गई विभिन्न कार्यवाहियों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि नान हिन्दी स्पीकिंग (अहिन्दी-भाषी) प्रान्तों में हिन्दी प्रचार के लिये अब तक सरकार ने कितना रुपया खर्च किया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : वर्ष १९५४-५५ में अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी की उन्नति के लिये २,७९००१ रुपये मंजूर किये गये थे, जिसमें से केवल ९०,००० रुपये दिये गये थे । वर्ष १९५५-५६ में अहिन्दी-भाषी राज्यों के लिये ५,३८,१४६ रुपये मंजूर किये गये थे जिसमें से केवल ३,७४,५६५ रुपये दिये गये थे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इतने रुपये सेंक्शन (मंजूर) हुए मगर खर्च में कमी रह गई है, इसका क्या कारण है । इसके लिये कौनसी एजेंसी (अभिकरण) दोषी है ?

†**डा० एम० एम० दास** : कई मामलों में राज्य सरकारें योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकीं, और कई मामलों में हमें उस धन के व्यय के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए जोकि प्रथम किस्त के रूप में दिया गया था, इसलिये राज्य सरकारों को दूसरी किस्त नहीं दी गई थी ।

श्री रघुनाथ सिंह : साउथ इंडिया (दक्षिण भारत) में कितना खर्चा होना चाहिये था और कितना खर्चा हुआ ?

†**डा० एम० एम० दास** : दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्य सम्बन्धी आंकड़ों की सूची मेरे पास है, किन्तु समग्रत: दक्षिण भारत के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । यदि आप अनुमति दें तो मैं आंकड़े पढ़ दूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आवश्यक नहीं है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है अहिन्दी-भाषी राज्य कौन से हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : १८ राज्य ऐसे हैं जो अहिन्दी भाषी निर्धारित किये गये हैं ।

व अय्यंगार : क्या मैं जान सकता हूं कि मैसूर राज्य सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास :** १९५४-५५ में मैसूर राज्य के बारे में ७,६४५ रुपये की राशि मंजूर की गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने जिस पांच लाख रुपये की राशि का उल्लेख किया क्या वह सम्पूर्ण भारत के लिये है ?

†**डा० एम० एम० दास : हां,** श्रीमान् । १९५५-५६ में मैसूर राज्य को २८,९६८ रुपये की राशि मंजूर की गई और पूर्ण राशि दे दी गई थी ।

छावनी में असैनिक क्षेत्रों को सुविधायें

†*१७२६. **श्री भक्त दर्शन** (**श्री कृष्णाचार्य जोशी** की ओर से): क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक क्षेत्रों के निवासियों के लिये पर्याप्त स्थान और सुविधाओं का उपबन्ध करने के लिये छावनियों में नियुक्त की गई तदर्थ समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) सरकार ने केवल दो छावनियों—जबलपुर और फिरोजपुर—के बारे में तदर्थ समितियों की सिफारिशों को पूर्णत: और दिल्ली छावनी के बारे में आंशिक रूप से स्वीकार किया है ।

(ख) प्रमुख सिफारिशों को बताने वाले संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं; **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बाकी और छावनियां हैं उनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और कब तक इस बारे में आशा की जा सकती है ?

†**सरदार मजीठिया :** केवल २२ छावनियां ऐसी रह जाती हैं जो कि इस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं । मैं आशा करता हूं कि लगभग चार महीने में इस बात का निर्णय कर लिया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : वे कौन सी खास ऐसी अड़चनें हैं जिनकी वजह से अब तक इस मामले में देरी हो रही है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है उन छावनियों ने सर्वसम्मति से सिफारिशें की थीं ? क्या इस बारे में शीघ्रता की जायेगी ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैं ने कहा, कतिपय मामलों में तदर्थ समितियों ने अपने निर्देश पदों का अतिक्रमण तक किया था । इसलिये उनकी सावधानी से जांच की जा रही है और यही विलम्ब होने का कारण है ।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण से मालूम होता है कि दिल्ली छावनी के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई थीं उनमें से बहुत कम मंजूर की गई हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सिफारिशें नम्बर २, ३, ४ को न मानने का क्या कारण हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** सेना अधिकारी इस बात पर सहमत नहीं हुए थे । उन्होंने कहा कि उसे बढ़ाना सेना के हित में नहीं होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह उनकी इच्छा थी अथवा किन्ही कारणों के फलस्वरूप ऐसा करना आवश्यक था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** उनकी इच्छा का कोई प्रश्न नहीं था। उन्होंने कारण दिये थे, मंत्रालय द्वारा सावधानीपूर्वक उनकी जांच की गई थी और हम उनसे सहमत हो गये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय समुद्रपार की छात्रवृत्तियां

†*१७२८. **डा० सत्यवादी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कालेजों और विश्वविद्यालयों आदि के लिये केन्द्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत १९५६-५७ के लिये चुने गये उम्मीदवारों की संख्या क्या है; और

(ख) जिन राज्यों से उक्त उम्मीदवार चुने गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) तेईस। दो और छात्रवृत्तियों के बारे में शीघ्र ही घोषणा की जायेगी। यह छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालयों, समकक्ष संस्थाओं और कालिजों के शिक्षकों के लिये थीं।

(ख) आन्ध्र ५, आसाम १, बिहार १, बम्बई २, हैदराबाद १, मध्य प्रदेश १, मैसूर १, पंजाब १, उड़ीसा २, त्रावणकोर-कोचीन १, उत्तर प्रदेश ३ और पश्चिम बंगाल ४।

आय-कर अपवंचक व्यक्ति

*१७२९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ और १९५५-५६ में आय-कर विभाग ने आय-कर छिपाने वाले कितने व्यक्तियों को ढूंढ निकाला;

(ख) इन में कितने व्यक्तियों पर आय-कर लगाया गया और इस प्रकार कुल कितना आय-कर लगाया गया; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों की वार्षिक आय १०,००० रुपये या उससे अधिक थी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). जो सूचना मांगी गई है वह प्रकाशित अभिलेखों या संकलित आंकड़ों से नहीं मिलती और इसे प्राप्त करने में जितना समय लगेगा और जितना परिश्रम करना पड़ेगा वह प्राप्त होने वाले परिणाम की अपेक्षा कहीं अधिक होगा।

संघ लोक सेवा आयोग

†*१७३३. **श्री पुन्नूस :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४-५५ में संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों और भारत सरकार के सम्बद्ध कार्यालयों में उच्च पदों के लिये उन उम्मीदवारों की नियुक्तियों का अनुमोदन किया था जिन्हें कि आयोग द्वारा इससे पहले निम्न पदों के लिये अस्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे उम्मीदवारों के नाम, उनके अभिधान क्या हैं और उन्हें किन कार्यालयों में नियुक्त किया गया है और उनकी अर्हताएं क्या हैं; और

(घ) ऐसे अनुमोदनों के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की खोज के संम्बन्ध में प्रशिक्षण

†*१७३५. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में तेल की खोज करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये विदेश भेजे जाने के लिये कुछ उम्मीदवारों को चुनने की प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम जत्थे के लिये कितने उम्मीदवार चुने जायेंगे; और

(ग) क्या उन राज्यों को वरीयता दी जायेगी जिनमें खोज के कार्य प्रारम्भ हो गये हैं या प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). राष्ट्र संघ प्रविधिक सहायता प्रशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत रूस में १४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलाने की सुविधायें देने के लिये कहा गया है। इन में से छः व्यक्ति इस समय भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण में सेवायुक्त हैं और शेष आठ तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय में।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिन्दी के प्रचार के लिये अनुदान

†*१७४०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिये गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देते समय कुछ शर्तें रखती है; और

(ख) क्या यह संगठन राज्य सरकारों से अतिरिक्त अनुदान भी प्राप्त करते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इन संगठनों पर राज्य सरकारों से भी अनुदान प्राप्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

हिन्दी का प्रचार

†*१७४२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षा समिति द्वारा स्थापित प्रादेशिक समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्दमान द्वीपसमूह के लिये शिक्षा योजना

†१४३६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान द्वीपसमूह और निकोबार द्वीपों में द्वितीय पंच वर्षीय योजना अवधि में शिक्षा सम्बन्धी सुधार की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी; और

(ग) उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनूबन्ध संख्या १६]** ।

त्रिपुरा पुलिस बल

†**१४३७. श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में पुलिस बल की संख्या;

(ख) क्या इस राज्य में कोई पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार एक केन्द्र खोलने का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १७२७

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

झूमिया पूनर्वास

†**१४३८. श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूमिया पुनर्वास योजना के अन्तर्गत अब तक त्रिपुरा के जूमिया (आदिम जाति लोग) को भूमि का कुल कितना क्षेत्र दिया गया है;

(ख) कितने परिवारों को भूमि मिली है; और

(ग) उन्हें अनुदानों के रूप में दी गई कुल राशि कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ६२६२ एकड़

(ख) २२८७ परिवार

(ग) ७,५०,००० रुपये

मध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियां

†**१४३९. श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के (१) ज़िला बेतुल और (२) ज़िला छिन्दवाड़ा के लिये अलग अलग विकास परियोजनायें और सुधार योजनायें क्या हैं और प्रत्येक के लिये १९५४–५५ और १९५५–५६ के लिये स्वीकृत की गई कुल राशि कितनी है ; और

(ख) १९५६–५७ के लिये प्रस्तावित योजनायें तथा परियोजनायें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों के लिये मैट्रिक पश्चात् के लिये छात्रवृतियां

†**१४४०. श्री कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद की अनुसूचित जातिगों के कितने विद्यार्थियों ने मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र भेजे थे; और

(ख) उन आवेदन पत्र देने वालों के नाम जिन्हें छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) १५

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण जिसमें उन १४ अभ्यर्थियों के नाम दिये गये हैं, जिन्हें छात्रवृत्तियां दी गई हैं, लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिट १०, अनुबन्ध संख्या १७]**

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मैट्रिक पश्चात् के लिये छात्रवृत्तियां

†**१४४१. श्री कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद की अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों ने मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र भेजे थे; और

(ख) उन आवेदन पत्र देने वालों के नाम जिन्हें छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) तथा (ख). क्योंकि मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद में कोई अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं इसलियेयह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत का राज्य बैंक

†**१४४२. श्री कामत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) ज़िला होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) के उन स्थानों के नाम जहां भारत के राज्य बैंक की शाखायें और भुगतान कार्यालय (प्रथक् प्रथक्) हैं ;

(ख) क्या १९५६–५७ में भी उसी ज़िले में ऐसी शाखायें और भुगतान कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम जहाँ वे खोले जायेंगे ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द गूह)** : (क) जिला होशंगाबाद में भारत के राज्य बैंक की दो शाखायें और ६ भुगतान कार्यालय और उप-कार्यालय हैं :

शाखायें

१ होशंगाबाद २ हर्दा

भूगतान कार्यालय और भुगतान उप-कार्यालय

(१) गादड़वारा	(२) नरसिंहपुर	(३) गोतेगाओं
(४) इटारसी	(५) करेती	(६) पिपरैया

(ख) और (ग). केवल एक ही प्रस्ताव जो नरसिंहपुर के भुगतान कार्यालय को एक पूर्ण रूपेण शाखा बनाने के बारे में है स्वीकृत किया गया है

अन्धों की शिक्षा

†**१४४३. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ के लिये अन्धों की शिक्षा के लिये मुख्य अतिरिक्त योजनाओं का ब्यौरा; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रथक् रक्षित की गई राशि कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक संगीत पाठशाला पचमढ़ी

१४४४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सैनिक संगीत विद्यालय, पचमढ़ी द्वारा अब तक तैयार किये गये महत्वपूर्ण गानों और ध्वनियों की रूपरेखा सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : निम्न-लिखित सभा-पटल पर रख दिये गये हैं :–

(१) विद्यालय द्वारा तैयार की गई ६७ ध्वनियों के शीर्षक ।

(२) इन ६७ ध्वनियों में से चुने गये २४ गानों के पूरे पद ।

(३) कुल ६७ ध्वनियों में से १७ ध्वनियों के शीर्षक, जिनकी स्वर लिपियां सैनिक बैण्डों द्वारा प्रयोग में लाने के लिये छापी जा चुकी हैं । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एस १४६/५६**]

आग्नेयास्त्र

†१४४५. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक सरकार ने कितने आग्नेयास्त्रों अर्थात् "रिवाल्वरों और राइफलों" की अनुज्ञप्तियां रद्द की ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण जिसमें उन राज्यों सम्बन्धी, जहां से उत्तर मिल गये हैं, जानकारी दी गई है, लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या १९]**

अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जम्मू व काश्मीर के लिये अनुज्ञा-पत्र

†१४४६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ दिसम्बर, १९५५ से फरवरी, १९५६ की समाप्ति तक कितने व्यक्तियों ने जम्मू व काश्मीर राज्य में प्रवेश करने के लिये अनुज्ञा-पत्रों के लिये आवेदन पत्र दिये ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : बिहार के आंकड़ों को छोड़ कर, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, ३५,४९८ ।

मैंगनीज़ अयस्क

†१४४७. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५४ की तुलना में १९५५ में मैंगनीज़ अयस्क का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : वर्ष १९५४ में मैंगनीज़ अयस्क का कुल उत्पादन १४,१३,०६८ टन था वर्ष १९५५ में उत्पादन का अनुमान १५,२०,३१६ टन है, पर यह आंकड़े अनुमानित हैं क्यों कि सभी खानों के सम्बन्ध में अन्तिम विवरणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

नगरीय परिवार कल्याण परियोजनायें

†१४४८. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन किन स्थानों पर नगरीय परिवार कल्याण परियोजनायें आरम्भ की गई हैं; और .

(ख) अब तो जो प्रगति हुई है उसका संक्षिप्त ब्यौरा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) दिल्ली, हैदराबाद, विजयवाड़ा और पूना;

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पंजाब और पेप्सू के लिये भूतत्वीय सवक्षण विभाग

†१४४९. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपूरी :
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेष्णा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब और पेप्सू सरकारों को उन राज्यों में एक स्वतन्त्र भूतत्वीय व सर्वेक्षण विभाग स्थापित करने के लिये कोई वित्तीय सहायता और प्रविधिक सहयोग दिया जा रहा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : नहीं, श्रीमान् । पैप्सू सरकार ने छोटी खानों और पत्थर की खानों के मालिकों को न लाभ न हानि के आधार पर किराये पर देने के लिये उपकरण आदि खरीदने के हेतु योजना आयोग से २.१४ लाख रुपया आवंटित करने और कुछ कर्मचारी देने की प्रार्थना की थी । इस प्रार्थना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है । किसी स्वतन्त्र भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के स्थापित करने के लिये पंजाब और पैप्सू सरकारों ने वित्तीय सहायता और प्रविधिक सहयोग की न तो मांग की है और न ही उन्हें यह सहायता दी गई है । भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग अन्य क्षेत्रों की तरह इन क्षेत्रों में भी खोज कार्य करेगा ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†१४५०. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की, राज्यवार, संख्या जिन्होंने विभाजन से पूर्व भारत के लिये विकल्प दिया था परन्तु जिन्हें भारत में अपनी नौकरी जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई ;

(ख) इसके कारण;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की राज्यवार संख्या जिन्हें बाद में भारत में अपनी नौकरी पर उपस्थित होने की स्वीकृति दी गई;

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके मामलों का अभी निर्णय नहीं किया गया है;

(ङ) क्या उन व्यक्तियों को, जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया है वेतन अथवा भत्ते के रूप में कोई राशि दी जायेगी; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ऐसा कोई मामला नहीं है । प्रत्येक ऐसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को, जिसने भारत के लिये विकल्प दिया था, भारत सरकार में सेवायुक्त रहने की स्वीकृति दी गई है ।

(ख) से (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सेना की दुग्धशालाएं

†१४५१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से १९५५ तक भारत में सेना की जो दुग्धशालायें चल रही हैं उनकी वर्षवार संख्या;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उक्त अवधि में व्यापार में हानि हुई या लाभ;

(ग) प्रत्येक दुग्धशाला में कितनी पूँजी विनियोजित है; और

(घ) प्रत्येक दुग्धशाला में पशुओं की वर्षवार संख्या ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) एक विवरण, जिसमें १९५२ से लेकर १९५५ तक काम करने वाली सेना की दुग्धशालाओं की संख्या दी गई है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ के तीन वर्षों में जो व्यापार हुआ था उसमें लाभ हुआ था । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ग) एक विवरण, जिसमें १९५२ से १९५५ तक प्रत्येक दुग्धशाला में विनियोजित पूंजी दिखाई गई है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०]**

(घ) एक विवरण, जिसमें १९५२ से १९५५ तक प्रत्येक दुग्धशाला के पशुओं की कुल संख्या बताई गई है, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०]**

माल का चोरी-छुपे ले जाया जाना

१४५२. श्री पी० एल० बारूपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९५६ में गंगानगर सीमा पर अफीम की एक बड़ी मात्रा पकड़ी गई थी जब कि इसे भारत से पाकिस्तान में चोरी से ले जाया जा रहा था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा पकड़ी गई थी और उसका मूल्य कितना था;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष हरिजनों के ७,००० रुपये की कीमत के बारह ऊंट गंगानगर ज़िले के गांवों से चुरा लिये गये थे और पाकिस्तान ले जाये गये थे; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) : (क) और (ख). भू-सीमाशुल्क अधिकारी ने राजस्थान के गंगानगर जिले के हिन्दूमलकोट स्थान पर फरवरी १९५६ में ८,२०० रुपये की २०।। सेर अफीम पकड़ी थी ।

(ग) यह अफीम दो आदमियों के पास से पकड़ी गई जिन्हें गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया । इन आदमियों पर अफीम कानून की धारा ९ और पारपत्र कानून की धारा ३ के अनुसार मुक़दमा चलाया जा रहा है ।

(घ) और (ङ). इस सम्बन्ध में भू-सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कागज पत्रों से कोई पता नहीं चलता ।

पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलेज

†**१४५३. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू सरकार ने पटियाला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव** (**डा० एम० एम० दास**) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने पटियाला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की एक योजना प्रस्तुत की है और उस के विषय में अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् का अनुमोदन चाहा है ।

उस योजना की परीक्षा की जा रही है ।

आयुध-सामग्री कारखाने

१४५४. श्री के० सी० सोधिया : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध-सामग्री कारखानों में पीतल की पत्तियाँ बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५४–५५ में ऐसी पत्तियों का कुल कितनी मात्रा में निर्माण किया गया;

(ग) इन कारखानों में ऐसी पत्तियों की कुल कितनी मात्रा का उपयोग किया गया और शेष पत्तियां किस प्रकार के कामों में लाई गईं ;

(घ) क्या वहां पर पीतल की ढलाई का काम भी होता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं और १९५४–५५ में पीतल की कितनी मात्रा की ढलाई की गई ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (**सरदार मजीठिया**) : (क) कुछ आर्डनेंस फैक्टरियों में पीतल की पत्तियां पर्याप्त मात्रा में बनाई जाती हैं ।

(ख) लगभग २००० टन पीतल की पत्तियां

(ग) १०० टन पीतल की पत्तियाँ फैक्टरियों द्वारा उपयोग में लाई गई और बाकी बेंच दी गई ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) ढलाई का काम निम्नलिखित फैक्टरियों में होता है:—

मेटल और स्टील फ़ैक्टरी, ईशापुर
गन और शैल फ़ैक्टरी, कासीपुर
गन कैरेज फ़ैक्टरी, जबलपुर
आर्डनेन्स फैक्टरी, कानपुर
हारनेस और सैडलरी फ़ैक्टरी, कानपुर

सन् १९५४–५५ के अन्तर्गत कुल १५० टन की ढलाई की गई ।

राइफलें

१४५५. श्री के० सी० सोधिया : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी राइफलों के स्थान पर नई राइफलों के बदले जाने के बाद पुरानी राइफलों का उपयोग किस प्रकार होता है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में राइफलों की तबदीली कब की गई ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (**सरदार मजीठिया**) : (क) जब पुरानी राइफलों के बदले में नई राइफलें प्रतिस्थापित की जाती हैं तो पुरानी राइफलें आर्डनेंस फ़ैक्टरियों में भेज दी जाती हैं, वहां पर इनके प्रत्येक भाग अलग- अलग कर दिये जाते हैं । इस प्रकार अलग किये गये प्रत्येक भागों का निरीक्षण किया जाता है और उन्ह काम योग्य, मरम्मत योग्य, तथा बेकार श्रेणियों में बांटा जाता है । काम योग्य तथा मरम्मत

†मूल अंग्रेजी में

योग्य भाग अतिरिक्त भागों की मांग की पूर्ति करने तथा फैक्टरियों द्वारा मरम्मत करने एवं नकली राइफ़लों के उत्पादन के उपयोग में लाये जाते हैं। बेकार भागों को कूड़ा समझकर बेच दिया जाता है।

(ख) यदि वार्षिक निरीक्षण के समय कोई राइफल प्रतिमान से निम्न कोटि की पाई जाती है तो उसके स्थान पर नई राइफल प्रतिस्थापित करने के लिये कहा जाता है। यह एक वार्षिक प्रक्रिया है, अतः पुरानी राइफलों को बड़े पैमाने पर प्रति-स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर के पदाधिकारियों की वेतन श्रेणियां

†१४५६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के मुख्य आयुक्त ने मूल नियम संख्या ३५ का प्रयोग करते हुए नये नियुक्त किये गये मनीपुरी अधिकारियों को अधिकार रूप में मिलने वाली न्यूनतम वेतन-श्रेणी को रोक लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसका प्रभाव कितने मनीपुरी अधिकारियों पर पड़ा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख **दी** जायेगी।

जनता कॉलेज

†१४५७. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६–५७ के लिये जनता कॉलेजों को खोलने का क्या कार्यक्रम है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : विचार यह है कि १९५५–५६ में जनता कॉलेज खोलने के जिस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया था उसे वर्ष १९५६–५७ में भी जारी रखा जाये। उसमें इतना ही अन्तर होगा कि अब उन्हें किसी क्षेत्र विशेष में स्थित करना आवश्यक नहीं होगा।

शिक्षा-सम्बन्धी चलचित्र

†१४५८. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा १९५६–५७ में निर्मित किये जाने वाले चलचित्रों का विषय क्या रहेगा ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २१]**

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

†१४५९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये सुझाई गई योजनाओं में पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने के लिये राज्य सरकारों के नाम कोई निदेश या अनुदेश जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारें स्वयं ही इन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूप से

†मूल अंग्रेजी में

जागरूक है और उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं में उनके लिये यथासम्भव अधिकतम सीमा तक व्यवस्था कर दी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत का सर्वेक्षण विभाग

१४६०. श्री के० सी० सोधिया : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्रों तथा नक्शों को दशमिक प्रणाली में बदला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है।

(ग) क्या इस कार्य के लिये नई शाखा खोली गई है अथवा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो नियुक्त किये गये अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) नये मानचित्र कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क), (ख) और (ङ). अक्तूबर १९५६ से समस्त १। २५,००० मानचित्र विस्तृत दशमिक प्रणाली के आधार पर तैयार किये जायेंगे। वर्त्तमान मानचित्रों में किया गया परिवर्तन व्यवहार में नहीं लाया जा सकता क्योंकि एक नवीन प्रणाली में इसके पूर्णरूपेण परिवर्तित होने में लगभग ३० से ४० वर्ष लगने का अनुमान है। फिर भी, निकट भविष्य में किसी स्थान के वर्णन से सम्बन्धित वर्त्तमान मानचित्रों पर दशमिक रेखांकित जाली मेट्रिक ग्रिड) को छापने तथा इनके किनारों पर दशमिक पैमानों को दर्शित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न यहां नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय

†**१४६१. श्री राधा रमण :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा आरम्भ होने से पहले भूतपूर्व फ़ेडरल लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय में भर्ती किये गये तीसरी श्रेणी के स्थायी क्लर्कों के लिये सहायकों की श्रेणी में स्थायी स्थानों का कुछ एक निश्चित कोटा सुरक्षित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने स्थान सुरक्षित किये जाते थे;

(ग) इसके क्या कारण हैं कि उपर्युक्त योजना में उन्हें सहायकों के नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग की भांति कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया; और

(घ) क्या अब उनके लिये कुछ स्थान रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार):** (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान इन प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों की ओर आकर्षित किया जाता है;

(१) १८ मार्च, १९५५ का तारांकित प्रश्न संख्या १२०६; और

(२) २८ मार्च, १९५५ का तारांकित प्रश्न संख्या १५८१.

(घ) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गवेषणा परियोजना केन्द्र

†१४६२. **श्री राधा रमण :**
श्री शिवनंजप्पा :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के बोर्ड और उस के शासी निकाय ने विश्वविद्यालयों में गवेषणा परियोजना केन्द्रों के खोले जाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां आरम्भ किये जायेंगे; और

(ग) परिषद् के प्रशासी निकाय की सिफारिशों का अन्य ब्यौरा क्या है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २२]**

अखिल भारतीय सेवायें

†१४६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अलग-अलग कितने कर्मचारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनीय कार्यवाही की गई थी; और

(ख) उनके दिये गये दण्डों का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भारतीय सिविल सर्विस समेत) ... ४

भारतीय पुलिस सेवा ३

योग ७

(ख) सूचना इस प्रकार है :—

	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा
प्रतिनिन्दन	२	१
वेतन वृद्धि रोकी गई	–	२
परिवीक्षा समाप्त की गई और राज्य सेवा में वापिस भेजा गया	१	–
अप्रसन्नता प्रकट की गई	१	–
योग	४	३

किरकी के युद्ध-सामग्री कारखाने

†१४६५. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ अप्रैल, १९५६ को किरकी के युद्ध-सामग्री कारखानों के लगभग १५,००० मजदूरों ने हड़ताल की थी;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हड़ताल कितनी अवधि तक चलती रही; और

(ग) उसके क्या कारण थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) किरकी की एम्युनिशन फ़ैक्टरी, हाई एक्स प्लोजिव फ़ैक्टरी और टेक्नीकल डेवेलपमैण्ट इस्टैब्लिशमैण्ट (एम्युनिशन) के ३,३२६ मजदूरों ने २ अप्रैल, १९५६ को एक औजार-मत-छुओ हड़ताल की थी ।

(ख) हड़ताल दो घंटे चली थी ।

(ग) मजदूरों ने वह हड़ताल इन चीज़ों के विरोध-प्रदर्शन में की थी : (१) आर्डनैन्स फ़ैक्टरी, वडाला, जो अब बन्द की जा रही है, के कुछ कर्मचारियों को दिये गये सेवामुक्ति नोटिस, और (२) यह निर्णय कि छंटनी के काम के लिये केवल उन औद्योगिक कर्मचारियों को ही प्रवीण वर्गों में गिना जायगा जिन के वेतन क्रम ६० रुपयों या अधिक से आरम्भ होते हैं ।

सामुदायिक संगठनकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता

†**१४६६. श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४० और २४ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६८६ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस के क्या कारण हैं कि बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय ३७ के अनुसार आदिम जाति समुदायों के शिक्षित युवकों में से कुछ को सामुदायिक संगठन कर्त्ताओं और अन्य प्रकार के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के रूप में प्रशिक्षण नहीं दिया; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने यह देखने के लिये कि ये दोनों राज्य, प्रथम पंचवर्षीय योजना और हमारे संविधान के अनुच्छेद ४६ में उल्लिखित आदिम जाति समुदायों के प्रति अपने विशेष कर्त्तव्यों को निभायें, क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है, और यथा शीघ्र लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास

†**१४६७. सरदार इक्बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १८५७ के भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष का एक प्रामाणिक इतिहास तैयार करने की दिशा में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप कुलपति डा० एस० एम० सेन को इस इतिहास को लिखने का कार्य सौंपा गया है और उन्हें ३० जून १९५६ से पहले-पहले अपनी हस्तलिपि पूरी कर देनी चाहिये जिससे कि १० मई, १९५७ को उसे प्रकाशित किया जा सके ।

विदेशियों का निर्वासन

†**१४६८. सरदार इक्बाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त १९५५ के बाद से विदेशी राज्यों के किन्हीं राष्ट्रजनों को भारत से निर्वासित किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनों को ?

(ग) वे किन-किन देशों के राष्ट्रजन थे; और

(घ) उनके भारत से निर्वासित किये जाने के क्या आधार थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). मांगी गई जानकारी इस प्रकार है:—

संख्या	राष्ट्रीयता	निर्वासन का आधार
११	५ तिब्बती	अवांछनीय सामाजिक कार्य-वाहियां
	२ लेबनानी	अवांछनीय विदेशी, तस्कर व्यापार ।
	१ आस्ट्रियाई	अवांछनीय विदेशी ।
	१ चीनी तुर्क	अवांछनीय विदेशी ।
	१ आदिम जाति पठान	अवांछनीय विदेशी ।
	१ ईरानी	अवांछनीय विदेशी ।

इन आंकड़ों में वे विदेशी सम्मिलित नहीं है जिन्हें राज्य सरकारों ने अपनी शक्तियों के अन्तर्गत निर्वासित किया हो ।

लौह अयस्क के निक्षेप

†१४६९. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि, मोहिन्दरगढ़ ज़िले के अतिरिक्त, पेप्सू राज्य में अन्य स्थानों पर भी लौह अयस्क के निक्षेप मौजूद हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण को पेप्सू में मोहिन्दरगढ़ ज़िले के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान के लौह प्रस्तर के निक्षेपों का पता नहीं है ।

दिल्ली और पंजाब के लिये संयुक्त वित्तीय निगम

†१४७०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और पंजाब के लिये एक संयुक्त वित्तीय निगम की स्थापना की दिशा में अभी तक क्या प्रगति की गई है ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)**: पंजाब और दिल्ली सरकारों के बीच कुछ ऐसे करार हुए हैं कि पंजाब वित्तीय निगम को ही, दिल्ली और पंजाब राज्यों के एक संयुक्त वित्तीय निगम में परिवर्तित करने के लिये उसके क्षेत्र को अधिक विस्तृत किया जाये । इससे आगे की प्रगति तो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ के किसी ऐसे संशोधन के बाद ही की जा सकेगी जिससे कि एक से अधिक राज्यों द्वारा संयुक्त वित्तीय निगमों की स्थापना की जा सके । संसद में शीघ्र ही ऐसा एक संशोधन विधेयक पुर:स्थापित किये जाने की आशा है ।

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकालय विकास के लिये अनुदान

†१४७१. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में पुस्तकालय आन्दोलन के विकास और एक पुस्तकालय सेवा की स्थापना के लिये राज्य सरकारों को अनुदानों की कितनी राशि मंजूर करने की प्रस्थापना है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : इस कार्य के लिये अलग से कोई भी राशि नहीं रखी गई है । केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले अनुदान अधिकांश रूप से राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर निर्भर होंगे और इनकी व्यवस्था १९५६–५७ में बुनियादी और सामाजिक शिक्षा की सभी योजनाओं के लिये उपबन्धित सात करोड़ रुपयों की कुल राशि में से ही की जायेगी ।

भारत का राज्य बैंक

†१४७२. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने प्रार्थी हैं जिन्होंने इम्पीरियल बैंक के अंशों के बदले में उन्हें दिये जाने वाले प्रतिकर के स्थान पर भारत के राज्य बैंक के अंशों को उनके नामों में स्थानांतरित किये जाने के लिये आवेदन किया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : इम्पीरियल बैंक के अंशधारियों को स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध प्रति अंश १०० रुपये के बाज़ार भाव के भारत के राज्य बैंक के कुल २,५३,१२५ अंशों के लिये कुल १०,७२८ अंशधारियों में से १,२२८ अंशधारियों ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं । वे नक़द प्रतिकर और या सरकारी प्रामिसारी नोटों के स्थान पर, अपने नामों में राज्य बैंक के ४४,३०६ अंशों को स्थानांतरित कराना चाहते हैं ।

भारतीय असैनिक सेवा अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

†१४७३. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी १९५६ तक भारत सरकार ने कितने अवकाश-प्राप्त भारतीय असैनिक सेवा (इंडियन सिविल सर्विस) के अधिकारियों को पुनः सेवा युक्त किया है; और

(ख) आजकल वे किन-किन पदों पर हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १०

(ख) (१) परामर्शदाता, योजना आयोग (दो)
(२) गवर्नर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (एक)
(३) सभापति, तुंगभद्रा परियोजना (एक)
(४) उपगवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (दो)
(५) राजप्रमुख त्रावणकोर-कोचीन के परामर्शदाता (एक)
(६) न्यायालय परिसमापक, कलकत्ता उच्च न्यायालय (एक)
(७) उपनिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् (एक)
(८) त्रावनकोर-कोचीन में बैंकिंग प्रणाली की जांच करने वाली समिति का सभापति (एक) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय एच्छिक कार्य कैम्प

†१४७४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने अन्तर्राष्ट्रीय एच्छिक कार्य कैम्प कार्य कर रहे हैं;

(ख) चालू वर्ष में उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार इन कैम्पों को कोई सुविधा दे रही है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान १३-८-५५ को श्री राधारमण द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०३ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। स्थिति यथापूर्व ही बनी हुई है।

भारत में अवैध प्रवेश

†१४७५. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में यात्रा सम्बन्धी वैध पत्रादि के बिना कई व्यक्तियों द्वारा भारत में अवैध प्रवेश करने के मामले पकड़े गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो १९५६ में अब तक ऐसे कितने मामलों की सूचना दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय नागरिकता

†१४७६. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत की स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन किया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : नागरिकता अधिनियम १९५५, जिसमें भारतीय नागरिकता की प्राप्ति का उपबन्ध किया गया है, ३० दिसम्बर, १९५५ से ही लागू किया गया है। इसलिये पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये १९५५ में आवेदन किये जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी, १५ अक्तूबर १९५२ से, जब से कि भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा करने के लिये विसा प्रणाली को लागू किया गया है, अब तक जितने पाकिस्तानी नागरिकों ने आगे चलकर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की दृष्टि से भारत में स्थायी रूप से बस जाने के लिये आवेदन किया है उनकी कुल संख्या ८८४६ है।

शिक्षा-मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय

†१४७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के कलकत्ता और बम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य क्या है;

(ख) इनको कब शुरू किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या देश के अन्य भागों में अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापित किये जाने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो कब और कहां ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (घ). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २३]**

त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड

†**१४७८. श्री बीरेन दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड के अंशधारियों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इस बैंक को केन्द्रीय सहकारी बैंक की एक शाखा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा इस अभ्यावेदन पर रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया गया था और अभ्यावेदन में दिया गया सुझाव व्यवहार्य नहीं प्रतीत हुआ है। त्रिपुरा राज्य बैंक का भविष्य अब भी विचाराधीन है ।

युद्ध सामग्री कारखाना, जबलपुर

†**१४७९. श्री मादिया गौडा**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध सामग्री कारखाना, जबलपुर को ठेकेदारों द्वारा जो लकड़ी सप्लाई की गई है वह घटिया प्रकार की पाई गई है;

(ख) इस सौदे में कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : गन कैरेज फ़ैक्टरी, जबलपुर को घटिया दर्जे की लकड़ी सप्लाई किये जाने के एक ऐसे मामले का पता १९५२ में लगाया गया था।

(ख) इस ठेके की राशि लगभग ५५ लाख रुपये थी। परन्तु इस राशि का सम्बन्ध सरकार को हुए घाटे से नहीं है। घाटे की कुल राशि का पता अभी नहीं लगा है क्योंकि सरकार और विशेष पुलिस विभाग द्वारा अब भी इस मामले की जाँच की जा रही है।

(ग) चार पदाधिकारियों को (दो घोषित और दो अघोषित), जिन पर इस मामले में लिप्त होने का सन्देह किया गया था, १५-१०-१९५४ से ही नौकरी से मुअत्तल कर दिये गये हैं। अग्रेतर कार्यवाही विशेष पुलिस विभाग की जाँच के अन्तिम परिणाम पर निर्भर करेगी ।

अमरीकी सहायता

†**१४८०. श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ तक मशीनों और पूंजी वस्तुओं के रूप में अमरीका से भारतीय मुद्रा में कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) इन मशीनों और पूंजी वस्तुओं के फालतू पुर्जों को खरीदने के लिये कुल कितना व्यय किया गया है और कितना व्यय करने की प्रस्थापना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) लगभग ७७.५४ करोड़ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सामान्य प्रथा के अनुसार, यदि आवश्यकता हो, तो फालतू पुर्जों का उपकरणों और मशीनों के साथ ही उनके कुल मूल्य के १० प्रतिशत भाग तक आयात कर लिया जाता है। अतिरिक्त फालतू पुर्जों के लिये कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है अथवा आगे चलकर किये जाने की प्रस्थापना है, इसके सम्बन्ध में अभी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि अतिरिक्त फालतू पुर्जों की कोई आवश्यकता पड़ी तो उनका उपबन्ध केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न परियोजनाओं के, जिन के लिये इन मशीनों और उपकरणों का आयात किया गया था, प्रसारी प्राधिकारियों द्वारा सामान्य रीति से किया जायेगा।

सामुदायिक संगठनकर्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ता

†१४८१. **श्री दवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय ३७ की कण्डिका ३१ में की गई परिकल्पना के अनुसार योजना-अवधि में आदिम समुदायों के शिक्षित युवकों में से कुछ को सामुदायिक संगठनकर्त्ताओं और अन्य प्रकार के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के रूप में प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष वार और राज्यवार उनकी संख्या कितनी है;

(ग) प्रशिक्षित किये जाने के बाद जिनको नौकरियाँ दी गयीं वर्षवार और राज्यवार उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) उनको किन पदों पर सेवायुक्त किया गया और उनके वेतन-क्रम क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल

†१४८२. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल और केन्द्रीय अंगुली-छाप कार्यालय की स्थापना करने की योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है; और

(ख) इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल अपराधों का वैज्ञानिक ढंग से पता लगाने और जांच करने का प्रशिक्षण देगा।

केन्द्रीय अंगुली-छाप कार्यालय अपराधियों और आदतन अपराध करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करने की दृष्टि से उनकी उँगलियों की छाप के रिकार्ड रखेगा और पुलिस की जांच के लिये उँगलियों की छापों का मिलान करेगा। यह कार्यालय इसी प्रकार की विदेशी संस्थाओं से भी सम्पर्क रखेगा।

कैन्टीन भांडार विभाग

†१४८३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन भांडार विभाग के कर्मचारियों के साथ नियमित सरकारी कर्मचारियों जैसा व्यवहार किया जाता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कैन्टीन भांडार विभाग (भारत) कोई सरकारी विभाग नहीं है, वरन् एक ऐसी संस्था है जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करती है । सैनिक कर्मचारियों के लाभ के लिये इस विभाग को व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है । कैन्टीन भांडार विभाग (भारत) के कर्मचारियों को विभाग के स्वयं अपने कोष में से ही वेतन दिया जाता है, सरकारी कोष में से नहीं । इसलिये, इस विभाग के कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और मुद्राकोष

†**१४८४. श्री पुन्नूस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वित्त मंत्रालय के जिन अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई है, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इसके परिणाम क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) और (ख). इस सूचना को देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २४]**

साहित्यकार और कलाकार

१४८५. श्री राम शंकर लाल : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन महान कलाकारों को उनके आपद्काल में वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) प्रत्येक को कितनी-कितनी धन राशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २५]**

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थी

†**१४८६. डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने प्रशिक्षणार्थियों ने १९५५ में अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है; और

(ख) इस समय कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क)

भारतीय प्रशासनिक सेवा	४१
भारतीय पुलिस सेवा	४५

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन ५० अभ्यर्थियों ने अभी ही प्रशिक्षण समाप्त किया है और परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों का अगला दल १ मई, १९५६ को भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में भरती हो जायेगा ।

भारतीय पुलिस सेवा के बत्तीस परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुनियादी शिक्षा के विद्यालय

१४८७. श्री राम शंकर लाल : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कितने आरम्भिक विद्यालयों को (राज्यवार) बुनियादी विद्यालयों में बदला गया; और

(ख) उसी अवधि में, इस प्रयोजन के लिये केन्द्र ने प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकारों को इसके भेजने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २६]**

राजस्थान के बैंक

१४८८. श्री बलवन्त सिंह महता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनको राजस्थान में राज्य सम्बद्ध बैंकों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के बैंक कर्मचारियों ने इस आशय का एक ज्ञापन दिया है कि उन को भी ऐसी बैंकों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाये ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण के सामान्य प्रतिवेदन के अध्याय ३४ की कण्डिका २ में दी गयी सूची के अनुसार राजस्थान के मुख्य राज्य सम्बद्ध बैंक यह हैं:

१. दि बैंक ऑफ बीकानेर लिमिटेड ।
२. दि बैंक ऑफ़ जयपुर लिमिटेड ।
३. दि बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड ।

(ख) दि बैंक ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है, कि राजस्थान के अन्य राज्य सम्बद्ध बैंकों के साथ साथ भारत-सरकार दि बैंक ऑफ़ राजस्थान का प्रबन्ध अपने हाथों में ले ले ।

बबीना के निकट भूमि-अर्जन

†**१४८९. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में बबीना के निकट कुछ भूमिखंड अर्जित किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनका क्षेत्रफल क्या है;

(ग) इसका प्रभाव कितने स्वामियों पर पड़ा है; और

(घ) क्या उनको प्रतिकर दिया गया है, अथवा बदले में अन्य भूमि खंड आवंटित किये गय हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) २३,०७९.७६ एकड़

(ग) लगभग ३,५०० ।

(घ) (१) झाँसी के कलक्टर द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है । भू-स्वामियों को कठिनाइयों से बचाने के लिये उनके हिसाब में भुगतान करने का अधिकार दे दिया गया है जिसको बाद में अर्जन सागत में से काट दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) हमें सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को बदले में अन्य भूमि खंड आवंटित किये जा रहे हैं।

कालिदास की कृतियां

†१४९०. **श्री आर० सी० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अप्रैल १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी द्वारा अभी कालिदास की किन-किन कृतियों का अनुवाद किया जाना शेष है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). महाकवि कालिदास की निम्नलिखित कृतियों का आलोचनात्मक संशोधन साहित्य अकादमी द्वारा हो रहा है और इसी वर्ष इस कार्य के पूर्ण होने की आशा है।

१. शकुन्तला
२. मालविकाग्नि-मित्र
३. विक्रमोर्वशी
४. कुमारसम्भव
५. रघुवंश
६. ऋतुसम्हार

मध्य भारत को अनुदान

१४९१. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण के लिए १९५५–५६ में मध्य भारत सरकार को कितनी सहायता दी गई,

(ख) यह रक़म किस तरीक़े से व्यय की गई, और

(ग) शेष रक़म, यदि कुछ है, तो कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) १९५५ में मध्य भारत राज्य को ४.०७ लाख रुपये की रक़म स्वीकार कर के दी गई।

(ख) सहायक अनुदान की स्वीकृत और सितम्बर १९५५ के अन्त तक खर्च की गई रक़म का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २७]** १ अक्तूबर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) १९५५–५६ का लेखा अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिये यह सूचना इतनी जल्दी नहीं दी जा सकती।

विदेशी दूतावासों में नौकरियां

†१४९२. **श्री एन० एम० लिंगम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के उन पदाधिकारियों ने, जिन्होंने अपनी पत्नियों को नई दिल्ली स्थित विदेशी दूतावासों में नौकरी करने की अनुमति दी थी, सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली थी; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन विदेशी दूतावासों के नाम क्या हैं जिनमें यह महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) ऐसे मामलों में किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है; परन्तु जून १९५५ में सरकार द्वारा जारी की गयी कार्य-कारिणी हिदायतों के अनुसार, उस सरकारी कर्मचारी को, जिसकी पत्नी अथवा कोई आश्रित भारत-स्थित किसी विदेशी दूतावास में नौकरी करने की इच्छा रखता हो, उसको सम्बन्धित मंत्रालय में सरकार को इस तथ्य की सूचना देनी चाहिये। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इस प्रकार की नौकरी को स्वीकार करना किसी प्रकार से आपत्तिजनक है और यदि ऐसा हो, तो इसका निषेधकर देना चाहिये। सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है जिसमें इन हिदायतों की अवहेलना की गई हो।

(ख) ब्रिटिश उच्च-आयोग,
ब्रिटिश व्यापार-आयोग,
कनाडा का उच्च-आयोग,
अमरीकी दूतावास,
अमरीकी शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठान,
अमरीकी सूचना कार्यालय,
जर्मन दूतावास ।

धातु-परीक्षण विभाग

†१४९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु परीक्षण विभाग में धातुओं और मिश्रित धातुओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये प्रस्थापित की गई प्रयोगशाला ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) उससे अब तक क्या उपयोग सूचनायें प्राप्त हुई हैं ?

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह): (क) और (ख). धातु-परीक्षण कार्यालय को धातु परीक्षण करने और समय समय पर उठने वाली टंकण सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिये एक आधुनिकतम प्रयोगशाला से सुसज्जित कर दिया गया है। इसलिये किसी नई प्रयोगशाला को खोलने का प्रश्न ही नहीं है ।

---

†मूल अंग्रजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधबार, २५ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर...		१८०५–२६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७१८	छावनी की जमीन	१८०५–०६
१७१९	सम्पदा शुल्क	१८०६–०७
१७२०	तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय ...	१८०७–०९
१७२१	भारतीय असैनिक सेवा ...	१८०९
१७२२	आसाम में तेल के कुएं	१८१०
१७२४	भूतत्वीय सर्वेक्षण	१८१०–११
१७२७	विदेशी पत्रिकाएं	१८११–१२
१७३०	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा की भारतीय परिषद्	१८१२–१३
१७३१	कल्याण विस्तार योजनायें	१८१३–१४
१७३२	मछली टेक्नालोजी का विकास ...	१८१४–१५
१७३४	सरकारी कर्मचारियों की गुप्त रिपोर्ट ...	१८१५–१७
१७३६	आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण	१८१७–१८
१७३७	श्रवण सम्बन्धी यन्त्र	१८१८–१९
१७३८	हॉकी का विकास	१८१९–२०
१७३९	भारतीय विमान बल संधारण कमांड ...	१८२०
१७४१	खड़कपुर स्थित भारतीय प्रोद्यौगिकीय संस्था	१८२१
१७४३	मोहिन्दरगढ़ जिले में लिगनाइट के निक्षेप	१८२२–२३
१७२३	राजस्थान में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	१८२३–२४
१७२५	हिन्दी की उन्नति	१८२४–२५
१७२६	छावनी में असैनिक क्षेत्रों को सुविधायें	१८२५–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर...		१८२६–४६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७२८	केन्द्रीय समुद्रपार की छात्रवृत्तियां ...	१८२६
१७२९	आयकर अपवंचक व्यक्ति	१८२६
१७३३	संघ लोक सेवा आयोग	१८२६
१७३५	तेल की खोज के सम्बन्ध में प्रशिक्षण ...	१८२७
१७४०	हिन्दी के प्रचार के लिये अनुदान	१८२७
१७४२	हिन्दी का प्रचार...	१८२७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४३६	अन्दमान द्वीपसमूह के लिये शिक्षा योजना	१८२७–२८
१४३७	त्रिपुरा पुलिस बल	१८२८
१४३८	झूमिया पुनर्वास	१८२८
१४३९	मध्य प्रदेश की अनुसूचित आदिम जातियां ...	१८२८
१४४०	अनुसूचित जातियों के लिये मैट्रिक पश्चात् के लिये छात्रवृतियां ...	१८२८–२९
१४४१	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मैट्रिक पश्चात् के लिये छात्रवृतियां	१८२९
१४४२	भारत का राज्य बैंक	१८२९
१४४३	अन्धों की शिक्षा	१८२९
१४४४	सनिक संगीत पाठशाला, पचमढ़ी	१८३०
१४४५	आग्नेयास्त्र	१८३०
१४४६	जम्मू व काश्मीर के लिये अनुज्ञा-पत्र	१८३०
१४४७	मैंगनीज़ आयस्क	१८३०
१४४८	नगरीय परिवार कल्याण परियोजनायें	१८३०–३१
१४४९	पंजाब और पेप्सू के लिये भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ...	१८३१
१४५०	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ...	१८३१
१४५१	सेना की दुग्धशालाएं ...	१८३१–३२
१४५२	माल का चोरी छुपे ले जाया जाना	१८३२
१४५३	पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलेज	१८३२–३३
१४५४	आयुध-सामग्री कारखाने	१८३३
१४५५	राइफलें ...	१८३३–३४
१४५६	मनीपुर के पदाधिकारियों की वेतन श्रेणियां	१८३४
१४५७	जनता कॉलेज	१८३४
१४५८	शिक्षा-सम्बन्धी चलचित्र	१८३४
१४५९	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	१८३४–३५
१४६०	भारत का सर्वेक्षण विभाग ...	१८३५
१४६१	केन्द्रीय सचिवालय ...	१८३५
१४६२	गवेषणा परियोजना केन्द्र	१८३६
१४६४	अखिल भारतीय सेवायें	१८३६
१४६५	किरकी के युद्ध-सामग्री कारखाने	१८३६–३७
१४६६	सामुदायिक संगठनकर्त्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ता	१८३७
१४६७	भारतीय स्वतन्त्रता का इतिहास	१८३७
१४६८	विदेशियों का निर्वासन ...	१८३७–३८
१४६९	लौह अयस्क निक्षेप	१८३८
१४७०	दिल्ली और पंजाब के लिये संयुक्त वित्तीय निगम	१८३८
१४७१	पुस्तकालय विकास के लिये अनुदान	१८३९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४७२	भारत का राज्य बैंक	१८३९
१४७३	भारतीय असैनिक सेवा अधिकारियों की पुनः नियुक्ति	१८३९
१४७४	अन्तर्राष्ट्रीय ऐच्छिक कार्य कैम्प ...	१८४०
१४७५	भारत में अवैध प्रवेश	१८४०
१४७६	भारतीय नागरिकता ...	१८४०
१४७७	शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय	१८४०–४१
१४७८	त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड ...	१८४१
१४७९	युद्ध सामग्री कारखाना, जबलपुर	१८४१
१४८०	अमरीकी सहायता	१८४१–४२
१४८१	सामुदायिक संगठनकर्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ता	१८४२
१४८२	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल	१८४२
१४८३	कैन्टीन भांडार विभाग	१८४२–४३
१४८४	अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और मुद्राकोष	१८४३
१४८५	साहित्यकार और कलाकार	१८४३
१४८६	भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थी	१८४३
१४८७	बुनियादी शिक्षा के विद्यालय	१८४४
१४८८	राजस्थान के बैंक	१८४४
१४८९	बबीना के निकट भूमि अर्जन	१८४४–४५
१४९०	कालिदास की कृत्तियां	१८४५
१४९१	मध्यभारत को अनुदान	१८४५
१४९२	विदेशी दूतावासों में नौकरियाँ	१८४५–४६
१४९३	धातु-परीक्षण विभाग	१८४६

M47LSD—190—25-6-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ५१
२५ अप्रैल, १९५६ (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ प्रदर्शनकर्त्ताओं का बन्दीकरण	२६९९–२७००
सभा का कार्य ...	२७००–०१
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इक्यावनवां प्रतिवेदन ...	२७०१
नियम समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	२७०८
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	२७०१–०७, २७०८–४७
डा० एस० एन सिंह ...	२७०३–०५
श्री वी० वी० गिरि	२७०५
श्री थानू पिल्ले	२७०५–०७
सरदार हुक्म सिंह ...	२७०८–१०
श्रीमती सुचेता कृपालानी	२७१०–१५
पंडित ठाकुर दास भार्गव	२७१५–२३
श्री कासलीवाल	२७२३–२४
श्रीमती मणिबेन पटेल ...	२७२४–२७
लाला अचिंत राम ...	२७२८–३०
श्री सी० आर० चौधरी	२७३०–३१
श्री सी० सी० शाह ...	२७३१–३२
श्री सी० भट्ट ...	२७३२–३३
श्री बंसल	२७३३–३४
श्री राधारमण	२७३४–३६
डा० गंगाधर शिव	२७३६
श्री टेकचन्द	२७३६–३७
श्री वेलायुधन ...	२७३७–३८
श्री एन० पी० नथवानी	२७३८–३९
श्री लास्कर	२७३९–४०
श्री ज्वाला प्रसाद	२७४०–४१
चौधरी रणवीर सिंह ...	२७४१–४३
श्री रिशांग किशिंग	२७४३–४४
श्री बंसीलाल ...	२७४४–४६
श्री एल० जोगेश्वर सिंह	२७४६
श्री विमला प्रसाद चालिहा	२७४६–४७
दैनिक संक्षेपिका	२७४८

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११-३० म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

कुछ प्रदर्शनकर्त्ताओं का बन्दीकरण

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री साधन गुप्त और श्री नम्बियार से निम्नलिखित विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

"२४ अप्रैल, १९५६ को संयुक्त महाराष्ट्र के पक्ष में प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों की राजधानी में गिरफ्तारी कर नागरिक स्वतन्त्रता में घोर तथा अलोकतंत्रीय बाधा ।"

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) :** यह प्रस्ताव गृहीत नहीं किया जा सकता । पुलिस अथवा शांति बनाये रखने वाले लोगों का गिरफ्तारी करना दैनिक कार्य है । यदि ये व्यक्ति निरपराध पाये जाते हैं तो छोड़ दिये जाते हैं। परन्तु यदि गिरफ्तारियों से स्थगन-प्रस्ताव किये जाने लगें तो सभा में कोई अन्य कार्य न किया जा सकेगा । जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि कल संसद् भवन के परिसर में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करना पड़ा । वे सत्याग्रह करने के लिये बहुत दूर से आये हैं । उनकी योजना और इच्छा यह थी कि वे प्रदर्शन करें और गिरफ्तार किये जायें । मुझे खेद है कि ऐसी घटना हुई । हम सब जानते हैं कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने के बारे में महाराष्ट्र के लोगों की क्या भावनाएं हैं । इसमें प्रदर्शन की आवश्यकता न थी । हम उनकी भावनाओं को जानते हैं अतः इससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी परन्तु यह अभी मेरे क्षेत्र की बात नहीं है । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी ।

पंजाब सुरक्षा अधिनियम के अधीन जिसके अनुसार संसद् भवन के परिसर में अथवा उसके पास में और दिल्ली के आस पास प्रदर्शन और जलूस निकालना मना है यदि ऐसा प्रबन्ध न होता तो हम अपना कार्य नहीं कर सकते । जब मैं यहां आ रहा था तब मैंने एक दल देखा जो परिवहन व्यवसाय सम्बन्धी विषयों के बारे में नारे लगा रहा था । वे इतना शोर मचा रहे थे कि यदि वे यहां आ जाते

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

तो हम यहां कुछ कार्य न कर सकते। सभा के हित में यह है कि सभा के कार्य को अच्छी और गरिमामय विधि से सम्पादन करने में हम सब को सहयोग देना चाहिये। मैं नहीं जानता कि कोई सभा की कार्यवाहियों में बाधा चाहता है। यदि कार्यवाहियों में कोई भी बाधा नहीं चाहता तो हमें इस बात में सहयोग देना चाहिये कि ऐसी घटनाएं संसद् के आस पास न हों। जब लोग असंतुष्ट होते हैं तो वे शिकायत करते हैं, कभी-कभी वे प्रदर्शन भी करते हैं परन्तु इन सब बातों का प्रदर्शन करने के लिये यह स्थान ठीक नहीं है। ऐसी बात इस सदन और हमारी जनता की गरिमा से सुसंगत नहीं है।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण-पूर्व) : माना कि गिरफ्तारियां रोज़ होती हैं पर कल जो गिरफ्तारी हुई है वे दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी से भिन्न है। इसके द्वारा वैयक्तिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन किया जा रहा है, हम इसे बनाये रखना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों को जनता ने संसद् में अपनी भावनायें व्यक्त करने के लिये भेजा था। वे शांतिमय ढंग से अपनी भावनायें हमें बताना चाहते थे। इन प्रदर्शनकारियों को रोकना संभवतः वैध नहीं है और न नैतिक दृष्टि से ही उचित है। संविधान में हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता दी गई है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि बम्बई संयुक्त राष्ट्र में मिलाया जाये और उसकी राजधानी बने। अतएव स्थगन प्रस्ताव ग्रहीत किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माना कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी भावनाएं हमें बताना चाहते थे परन्तु उस दशा में हम कार्य नहीं कर सकते थे।

यदि कोई शिकायत हो तो याचिका भेजी जा सकती है। वे प्रदर्शन से अधिक उपयोगी होती है क्योंकि वे छापी जाती हैं और सब सदस्यों को बांटी जाती हैं। परन्तु यदि लोगों को प्रदर्शन करने दिया जाये तथा नारे लगाने दिया जाये तो हम सभा का कार्य नहीं कर सकेंगे। क्या इसी तरह नागरिक स्वतन्त्रता क़ायम की जा सकती है?

प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा अधिनियम के आधीन जारी किये आदेश का उल्लंघन किया है इसलिये मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता। आशा है भविष्य में ऐसे स्थगन प्रस्ताव नहीं रखे जायेंगे।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अगला कार्य लेगी।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : मैंने प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान प्रतिरक्षा संस्थानों के युद्ध सामग्री डिपो में कार्य करने वाले १० हजार मज़दूरों की छंटनी के बारे में आकर्षित किया है। मुझ से कहा गया था कि उसका उत्तर आज दिया जायेगा। आज मुझे पत्र मिला है कि आज प्रतिरक्षा मंत्री वक्तव्य नहीं देंगे। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि छंटनी बंद की जाये।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : अप्रैल के महीने में छंटनी का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं अपना वक्तव्य इस सप्ताह के अंत में अथवा सोमवार को दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य के लिये आज का दिन नियत किया गया था परन्तु मंत्री ने कहा है कि वह दो-तीन दिन के लिये स्थगित किया जाये। यदि वक्तव्य दिया जायेगा तो हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जायेगा। माननीय मंत्री इस मास के अंत तक वक्तव्य देंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : एक औचित्य प्रश्न है। आपने निर्देश दिया था कि सभा की बैठक के समय प्रवर समिति की बैठक नहीं होगी। समिति की बैठक अभी भी ११॥ बजे तक होती रहती है जिसके कारण सभा में कभी-कभी गणपूर्ति नहीं होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जब काम शीघ्र निपटाया जाना होता है तब मैं समिति की बैठक की अनुमति देता हूं। यदि सभा में सदस्यों की संख्या घट जाती है तो समिति की बैठक समाप्त कर दी जाती है।

†**श्री कामत :** क्या आपने निर्देश नहीं दिया है अथवा उसमें परिवर्तन कर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं विशेष परिस्थितियों में अनुज्ञा देता हूं।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्यावनवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : मैं ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

राज्य पुनर्गठन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा राज्य पुनर्गठन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा आरम्भ करेगी। मैं माननीय मंत्री को कब पुकारूं।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) :** जब सभा निश्चित करे।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप कितना समय लेंगे।

†**पंडित जी० बी० पंत :** लगभग ४० मिनट।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा सभा ५-१/२ बजे तक बैठेगी और माननीय मंत्री ४ बज कर ५० मिनट पर भाषण देंगे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मंत्री कल उत्तर दे सकते हैं।

†**पंडित जी० बी० पंत :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वाद-विवाद आज समाप्त होगा और माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

श्री मोरे ने एक औचित्य प्रश्न उठाया था कि जब तक संविधान में संशोधन कर संघ क्षेत्र नामक नई श्रेणी स्थापित नहीं की जाय राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक में ऐसा राज्य क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता अतः संविधान संशोधन विधेयक पारित करने से पहले दूसरे विधेयक पर जो पहले पर आधारित है विचार नहीं किया जा सकता।

मैंने विषय को बड़े ध्यान से पढ़ा है। संविधान के अनुच्छेद ३ में राज्य क्षेत्रों का उपबन्ध है। मैं समझता हूं कि भारत का समस्त राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभाजित किया गया है। राज्यों के क्षेत्र और संघ का क्षेत्र। भाग (घ) राज्य संघ क्षेत्र है। अतः किसी नयी श्रेणी के राज्य क्षेत्र की चर्चा नहीं की गई है।

अनुच्छेद ३ के अधीन राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण किया जा सकता है क्षेत्रों से कुछ हिस्से हटाये जा सकते हैं। बम्बई वर्तमान राज्य में से निकाला जा रहा है। यदि वह किसी भाग के राज्य का अंग नहीं बनता तो वह संघ का राज्य क्षेत्र बन जायगा। यदि इसे भाग (घ) राज्य में न रखा जाये तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

हमारा उस पर क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा। जिन लोगों ने संविधान में संशोधनों की सूचना दी है उन्होंने यह नहीं देखा कि अनुच्छेद ४ में यह उपबन्ध है कि जब अनुच्छेद ३ के आधीन राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाये तो ऐसे परिवर्तन करने वाले विधेयक में प्रथम अनुसूची के संशोधन का उपबन्ध करना चाहिये। अलग विधेयक की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्तावक ने दो विधेयक पुरःस्थापित किये हैं वास्तव में इसे एक ही होना चाहिये था। यदि वे एक हो जाते हैं तो उल्लिखित नियम और विनिर्णय लागू नहीं होंगे।

राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिये अलग विधेयक नहीं होना चाहिये। उसे अलग विधेयक समझने और उसके द्वारा अन्य विधेयक के रोके जाने के लिये कोई प्राधिकार नहीं है। हमें उस विधेयक की अवहेलना करनी चाहिये और इस विधेयक में संशोधन करना चाहिये। हम इस संबन्ध में संयुक्त समिति को आदेश दे सकते हैं जिससे कि उन मदों की एक अनुसूची विधेयक में जोड़ दी जाय। सभा ऐसा कर सकती है। यदि यह बात मान ली जाये तो मूल विधेयक पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं रहती।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : आपके विनिर्णय से क्या मैं यह समझूं कि संविधान के अनुच्छेद ४ के आधीन आवश्यक संशोधन इस विधेयक द्वारा स्वीकृत समझे जायेंगे और संविधान संशोधन विधेयक का आवश्यक भाग वर्तमान विधेयक में सम्मिलित कर दिया जायेगा। यदि यह विनिर्णय मान लिया जाये तो इस विधेयक पर वे नियम लागू होंगे जो संविधान में संशोधन करने वाले विधेयकों पर लागू होते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुच्छेद ४ (२) में दिया गया है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई ऐसी विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी। अतः अनुच्छेद ३ के अधीन संशोधन के कारण प्रथम तथा चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन करने वाले अनुच्छेद ४ के आधीन प्रासंगिक संशोधन अनुच्छेद ३६८ के अनुसार संशोधन नहीं है। अतएव विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। कुछ संशोधन अनुच्छेद ३ से नहीं उठते वे संविधान के संशोधन समझे जायेंगे। मेरा ध्यान संघ राज्य क्षेत्र की ओर दिलाया गया था जो अनुच्छेद ३ और ४ के आधीन आता है। मेरा विनिर्णय यह है कि संयुक्त समिति को सौंपने के इस प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

†**श्री एस० एस० मोरे** : संविधान संशोधन विधेयक और राज्य पुनर्गठन विधेयक में कुछ उपबंध एक से हैं यदि केवल राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन का प्रश्न है तो आवश्यक बहुमत की अपेक्षा नहीं है। संविधान के अन्य उपबन्धों को भी यह विधान संशोधित करता है। जब तक वे संविधान का अंग नहीं बन जाते तब तक उस सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध नियम-बाह्य होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अनुच्छेद ३ के परिणामस्वरूप प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में किये गये संशोधन, संविधान के संशोधन नहीं समझे जायेंगे। अन्य विषयों में जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता उन बातों की अनुमति नहीं दी जायेगी। वहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। जब विषय सामने आयेगा तब देखा जायेगा।

जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है इसे स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मेरा विचार है कि राज्य से तात्पर्य भाग (क), (ख) और (ग) राज्यों से है (घ) से नहीं। अतः ऐसा परिवर्तन जिससे संघ का राज्य क्षेत्र बने, प्रथम अनुसूची के भाग (घ) का संशोधन कर ही किया जा सकता है। वे राज्य नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे राज्य क्षेत्र हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : पर अनुच्छेद ४ उन पर लागू नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह लागू होगा, खंड ३ में दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में दिये गये राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित हैं । ये राज्य क्षेत्र सीधे केन्द्र से प्रशासित किये जाते हैं । अनुच्छेद १ के खंड ३ में यह भी दिया गया है :

"ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जायें ।"

चन्द्रनगर ऐसा ही राज्य क्षेत्र था ।

यदि हम मान लें कि मैसूर राज्य कन्नड़ राज्य में मिला दिया जाता है तो प्रथम अनुसूची का संशोधन करना पड़ेगा ऐसे परिवर्तन में कोई कठिनाई नहीं ।

परन्तु श्री एस० एस० मोरे ने ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के ढंग का उल्लेख किया है । ऐसा संशोधन संविधान में नियमित संशोधन कर ही किया जा सकता है । इसके लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विनिर्णय ठीक है । अन्य विषयों में साधारण बहुमत की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : इसमें ३५ मिनट लग गये ।

†**श्री कामत** : क्या कोई मंत्री आज वाद-विवाद में भाग लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : डाक्टर एस० एन० सिंह ।

†**डा० एस० एन० सिंह** (सारन–पूर्व) : हमारे देश का सौन्दर्य उसके अलग-अलग भागों में पायी जाने वाली विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में ही निहित है । इस सौंदर्य को किसी भी मूल्य पर नष्ट नहीं किया जाना चाहिये । बम्बई के सम्बन्ध में यही मुख्य समस्या है ।

भाषा सम्बन्धी आन्दोलन के फलस्वरूप, जो बड़ी बुरी चीज है, बम्बई के ऊपर संकट के बादल घिर आये हैं और इसीलिये यह सुनाई देता है कि बम्बई कवल महाराष्ट्र का ही है, किसी और का नहीं है । सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात ही गलत है । यह इसलिये क्योंकि वहां की मराठी भाषी जनसंख्या केवल ४३·६ प्रतिशत है । बाकी ५६·४ प्रतिशत ग़ैर-मराठी भाषी हैं; इसलिये इस अल्पसंख्यक समुदाय को बम्बई के शेष निवासियों पर अपना मत लादने का कोई अधिकार नहीं है ।

अनेक आयोगों द्वारा इस प्रश्न का निर्णय किया जा चुका है । सबसे पहले मैं दर आयोग को लूंगा । दर आयोग ने भी इसी आधार पर अपनी सिफारिश की थी और कहा था कि उनके सामने जितने भी ग़ैर-महाराष्ट्रियों ने बयान दिये थे उनमें प्रायः सभी इस बात से सहमत थे कि बम्बई को किसी एक भाषी राज्य के साथ न मिला कर उसका एक पृथक राज्य बना दिया जाये चाहे उसको केन्द्र द्वारा शासित किया जाये अथवा उसकी अपनी सरकार रहे । फिर जवाहरलाल-वल्लभभाई-पट्टाभि आयोग की सिफारिशें हैं । वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है । परन्तु यह बात महाराष्ट्रियों को पसंद नहीं आयी । फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया । वह भी इसी नतीजे पर पहुंचा । परन्तु महाराष्ट्रियों ने कहा, "जी नहीं, हमारे ऊपर दया कीजिये ।" उन्होंने हमारे हाई कमान के पास आकर कहा कि "यदि हम राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन लेकर महाराष्ट्र वापस जायेंगे, तो हमारा नेतृत्व समाप्त हो जायेगा । कृपया दया करके इसमें परिवर्तन कर दीजिये ।" महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी कांग्रेस हाई कमान को यही पत्र लिखा । जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं तो

†मूल अंग्रेजी में

[डा० एस० एन० सिंह]

उन्होंने कहा, 'आप बम्बई को केन्द्र द्वारा प्रशासित कराइये, हम उससे सहमत हो जायेंगे ।' उनकी इच्छानुसार जब यह बात भी कर दी गयी तो अब वह महाराष्ट्र से वापस आकर कहते हैं कि, "हमें इतने से ही संतोष नहीं है, हमको कुछ और भी चाहिये ।" पंडित जी अनुचित से अनुचित मांग करने वालों से भी उचित ढंग का ही व्यवहार करते हैं । उनके यह पूछने पर कि अब और क्या किया जा सकता है । इन्होंने यह उत्तर दिया कि, "कृपया इतना और कह दीजिये कि भौगोलिक दृष्टि से बम्बई महाराष्ट्र का ही एक भाग है, हमें इतने से संतोष हो जायेगा ।" पंडित जी ने इस पर भी कहा कि, "यदि इतना कहने मात्र से सब गड़बड़ी शान्त हो जायेगी तो मैं यह भी कह दूंगा ।" परन्तु महाराष्ट्री जनता को इससे भी संतोष नहीं हुआ । अब वह आकर कहते हैं कि, "हमको बम्बई पर शासन करने, उसको पद्लित करने का अधिकार दिया जाये ।"

यह भद्र-पुरुषों का सा व्यवहार नहीं है कि यदि एक बार की मांग स्वीकार कर ली जाये तो अपनी मांगों को हर बार और भी बढ़ाते ही चले जायें । यह तो हिटलरी ढंग है और तानाशाही है । यह देश को टुकड़े-टुकड़े कर देगा । इसी लिये विधेयक में जो यह प्रस्थापना रखी गयी है, कि बम्बई एक संघीय-क्षेत्र रहेगा, वह महाराष्ट्री जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही है । इसको उनको शालीनतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिये था । परन्तु अब तो वह और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं । इस-लिये अब समय आ गया है जब बम्बई के अन्य निवासियों की ओर से समस्त भारत उनसे कह दे कि "रुक जाओ इस समय इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है ।" यह हो सकता है कि आगे परिवर्तन हो जाये और भविष्य में बम्बई महाराष्ट्र को ही मिल जाये, कोई भी इसके विरुद्ध नहीं है ।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि कल श्री गाडगील ने बड़े ही शान्त और संयत ढंग से व्यवहार किया । इसने वातावरण को शांत कर दिया है । परन्तु फिर भी उनके भाषण में कुछ ऐसी चीजें थीं जिनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये । उन्होंने कहा कि बम्बई में महाराष्ट्रियों के कुछ निहित स्वार्थ हैं, और यह बात इस सभा और देश के शेष भागों द्वारा स्वीकार की जानी चाहिये । इन शब्दों—निहित स्वार्थ—में कुछ कटुता है । यदि अत्यन्त नम्र शब्दों में भी कहा जाये, तो यह एक ऐसा जहर है जिसको कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । परन्तु इसके बावजूद भी मैं श्री गाडगील द्वारा कल कही गयी बातों की प्रशंसा करता हूं ।

मैं एक और बात की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । भाषा सम्बन्धी दंगों और हड़तालों ने अन्य लोगों की अपेक्षा महाराष्ट्र को ही अधिक क्षति पहुंचाई है । यह हो सकता है कि आगे चल कर स्थिति में परिवर्तन हो जाये, परन्तु इन बातों पर अब अधिक जोर देना गलत है । सम्पूर्ण भारत पर अनुचित दबाव डालना गलत है और यह महाराष्ट्र को ही हानि पहुंचा रहा है जिस ढंग से महाराष्ट्र का पक्ष भारत के हितों के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है, वह भारत के शेष भागों के हितों के साथ टकराता है । श्री गाडगील ने कल जो तर्क प्रस्तुत किये उनके जवाब में मैं उनसे अत्यन्त सम्मानपूर्वक केवल यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में बम्बई के सम्बन्ध में जो कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना की गयी है उसको स्वीकार कर लिया जाये ।

अब कुछ शिमला के सम्बन्ध में । वहां आप देखेंगे कि दूसरी ही समस्या है । शिमला से कालका तक का भाग हिमाचल प्रदेश को दे दिया जाना चाहिये । उस क्षेत्र पर हिमाचल प्रदेश का जितना दावा है उतना अन्य किसी का नहीं है ।

अब मैं विंध्य प्रदेश के सम्बन्ध में भी एक शब्द कहूंगा । उस राज्य का बघेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस विधेयक को लाने के लिये गृह-कार्य मंत्री हार्दिक बधाई के पात्र हैं। इस विधेयक के उपबन्ध हमारी जनता के विशालतम भाग को स्वीकार्य ह। इसलिये हम इसका हर प्रकार से समर्थन करते हैं । मुझ इस बात का विश्वास है कि पंडित जी और श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के योग्य नेतृत्व में भारतीय जनता की राजनीतिक बुद्धि-कौशल और दृढ़-शक्ति केवल बम्बई अथवा शिमला का ही नहीं, वरन् समुचे देश के लिये उज्वल भविष्य का निर्माण कर सकती है और करके रहेगी ।

श्री वी० वी० गिरि (पातपटनम्) : इस विधेयक के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई है वह वहुत ही शिक्षाप्रद रही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज भारत में प्रांतीयता या जातीयता की आवश्यकता नहीं है अपितु प्रत्येक भारतवासी को यह समझना चाहिये कि वह पहले भारतीय है और उसे भारत के हित में ही कार्य करना है ।

मुझे हर्ष है कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने इस विधेयक में क्षेत्रीय परिषदों का उपबन्ध किया है। मेरा निवदन है कि जब तक कि हम एक कदम आगे न जायें और यह स्पष्ट न करें कि पांच वर्ष बाद ये परिषदें क्षेत्रीय राज्यों—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य—में परिवर्तित हो जायगी, ये क्षेत्रीय परिषदें कागज पर ही रह जायेंगी और इन से जिस लाभ की आशा की जाती है, वह प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यदि हमें देश की एकता में विश्वास है तो हमें अल्पसंख्यकों की समस्या का एक संतोषजनक हल निकालना ही होगा । इन पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों और बहुसंख्यक जनसंख्या को यह अपना उद्देश्य बनाना चाहिये कि नये राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की उतनी ही रक्षा की जायेगी जितनी कि पहले की जाती थी और अल्पसंख्यकों को इस विषय में आश्वासन दिया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस मामले को सब से अधिक प्राथमिकता दी जाये ।

यह कहा जायेगा कि राज्यपाल अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के रक्षक होंगे । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मुख्य मंत्रियों और मंत्रिमंडलों के इच्छानुसार चलना होता है । इस लिये गृह-कार्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों में गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से एक केन्द्रीय आयुक्त नियुक्त किया जाये, जो राज्यों और अल्पसंख्यकों के बीच उठने वाली सभी विवादों को गृह-कार्य मंत्रालय को निर्दिष्ट करेगा और गृह-कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से इन मामलों को निपटायेगा, ताकि अल्पसंख्यक यह न समझें कि उन्हें वहां कोई हानि हो रही है ।

मैं चाहता हूं कि इन दो बातों को विधयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में या किसी अन्य तरीके से स्पष्ट कर दिया जाये । यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि अन्त में पांच वर्षों के बाद भारत में पांच क्षेत्रीय राज्य बनेंगे । इसके बाद, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना स्थान बनाये रखने के लिये हमारा अगला कदम यह होगा कि अगले पांच वर्षों में भारत को एकीय प्रकार का राज्य बनाया जाये । देश में शान्ति स्थापित करने का एकमात्र तरीका यही है कि एकीय प्रकार का राज्य बनाया जाये जोकि समाज़वादी लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित हो और जिसमें सब लोगों को समान रूप से मूल अधिकार प्राप्त हो ।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनेवेली) : राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा के समय इस सदन में बहुत कट वचन भी कहे गये थे जिससे सारे देश में अव्यवस्था फैल गई थी । मैं सदन का ध्यान रिपोर्ट में बही गई दो बातों की ओर दिलाता हूं । पहली यह है कि पुनर्गठन का उद्देश्य भारत की एकता

[श्री थानू पिल्ले]

और सुरक्षा होना चाहिये। दूसरी यह है कि कल के साथी आज आपस में लड़ रहे हैं और वे भूल जाते हैं कि सब राज्य भारत ही के अंग हैं। मैं चाहता हूं कि सदन इन दो बातों को याद रखे। कहा गया है कि यह अस्थायी प्रकृति है और अपने आप दूर हो जायेगी किन्तु इसके दूर होने का अभी तक कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। भाषा के आधार पर देश का विभाजन करने से एकता स्थापित नहीं हो सकती है। आप देखेंगे कि वे लोग जो "मेरा राज्य, मेरी भाषा, मेरा देश" चिल्लाते हैं, अधिकतर भूत-पूर्व मंत्री हैं या वे लोग हैं जो अपने पदों से हाथ धो बैठे हैं। कुछ सरकारी पदाधिकारी भी यह समझत हैं कि भाषावार राज्य बनने से उनकी पदोन्नति हो सकेगी और बेकार लोग यह समझते हैं कि उन्हें नौकरियां मिल जायेंगी। यह उन लोगों की मनोवृत्ति है जो भाषाओं के नारे लगाते हैं और साथ-साथ यह भी कहते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिये। भारत की एकता के समर्थक होते हुये भी वे इकट्ठे नहीं रह सकते हैं और अपने छोटे-छोटे राज्यों में मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं। वे जन-साधारण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और न ही जनसाधारण उन की बातों या तर्कों को समझते हैं। हमारी नीति सत्य और अहिंसा की रही है, आज इसके क्या अड़चन पड़ गई है यह मुझे ज्ञात नहीं है। देश की जनता निर्धन है वह केवल पेट भर भोजन और रहने को मकान चाहती है।

१९४९ में आंध्र राज्य के बनाने से यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि हिंसा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बम्बई में वही चीज दुहराई जा रही है। मैं समझता हूं कि मध्य मार्ग अपनाने से हमें बहुत हानि हुई है। एक निश्चित निर्णय कर के हमें उस पर दृढ़ रहना चाहिये।

बम्बई के प्रश्न के सम्बन्ध में, महाराष्ट्रीय कहते हैं कि गुजरातियों को उनमें विश्वास नहीं है। गुजराती कहते हैं कि महाराष्ट्र वालों की बहुसंख्या है, इसलिये वे उनके साथ नहीं रह सकते। क्या गुजरातियों का जिन्होंने महात्मा गांधी पैदा किया यह डर उचित है, युक्ति युक्त है, दूसरी ओर महा-राष्ट्रीय यह कहते हैं कि गुजराती उन का आदर नहीं करते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मैं समझता हूं कि दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं महाराष्ट्रियों से अपील करता हूं कि वह मुरारजी देसाई को नहीं, बल्कि महात्मा गांधी को ध्यान में रखें। इसी तरफ मैं गुजरातियों से भी कहूंगा कि वे गाडगील को नहीं, बल्कि गोखले और तिलक को ध्यान में रखें।

हमारे नेतागण बड़े बहुभाषी राज्य गठित करके भारत की एकता को कायम रखना चाहते हैं किन्तु यह उपनेता किन्हीं उद्देश्यों के कारण विभिन्न दिशाओं में खींचतान कर रहे हैं। इन्हीं लोगों द्वारा जनता को भड़काया जाता है। इस देश में कोई युवक हड़ताल और प्रदर्शन आयोजित करे तो उसे काफी आदर दिया जाता है। उसका एक ही शब्द सभी महत्वपूर्ण मामलों में अन्तिम होता है। यदि राज्यों के पुनर्गठन में भी हम यही प्रणाली अपना रहे हैं तो मुझे खेद है कि हम देश की काफी हानि कर रहे हैं। यदि राज्यों का पुनर्गठन हम भाषा के आधार पर कर रहे हैं तो कालान्तर में उसकी प्रत्येक इकाई आर्थिक दृष्टि से निर्धन होगी और राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाये तो एक छोटे राज्य की आवाज का कमजोर होना संभव है। इसका परिणाम यह होगा कि केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ते जायेंगे और विघटन होकर रहेगा।

कल श्री गुरुपादस्वामी ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना से अन्ततः वह क्षेत्रीय राज्य बन जायेंगे और अन्ततोगत्वा वह स्वतंत्र एकक हो जायेंगे। क्या सरकार का उद्देश्य यह है कि छोटे राज्य बनाये जायें ताकि उनमें विरोध करने की शक्ति न रहे। हम चाहते हैं कि संघ में सभी को समान आदर प्राप्त हो और सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिले। यदि हमारा उद्देश्य यही है तो आर्थिक समृद्धि के लिये अधिक बड़े राज्य आवश्यक होंगे। यदि छोटे-छोटे राज्य भाषा के आधार पर गठित किये गये तो इससे कठिनाइयां उत्पन्न होंगी क्योंकि उस प्रदेश के लिये संसाधन उपलब

नहीं होंगे । ऐसी स्थिति में केन्द्र कुछ करना भी चाहे तो वह कुछ कर नहीं सकेगा क्योंकि राज्य आपस में लड़ते रहेंगे ।

यही बात दक्षिणी राज्यों पर भी लागू की जा सकती है । वह बहुत छोटे हैं। संसाधन किसी एक क्षेत्र में हैं और जिन क्षेत्रों में संसाधनों को काम में लाया जा सकता है वह किसी दूसरे क्षेत्र में हैं। इसलिये यह स्वाभाविक है कि वहां सहकारिता या समन्वय नहीं होगा। इसलिये देश के आर्थिक विकास के लिये यह नितांत आवश्यक है कि राज्यों का पुनर्गठन क्षेत्रीय आधार पर, आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाये और न केवल भाषा के आधार पर ।

†**श्री नाम्बियार** (मयूरम) : क्या वह दक्षिण प्रदेश का अनुमोदन करते हैं ?

†**श्री थानू पिल्ले** : जो व्यक्ति बड़े राज्यों की कल्पना नहीं कर सकते हैं और जो किसी ऐसे दल के सदस्य हैं जो छोटे राज्यों का निर्माण करके दारिद्रय का उपयोग करना चाहते हैं उनकी यह कल्पना है। मैं कहता हूं कि आर्थिक विकास के लिये बड़े राज्य गठित किये जायें। माननीय सदस्य पूछ बैठते हैं कि दक्षिण प्रदेश का क्या होगा (**अन्तर्बाधायें**) । मैं कांग्रेस दल के अपने मित्रों से अपील करूंगा कि ऐक्य केरल का निर्माण वांछनीय नहीं है। यह केवल कम्यूनिस्ट पार्टी है जो केरल, बंगाल और अन्यत्र छोटे राज्यों का निर्माण करके निर्धनता को कायम रखना चाहती है । मैं उनको चुनौती देता हूं कि यदि उनका दल सक्रिय है और यदि वह अपनी कल्पना में विश्वास करते हैं तो उन्हें अधिक बड़े राज्यों के निर्माण में हमें सहयोग देना चाहिये किन्तु उनमें इतनी क्षमता नहीं है और मौलिकता भी नहीं है। यदि अन्ततोगत्वा भाषा के आधार पर विभाजन किया जाना है तो यह विभेद क्यों है ? देवीकुलम्, पीरमेडी और गुडुलूर के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । मद्रास, देवीकुलम् और पीरमेडी चाहता है क्योंकि वह प्रधानतः तामिलभाषी क्षेत्र हैं ।

गुडुलूर में मल्याली बहुमत में हैं किन्तु मद्रास उसे इसलिये चाहता है क्योंकि वहां कुन्डा परियोजना है और विद्युत् शक्ति होगी और प्राकृतिक संसाधन और अन्य बातें भी होंगी। केरल मलाबार को चाहता है क्योंकि वहां मल्याली बहुमत में हैं किन्तु वह दक्षिणी ताल्लुक छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि वहां धान की कृषि होती है। अन्ततोगत्वा राज्यों की भाषायें प्रादेशिक भाषायें होंगी। वह विश्वविद्यालयों की भाषा भी होगी। तब भारत की एकता का क्या होगा ? यदि भाषा और भाषावाद को इस तरह सभी स्तरों पर पनपने दिया गया तो एकता नहीं रह सकेगी।

त्रावनकोर-कोचीन के मन्दिरों की निधियां और सम्पदायें सरकार ने ले ली हैं और मन्दिरों के खर्च के लिये प्रतिवर्ष ५१ लाख रुपया दिया जाता है। इसमें से मद्रास राज्य में आने वाले दक्षिणी ताल्लुकों को १५–२० लाख रुपये मिलना है किन्तु इस विधेयक में केवल ४·५ लाख रुपये दिये गये हैं। हमें इस बात की चिंता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप कहीं मन्दिरों की स्थिति शोचनीय न हो जाये । आखिरकार मन्दिर हमारे राष्ट्रीय स्मारक और संस्कृति के स्थान हैं। उनकी इस तरह उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । कन्याकुमारी और सुचिन्द्रम् के मन्दिर हमारे लिये महत्व रखते हैं और यदि उक्त निधि का समुचित वितरण नहीं किया गया तो संभव है कि मद्रास सरकार आवश्यक वित्त प्रबन्ध न कर सके और इस प्रकार धनाभाव के कारण हमारी समृद्ध संस्कृति को हानि पहुंचे । आपके धर्मनिरपेक्षवाद के बावजूद मेरा निवेदन है कि बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक हिन्दू धर्म ने एकता की भावना दी है जो कि किसी और ने नहीं दी है। संयुक्त समिति से मेरा अनुरोध है कि २० लाख रुपये या जितनी राशि इन मन्दिरों की देखभाल के लिये आवश्यक हो वह दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नियम समिति

तृतीय प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : श्रीमान, मैं नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक—जारी

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला—भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करने वाले व्यक्तियों में से मैं एक हूं । मेरा विश्वास है कि उक्त पुनर्गठन देश के हित में होगा और राष्ट्र का विकास शीघ्र हो सकेगा । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

पिछली बार मैंने कहा था कि केवल दो अपवादों को छोड़ कर देश का विभाजन भाषा के आधार पर किया गया है और वह अपवाद हैं बम्बई नगर और पंजाब राज्य ।

अब मैं यह देखता हूं कि बम्बई नगर को महाराष्ट्र में मिलाने के पक्ष में जनमत इतना प्रबल है कि मेरे विचार से आज नहीं तो कल बम्बई को महाराष्ट्र में सम्मिलित करना होगा ।

मुझे प्रसन्नता है कि पंजाब के लिये भी एक प्रादेशिक योजना बनाई गई है । यह योजना केवल समितियां निर्माण करती है और कुछ सीमित क्षेत्रों के सम्बन्ध में उन को विधान सभाओं को परामर्श देने की शक्ति प्रदान करती है । किन्तु समूचा नियंत्रण विधान-सभा और मंत्रिमंडल पर छोड़ दिया गया है । पंजाब के लिये इतनी अच्छी योजना बनाने के लिये मंत्रिमंडल की उप-समिति को मैं बधाइयां और धन्यवाद देता हूं ।

हमारी कुछ शिकायतें थीं और अब प्रादेशिक समिति सम्बन्धी प्रस्ताव को हमने देश के वृहत्तर हित में स्वीकार कर लिया है । किन्तु इससे कुल हलकों को गलतफहमी हुई है । किन्तु हमने इसे केवल देश के हित की दृष्टि से ही स्वीकार किया है यद्यपि हमारी मूल मांग इससे अधिक थी ।

जैसा कि मैंने कहा अब केवल हमें ही अपवाद रह गया है । एक से अधिक माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है । इससे मेरी अतीत की स्मृतियां सजीव हो उठी हैं किन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रस्ताव को स्वीकार करने पर हमें कोई खेद नहीं है । ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं हमारी यह धारणा प्रबल होती जाती है कि हमने ठीक ही किया है और मौजूदा स्थिति में देश के हित के लिये यह आवश्यक भी है । किन्तु दुर्भाग्य की बात है इस बात को सही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा है । कुछ कहते हैं कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, कोई अन्य कहते हैं कि हमारे उद्देश्य प्रामाणिक नहीं थे किन्तु कोई यह नहीं कहता है कि देश के हित में हमने सही बात की है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मुझे इस बात पर आपत्ति है ।

†**सरदार हुक्म सिंह** : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं । कम से कम कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनका दृष्टिकोण सही है ।

श्रीमान, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ हलके आंदोलन कर रहे हैं । पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी किसी बात से सहमत नहीं होते हैं । यदि हम सरकार से यह कह दें कि हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें संतोष हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसी बातें देश, जनता अथवा उसके किसी भाग के लिये अच्छी नहीं हैं। यदि वास्तव में कोई आशंका है तो मेरा उन सभी मित्रों से अनुरोध है कि हम सभी मतभेदों को दूर करके कोई हल निकालें। हमने उनसे इस आशय का अनुरोध किया भी था किन्तु उसका उत्तर उन्होंने यह दिया था कि हम अब सही पथ पर जा रहे थे और वह दो-तीन वर्षों के बाद इस बात का निर्णय करेंगे कि वास्तव में हमारे उद्देश्य प्रामाणिक थे या नहीं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम कुछ वर्षों के लिये परिवीक्षाधीन अन्तर्गत हैं तो उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दिया था।

जो प्रादेशिक सूत्र बनाया गया है उससे तो कुछ एक विषयों के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राप्त होती है। हमारी यह शिकायत है कि गत १० वर्ष में हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हुआ है। इससे हमें मंत्रणा देने का भी अवसर मिलता है।

कुछ लोगों का विचार था कि पंजाबी सूबा नहीं दिया जायेगा। पंजाब के लोगों में आपस में ही मतभेद था और वे एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। अब जो व्यक्ति विरोध कर रहे हैं उनका मत था कि पंजाबी सूबा न दिया जाये। उन्हें आशा थी कि अकाली आन्दोलन करेंगे और सरकार उन्हें दबायेगी। उन्होंने देश के अन्य राज्यों में जाकर यह प्रचार किया कि जब अकाली आन्दोलन करें तो सिखों को सब राज्यों से बलपूर्वक निकाल दिया जाये। परन्तु हमने देश के और अपने हित के लिये इस योजना को सद्भावना और ईमानदारी से कार्यान्वित करना ठीक समझा और मैं चाहता हूं कि हमारे भाई भी सद्भावना और सहयोग से काम करें। परन्तु हमारे स्वीकृति न देने पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और कई बार वे कहते हैं कि इसमें कोई गुप्त बात है जो उनको नहीं बताई जाती है। इस प्रकार लोगों में निराधार डर और शंका पैदा करना उचित नहीं है।

अतः मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम ईमानदारी से इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं। एक बार एक सदस्य की इच्छानुसार निर्वाचन क्षेत्र न बनाये जाने पर कहा गया था कि पंजाब में सिख राज की नींव रख दी गई है। अब भी ऐसा ही कहा जाता है कि प्रादेशिक योजना द्वारा सिख राज की नींव रख दी गयी है। इस बारे में हमें शिकायत है। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि उनका डर निराधार है। हम उनके साथ बैठ कर सारे मतभेद दूर कर सकते हैं। इसके लिये मैं अपने सब माननीय मित्रों से अपील करता हूं।

पंजाब की वास्तव में यह हालत है कि एक समुदाय की संख्या ७० प्रतिशत और दूसरे की ३० प्रतिशत है। इसके कारण हीन भावना और अहम भावना पैदा हो गई है। इसी के कारण सारी कठिनाई हो रही है। यदि ७० प्रतिशत संख्या वाला समुदाय बहुसंख्या के आधार पर लाभ प्राप्त करता रहता तो वह सिखों को यह कहकर भयभीत कर सकता था कि आप ३० प्रतिशत हैं अतः आप सफल नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि सिख राष्ट्र विरोधी हैं, वे भारत से अलग होकर पाकिस्तान के साथ मिल जायेंगे। इस प्रकार की बातें करके वे लोगों का समर्थन प्राप्त करते। अतः हरियाना और सिख दोनों ही असन्तुष्ट थे। अब पंडित ठाकुर दास भार्गव सुरक्षित हैं क्योंकि वे जो कुछ चाहते थे उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया है और अब हरियाना के ५५ लाख लोगों का भय दूर हो गया है। परन्तु जालंधर डिवीजन के लोग यह अनुभव करते हैं कि इन ५५ लाख लोगों के निकल जाने से ७० प्रतिशत संख्या नहीं रह जायेगी। इसी कारण वे डर रहे हैं। सिखों को अब यह सन्तोष है कि अब उनके साथ समान व्यवहार किया जायेगा और हम चाहते भी यही थे। अब हमें यह देखना है कि इसे कैसे व्यवहार में लाया जाता है।

इस विधेयक के उपबन्ध इस ढंग से बनाये गये हैं कि पैप्सू की जनता ऐसा अनुभव करती है जैसे पैप्सू को पंजाब ने विजय कर लिया हो। इस भावना को दूर किया जाना चाहिये। उनके मन में खंड १४ घूम रहा है। इस खंड में कोई त्रुटि नहीं है। इसके अनुसार कोई राज्य अपने किसी ज़िले

[सरदार हुक्म सिंह]

में रूपभेद या परिवर्तन कर सकता है। पंजाब राज्य म शायद गलती से फिरोजपुर, जालंधर और कपूरथला की सीमाओं में परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया जिससे पैप्सू के लोग समझने लगे कि इस मामले में उनसे राय नहीं ली जायेगी। विधेयक में उल्लिखित है कि नया राज्य इन दोनों राज्यों के प्रदेशों को मिला कर बनेगा। अतः यदि जिलों का पुनर्गठन किया जाना हो तो दोनों के परामर्श से किया जाना चाहिये।

अब मैं खंड २९ के बारे में कहूंगा। इस में उपबन्धित है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नये विस्तृत राज्य के चुने गये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समझा जायेगा। अतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही होंगे जो इस समय पंजाब में हैं। परन्तु कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिससे पैप्सू वाले भी इस निर्वाचन में भाग ले सकते और चाहे उसमें यही लोग चुने जाते। इस उपबन्ध पर संयुक्त समिति को विचार करना चाहिये।

अब मैं खंड ४५ को लेता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा पैप्सू भाग (ख) राज्य है। पंजाब का उच्च-न्यायालय नये राज्य का भी उच्च-न्यायालय होगा, तो पैप्सू उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या होगा। उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोक सेवा आयोग के लिये उपबन्ध किया गया है परन्तु उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये व्यवस्था नहीं की गई है। पटियाला उच्च-न्यायालय बन्द हो जायेगा। इन सब बातों से लोगों की यह धारणा बन गई है कि उन्हें हीन समझा जा रहा है। यही कारण है कि वे पटियाला को राजधानी बनाने पर तुले हुए हैं और शत प्रतिशत लोग इसका समर्थन करते हैं।

अब मैं विधेयक के खंड ४० के बारे में कहूंगा। यह परिसीमन आयोग की स्थापना के बारे में है। मुझे आशा थी कि इस आयोग के संस्थिति में कुछ परिवर्तन किया जायेगा क्योंकि उच्चतम या उच्च-न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पर्याप्त स्वतन्त्रता से कार्य नहीं करते हैं। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है क्योंकि पिछली बार मैं इस आयोग का सह-सदस्य था। मैंने देखा कि यह सेवा निवृत्त न्यायाधीश कार्यपालिका की हां में हां मिलाते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिये कि स्वतन्त्रता और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति आयोग में रखे जायें।

एक उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार पांच सह-सदस्य नामजद करेगी। यदि इस संख्या को घटाना हो तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं बल्कि अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाना चाहिये अन्यथा यह समझा जायेगा कि सब दलों के साथ न्याय नहीं किया गया है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अपने राज्य के लिये तो नहीं परन्तु भारत के अन्य भागों के लिये मैं पुनर्गठन आवश्यक समझता था। मैं प्रादेशिक परिषदों का भी स्वागत करता हूं। मैं फिर अपने मित्रों से अपील करता हूं कि हम मिलकर काम करें और आगे बढ़ें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपार्ट आउट (प्रकाशित) होकर हमारे सामने आई थी, उसके बाद हमने देखा कि देश में एक तरह से खलबली मच गई थी। सब लोग इस इंतिजार में थे कि कब राज्य पुनर्गठन बिल हमारे सामने आये और कब हमें पता चले कि आखिरी शक्ल राज्यों की क्या होने वाली है। अब वही राज्य पुनर्गठन बिल इस भवन के सामने पेश कर दिया गया है और उस पर पिछले दो दिनों से बहस हो रही है। राज्यों का पुनर्गठन करने का उद्देश्य क्या है? पुनर्गठन का उद्देश्य यह है कि ऐसे ढंग से राज्यों की रचना हो कि जिससे राज्य व्यवस्था पहले से बेहतर हो सके और राज्यों की आर्थिक उन्नति हो सके और राज्य हर तरह से उन्नति कर सकें। एक उद्देश्य यह भी था कि न सिर्फ एक खास राज्य के लोगों की उन्नति हो बल्कि सारे देश की उन्नति हो। अब जो बिल हमारे सामने है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इन सब उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं। एक सबसे जरूरी चीज यह भी है कि हर एक

राज्य के लोगों को स्वशासन का अधिकार भी मिले और प्रजातंत्रात्मक ढंग से किसी एक प्रांत की हकूमत चले। अब हमें यह देखना है कि क्या इस बिल के जरिये से यह जो स्वशासन का अधिकार है यह बढ़ता है या घटता है। अगर हम इस आखिरी बात को देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश के कई इलाके ऐसे थे जिनमें कि पहले लोगों को स्वशासन का अधिकार था; प्रजातंत्रात्मक अधिकार था, परन्तु अब उनसे इन अधिकारों को छीना जा रहा है। अब इस राज्य पुनर्गठन बिल से सबसे ज्यादा जिन स्टेट्स (राज्यों) के लोगों को नुकसान पहुंचा है वे पार्ट सी० स्टेट्स ('ग' श्रेणी राज्य) हैं। उन पार्ट सी० स्टेट्स को जिन को किसी राज्य में मिलाया जा रहा है और एक बड़ा राज्य बनाया जा रहा है उनके तो प्रजातंत्रात्मक अधिकार कायम हैं और कायम रहेंगे। उनको एक बड़े प्रांत के अन्दर कार्य करने का अब मौका मिलेगा। लेकिन मैं उन स्टेट्स के बारे में कहती हूं जहां पर कि प्रजातंत्रात्मक अधिकार पहले थे लेकिन अब उनसे इन अधिकारों को छीना जा रहा है और इससे वे बजाय प्रगति करने के पीछे हटाई जा रही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छे-अच्छे प्रगतिशील इलाके, प्रगतिशील स्टेट्स जैसे बम्बई है जो कि अब तक पार्ट 'ए' स्टेट ('क' श्रेणी राज्य) में थी और दिल्ली है जो कि अब तक पार्ट सी० स्टेट थी, उनसे वे सब अधिकार छीन लिये जायेंगे जो उनको अब तक प्राप्त थे। अब उनको डी० क्लास ('घ' श्रेणी) स्टेट के अधिकार इस बिल के द्वारा प्राप्त होंगे, यह मुझे आपको बताना है। इन इलाकों में हिमाचल प्रदेश भी है। मनीपुर और त्रिपुरा जो पहले से अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिये लड़ रहे थे उनको तो वे अधिकार नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरे इलाके के लोगों को जो ये अधिकार हासिल थे उनसे वे छीने जा रहे हैं। मैं खास कर दिल्ली के बारे में कहूंगी।

किस वजह से दिल्ली से स्वशासन के और प्रजातांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं? स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में इसका एक कारण तो यह दिया गया है कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है, यहां के लोगों के पास पोलीटिकल ट्रेडीशन (राजनीतिक परम्परा) नहीं है, राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिये वे अपने राज्य का काम अच्छी तरह से नहीं चला सकते और इस कारण उनसे यह अधिकार छीना जा रहा है। यह बात शायद और किसी इलाके के लिये ठीक हो लेकिन कम से कम दिल्ली के लिये तो यह बात लागू नहीं हो सकती। दिल्ली कोई देहाती इलाका नहीं है। दिल्ली सदियों से हिन्दुस्तान की राजधानी रही है। दिल्ली के लोगों में राजनीति कूट-कूट कर भरी है। आप पुरानी बातें छोड़ दीजिये। आप आज की बात लीजिये। आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारी आजादी की लड़ाई हुई है उसमें दिल्ली के लोगों ने कितना शानदार हिस्सा लिया है। वे लोग कुर्बानी देने में किसी से पीछे नहीं रहे, काबलियत में किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन आजाद होने के बाद हमसे राजनीतिक और प्रजातांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं, यह कह कर कि हम पिछड़े हुए लोग हैं और हमें राज्य का काम चलाने का अनुभव नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो दिल्ली के लोग सारे हिन्दुस्तान के नेता बनाये जा सकते थे। लेकिन आज हमारी ऐसी हालत है कि हमारे पास ऐसे नेता भी नहीं हैं जो कि दिल्ली के छोटे से राज्य का काम संभाल सकें। इसलिये दिल्ली से स्वशासन का और प्रजातांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। शायद इसका कारण यह है कि दिल्ली की हुकूमत का काम अच्छा नहीं रहा। अगर उसका काम अच्छा रहा होता तो हो सकता है कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में कुछ और बात होती। मगर इस वजह से दिल्ली के लोगों को सजा देने का तो कोई कारण नहीं है। अगर दिल्ली की सरकार में अच्छे नेता नहीं आ सके तो इसके लिये दिल्ली कांग्रेस कमेटी का भी कुसूर नहीं है, बल्कि इसमें हिन्दुस्तान की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी (कार्यकारिणी) का कुसूर है कि वह ठीक आदमी नहीं चुन सकी। उसको आदमी चुनते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिये था कि वे ऐसे आदमी चुने जो कि काम संभाल

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सकें। अगर वे ठीक लोगों को चुनते तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली में काबिल लोगों की उनको कमी नहीं मालूम होती। दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहां के काम को अच्छी तरह से कर सकते थे। दिल्ली में वैसे ही बहुत काबिल आदमी पहले से मौजूद थे। इसके अलावा पिछले सालों में दिल्ली की आबादी बढ़ कर दुगनी हो गयी है क्योंकि वैस्ट (पश्चिम) पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आकर बसे हैं। इनमें बहुत से बड़े-बड़े वकील हैं, बड़े-बड़े डाक्टर हैं और बहुत से शिक्षित लोग हैं। अगर आप चाहते तो उनमें से तीन-चार ऐसे आदमी आसानी से चुन सकते थे जो कि दिल्ली का काम चला सकते। तो दिल्ली पर यह चीज लागू नहीं हो सकती कि यह पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिये यहां के स्वशासन के और प्रजातांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं।

इसी तरह से अगर आज बम्बई को भी इसी हालत में डाला जाता है तो उसके लिये तो यह बात और भी लागू नहीं हो सकती।

आज अगर आप एक ऐसे इलाके से, जिसमें ८२ परसेंट अरबन (प्रतिशत शहरी) आबादी है, यह कहें कि तुमको मतदान का अधिकार नहीं है और हम तुम से स्वशासन का अधिकार छीन रहे हैं, तो ऐसा करके आप प्रगति के बजाय पीछे हटायेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि ऐसा करके हम देश को आगे बढ़ायेंगे।

फिर एक सवाल वायेबिलिटी (अस्तित्व योग्यता) का है, यानी इलाके के पास काफी रुपया होना चाहिये। जिन स्टेट्स के पास काफी रुपया नहीं है उनसे यह अधिकार हटाया जा रहा है। इसका जवाब दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने एक छोटा सा पैमफ्लेट निकाल कर अच्छी तरह से दे दिया है। श्री देशबन्धु गुप्ता, जिन्होंने कि दिल्ली के लिये बड़ी लड़ाई लड़ी थी और जो कि आज हमारे बीच में नहीं हैं, ने कहा था कि अगर दिल्ली को इन्कम टैक्स (आयकर) का और एक्साइज (उत्पादन शुल्क) का उसका पूरा हिस्सा दिया जाये तो उसके पास काफी पैसा हो जायेगा। फिर देखना चाहिये कि दिल्ली में लोकतंत्रात्मक हकूमत चलाने के लिये कितना खर्चा ज्यादा होता है। दिल्ली की असेम्बली और मिनिस्ट्री (विधान सभा और मंत्रिमंडल) पर सात लाख रुपया सालाना खर्चा होता है जो कि चार आना पर हैड (प्रति व्यक्ति) हर साल आता है। इतने रुपये से दिल्ली स्वशासन को चला सकती है। अब दिल्ली की पुलिस का खर्चा बहुत बढ़ गया है। वह १२ लाख से २० लाख हो गया है। लेकिन यह खर्चा इसलिये बढ़ा है कि दिल्ली राजधानी है और यदि राजधानी होने के कारण यह खर्चा बढ़ा है तो राजधानी को इसमें दिल्ली का हाथ बंटाना चाहिये। उसका जिम्मा दिल्ली स्टेट पर नहीं डाला जाना चाहिये। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पैसा दिया जाये तो वह अपना काम अच्छी तरह से चला सकती है और आप इस बिना पर भी उसका स्वशासन का और प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं छीन सकते।

दिल्ली ने बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद यह अधिकार प्राप्त किया है। इसके लिये सन् १९२८ से लड़ाई चल रही है। उसके बाद सन् १९३० या ३२ में राउंडटेबिल कानफरेंस (गोलमेज सम्मेलन) के दिनों में यह बहुत जोरों से महसूस किया गया कि दिल्ली को अधिकार मिलने चाहिये। उस समय महात्मा गांधी ने खुद दिल्ली को इस बारे में अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद सन् १९४७ में पट्टाभि कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया और कहा कि दिल्ली को अधिकार मिलना चाहिये। इसके बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूं लेकिन मैं इसको फिर इसलिये दुहराये देती हूं कि हमारे अधिकारी कम सुनते हैं। उनको बातें याद नहीं रहतीं। पट्टाभि कमेटी ने यह कहा था कि राजधानी होने के नाते दिल्ली का एक विशेष महत्व है और यहां के नागरिकों को आत्म-निर्णय के अधिकार से वंचित नहीं

करना चाहिये। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि जो अधिकार आप ग्रामवासियों तक को दे रहे हैं उससे दिल्लीवासियों को क्यों वंचित करते हैं। अगर ऐसा किया गया तो यह अन्याय होगा। इस बारे में मैं आपको कांग्रेस के एक दर्जन रिजोल्यूशन (संकल्प) पढ़ कर सुना सकती हूं जिनमें यही ख्यालात जाहिर किये गये हैं। इस समय मैं केवल सन् १९३८ का एक रिजोल्यूशन कोट (उद्धृत) करती हूं। वह इस प्रकार था कि कांग्रेस फेडरेशन के विचार के विरुद्ध नहीं है पर वास्तविक फेडरेशन में सम्मिलित होने वाली इकाइयों को वही स्वतन्त्रता और नागरिक आजादी होनी चाहिये।

लेकिन आज वही कांग्रेस दिल्ली को उसके अधिकारों से वंचित करने में आगे बढ़ रही है।

अब दिल्ली के बारे में कुछ प्रेक्टिकल (व्यावहारिक) बातें लीजिये। अगर दिल्ली का लेजिस्लेचर (विधान मंडल) हटा दिया जायेगा तो दिल्ली का काम खत्म नहीं हो जायेगा। दिल्ली की लेजिस्लेटिव जरूरतें खत्म नहीं हो जायेंगी। वह काम पार्लियामेंट (संसद्) को करना होगा। लेकिन हम लोग जो कि यहां बैठते हैं यह जानते हैं कि यहां सारे हिन्दुस्तान का काम होता है और उसको बड़ी मुश्किल से खत्म कर पाते हैं। यह पार्लियामेंट जो सारे फेडरेशन का काम करती है वह एक छोटी सी स्टेट का काम कहां तक संभाल सकेगी। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहती हूं। दिल्ली में इस समय पंजाब के १४३ ऐक्ट प्रामुलगेट (प्रख्यापित) हुए हैं और उनसे दिल्ली का काम चल रहा है। आज सुबह स्पीकर (अध्यक्ष) साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट के बारे पंजाब ऐक्ट (अधिनियम) के मातहत सुरक्षा का प्रबन्ध है। अब इन ऐक्ट्स को दोबारा अमेंड (संशोधित) करके पास (पारित) करने की जरूरत है। लेकिन इसको आज तक नहीं किया जा सका है। अब आप बतलाइये कि क्या यह पार्लियामेंट इस काम को कर सकेगी, मैं इस समय और बाकी कानूनों को छोड़ देती हूं जिनकी कि दिल्ली को जरूरत है। कितने साल में पार्लियामेंट इन कानूनों को पास कर सकेगी। नतीजा यह होगा कि दिल्ली का लेजिस्लेटिव काम बहुत पिछड़ा रहेगा।

इसके अलावा लेजिस्लेचर का एक काम यह भी है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के काम की नुक्ताचीनी करे और उसकी खराबियां बतलावे। इस काम का इस पार्लियामेंट को कहां मौका होगा। मैंने दिल्ली के बारे में १५ सवाल दिये पर यहां उनमें से एक भी एडमिट नहीं हुआ। और अगर सवाल एडमिट हो भी जाते हैं तो यहां लिस्ट (सूची) इतनी बड़ी होती है कि उनका नम्बर नहीं आ पाता। न दिल्ली के मामलों को यहां डिसकस (चर्चा) करने का समय मिल सकता है। तो आप चाहे बम्बई को लीजिये या दिल्ली को लीजिये, जो भी एरिया सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड (केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र) होगा उस पर आप ध्यान नहीं दे सकेंगे। इसलिये मैं कहती हूं कि दिल्ली के लिये लेजिस्लेचर की बहुत जरूरत है। मैं पूछती हूं कि आप दिल्ली से डैमोक्रेटिक सैट अप (लोकतंत्रात्मक व्यवस्था) क्यों हटाना चाहते हैं। क्या इसलिये कि यह दिल्ली को बदकिस्मती है कि यहां पर हिन्दुस्तान की राजधानी कायम की गयी है।

चूंकि दिल्ली सारे भारतवर्ष की राजधानी है इसलिये दिल्ली के निवासियों को इस प्रजातांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार दिल्ली के ऊपर अपना खास अधिकार रखना चाहती है और दिल्ली को केन्द्र द्वारा प्रशासित करने के पक्ष में वाशिंगटन और कैनबरा के उदाहरण दिये गये लेकिन मैं उनको बतलाना चाहती हूं कि वाशिंगटन और कैनबरा और दिल्ली में बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली आज से इस देश की राजधानी नहीं है बल्कि एक जमाने से वह देश की राजधानी चली आती है। यहां की तिजारत देश में अपना एक खास स्थान रखती है और दिल्ली वालों से यह डेमोक्रेटिक सेट अप छीन कर आप बड़ा अन्याय कर रहे हैं। फिर सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि आपने यह फैसला कर लिया कि पार्ट सी० स्टेट्स आप खत्म कर देंगे, कुछ बड़ी स्टेट्स में मर्ज (संविलयित) हो

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

जायेंगी और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट टेरिटरीज़ (केन्द्रीय सरकारी प्रदेश) बन जायेंगी। जिनको कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी बनाने वाले हैं वहां के लोगों को कम से कम यह तो मालूम हो जाना चाहिये कि उनका क्या हाल होगा। इस एस० आर० सी० बिल में कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई देती जिससे कि यह मालूम हो सके कि जिन स्टेट्स को खत्म किया जा रहा है उनका क्या हाल होगा।

"दी कांस्टीट्यूशन (नाइंथ अमेंडमेंट) बिल [संविधान (नवां संशोधन) विधेयक] के सफा ९ पर आर्टिकल (अनुच्छेद) २३९ में यह बताया गया है कि यूनियन टेरिटरीज़ (संघीय प्रदेशों) का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जायगा। आर्टिकल २४० में प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) द्वारा यूनियन टेरिटरीज़ के लिये रेगुलेशंस (विनियम) बनाने का जिक्र है। इसके अलावा मैं आपका ध्यान और सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के मेम्बरों का ध्यान खास तौर से इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जो ड्राफ्ट बिल (प्रारूप विधेयक) राज्यों में सर्कुलेट (परिचालित) किया गया वह इस मौजूदा बिल जो कि हाउस (संसद्) के सामने पेश है उसके आर्टिकल २३९ से मुख्तलिफ है। इसमें आपने जो पार्लियामेंट को अधिकार पहले के मुताबिक हासिल था, उसको इसमें खत्म कर दिया है और इसको एक प्रतिक्रियावादी रूप दिया है। पार्लियामेंट के अधिकार की आपने इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी। मैं नहीं समझती कि इस तरह की तबदीली जब से आपने इस बिल को सर्कुलेट किया और जब से यह मौजूदा बिल हाउस में आया, इस दरमियान में कौन-सी ऐसी बात हो गई जिसकी कि वजह से यह तबदीली आपको करनी पड़ी। मुझे तो बिल के उन क्लाजेज (खण्डों) को जिनके कि जरिये आप पार्ट सी० स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट टेरिटरीज़ बनाने जा रहे हैं और जो कि हमारे ऊपर लागू होने वाले हैं उनको देख कर हैरानी होती है।

मैं चाहती हूं कि सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें और इस तरह के रिएक्शनरी क्लाज (प्रतिक्रियावादी खण्ड) मेरी समझ में बिल में नहीं रहना चाहिये। इसके जरिये आप पार्ट सी० स्टेट्स के अधिकारों को ही नहीं छीन रहे हैं बल्कि आप पार्लियामेंट के भी अधिकार को छीन रहे हैं और उसको भी आप उसके द्वारा लिमिट (सीमित) करने जा रहे हैं। मैं यह कहने के लिये मजबूर हूं कि यह डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) की तरफ प्रगति न होकर आटोक्रेटिक रूल (स्वेच्छाचारी शासन) की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कांस्टीट्यूशन का वह प्राविजो (परादिक) ८ जो पार्ट डी० स्टेट्स पर लागू होता है उसको यहां पर सेक्शन ९ में वर्ड बाई वर्ड (अक्षरशः) लगा दिया है। मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर पार्ट सी० स्टेट्स को जिन्होंने कि अपना राज्य चलाया और जिनको कि स्वशासन का अधिकार प्राप्त था, उनको इस अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है? अगर जहां तक कि अच्छी तरह या बुरी तरह राज्य चलाये जाने का सवाल है तो पार्ट सी० स्टेट्स के अलावा क्या और अन्य स्टेट्स नहीं हैं जहां कि शासन ठीक तरह पर न चला हो .....

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : हिन्दुस्तान का भी राज्य काफी बुरा चलता है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : और दूसरी स्टेट्स की बाबत हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कितनी शासन के काम में गड़बड़ हो रही है और मेरा तो कहना यह है कि अगर लोकप्रिय शासन दिल्ली का और पार्ट सी० स्टेट्स को इस लिये खत्म किया जा रहा है कि वहां पर शासन ठीक तौर पर नहीं चलता है तो पार्ट सी० स्टेट्स के अलावा आप पार्ट ए० और पार्ट बी० स्टेट्स में भी लोकप्रिय शासन को समाप्त कर केन्द्र द्वारा उनका प्रशासन कर सकते हैं। आज पार्ट सी० स्टेट्स को खत्म करके उनको पार्ट डी० स्टेट्स का अधिकार दिया जा रहा है और भविष्य में जो थोड़ा-बहुत प्रोटेक्शन (सुरक्षण) का मौका था उसको इस सेक्शन (धारा) २३९ के द्वारा हटा दिया गया है।

दिल्ली को जब से केन्द्र के अधीन लेने की बात चली है तभी से उसके विरोध में दिल्ली की जनता ने पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा तथा अपने लेजिस्लेचर के द्वारा अपना मत प्रदर्शित किया है और केन्द्रीय सरकार से हर प्लेटफार्म से इस बात की अपील की गई है कि वह दिल्ली के निवासियों को लोकतंत्र राज्य से महरूम न करे और ऐसा करके दिल्ली के निवासियों को उनके मतदान के अधिकार से और अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपना काम चलाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

श्री अशोक मेहता : खूंरेजी (रक्तपात) कहां की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी : ठीक है, यह उनकी शायद गलती थी जो उन्होंने शान्तिपूर्ण और वैधानिक उपायों का अवलम्बन किया, क्योंकि अगर खूंरेजी करते और गड़बड़ करते तो शायद उनका काम बन जाता। मैं तो कहूंगी कि दिल्ली की मौजूदा प्रजातांत्रिक ढांचे को तोड़ा न जाय बल्कि दिल्ली जो आज की जरूरत को देखते हुए छोटी हो रही है, आसपास के गांवों को दिल्ली में मिला कर उसका ऐरिया (क्षेत्र) बढ़ाया जाय। उसके आसपास के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के लोग रोजाना दिल्ली में अपने काम से आते हैं और उनका काम-धंधा दिल्ली में ही रहता है, उन इलाकों को दिल्ली में शामिल कर लिया जाय और लेजिस्लेचर दिया जाय। लेकिन अगर आप उसको स्वशासन का अधिकार नहीं देना चाहते हैं और यह अधिकार दिल्ली वालों से छीन लेने पर उतारू हो गये हैं तो कम से कम यह तो कीजिये कि जो ऐडवाइजरी कमेटी (परामर्शदात्री समिति) आप बना रहे हैं वह एलेक्टेड (निर्वाचित) ऐडवाइजरी बाडी हो, नामिनेटेड बाडी (नामजद निकाय) मत रखिये। उस ऐलेक्टेड बाडी को लेजिस्लेटिव पावर्स दीजिये और अगर आप पार्लियामेंट से वह सारा काम करना चाहते हैं तो उन इलाकों के वास्ते पार्लियामेंट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) और वेटेज (गुरूभार) मिलना चाहिये ताकि वे उन इलाकों के वास्ते अपनी आवाज उठा सकें और इन्तजाम कर सकें।

दिल्ली के लिये जो कारपोरेशन (निगम) बनना है उसको ऐसा अधिकार देना चाहिये ताकि तमाम लोकल स्टेचुटरी बाडीज (स्थानीय संविहित निकाय) उसके मातहत हों ताकि कम से कम लोकल गवर्नमेंट (स्थानीय सरकार) का काम वह ठीक तरह से अंजाम दे सके।

मैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बम्बई के ऐसे-ऐसे इलाके जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट टेरिटरीज में शामिल किये जा रहे हैं और जिनको कि आज बेइज्जत किया जा रहा है और जिनके कि प्रजातांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी तरफ से जबर्दस्त प्रोटैस्ट (विरोध) इस हाउस में करना चाहती हूं और सेलेक्ट कमेटी से मेरा अनुरोध है कि वे मेरे सुझावों पर गम्भीरता के साथ विचार करे और उसके अनुसार इस वर्तमान बिल में परिवर्तन करे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बहन की पुरजोर तक़रीर सुनी है और दिल्ली में प्रजातांत्रिक ढांचा बनाये रखने के लिये जो जोरदार वकालत की उसको बगौर सुना और मैं भी दिल्ली के वास्ते चन्द अल्फाज़ अर्ज करना चाहता हूं।

यह दिल्ली का इलाका सारा का सारा पुराना हरियाना शहर है। आज बम्बई के सवाल को लेकर बहुत से लोग लैंग्वेज का क्वैश्चन (भाषा का प्रश्न) उठाते हैं और कल श्री फीरोज़ गांधी ने फ़रमाया कि बम्बई का हिंटरलैंड (पार्श्वभूमि) सारा का सारा मराठी एरिया क्षेत्र है और बम्बई इस तरह बना हुआ है कि उसको महाराष्ट्र में जाना चाहिये। मैं होमलैंड (निवास स्थान) या लैंग्वेज की वजह से किसी स्टेट को बना देने के हक़ में नहीं हूं लेकिन जैसा कि श्री फ़ीरोज गांधी ने फ़रमाया मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि दिल्ली के पीछे यह जितना हरियाना का इलाका है यह और इसके अलावा मेरठ, मथुरा यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सारा का सारा पहले एक इलाका था और सन् ५७ के गदर में सज़ा के तौर पर हमको काट कर फेंक दिया गया और यह इलाके जुदा कर दिये गये। यह सारा हिन्टर लैंड दिल्ली का है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं आपको बतलाऊं कि आप इसी से समझ सकते हैं कि सन् १९०९ में मैंने यहां आ कर प्रैक्टिस शुरू की और १९०२ में मैंने यहीं दिल्ली में इंटरेंस का इम्तिहान दिया क्योंकि मेरा सेंटर (केन्द्र) यहीं था। दिल्ली हरियाने का शहर था। यहां पर हमारा कमिश्नर रहता था और यहां पर हमारा सेशन जज रहता था और यहां पर हम लोग तालीम पाते थे। अब इसकी शक्ल तब्दील हो गई। आज कोई हरियाना वालों की और दिल्ली वालों की बात नहीं सुनता है। आज दिल्ली पूर्ण रूप से बम्बई की तरह सर्वदेशीय है। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली वालों के जो हुकूक हैं वह इस तरह पामाल किये जायें और उनके पास फ्रैंचाइज (मताधिकार) न रहे। जब यह दिल्ली स्टेट बनी तो मैंने अपने मरहूम दोस्त देशबन्धु गुप्त के साथ शाना ब शाना इसके लिये कोशिश की। लेकिन आज जब वह दिल्ली स्टेट यहां से जा रही है तो मुझे दुःख होता है कि दिल्ली वालों से उनका फ्रैंचाइज छीना जा रहा है। मुझे उस दिन की भी याद है जब पट्टाभि कमेटी बनी और हमने दिल्ली के कूचे-कूचे में जाकर कौमी झंडा लहराया और कहा कि दिल्ली के लिये भी उसी तरह से फ्रैंचाइज रक्खो जिस तरह से सारे देश के लिये रखा है। उसी की वजह से जब पार्ट सी० स्टेट्स बनीं तो दिल्ली को भी पार्ट सी० स्टेट बनाया गया। इसके लिये भी एक इलाज है, अपनी बहन की तकरीर सुन कर मैं उनकी खिदमत में वह इलाज पेश करना चाहता हूं, दिल्ली वालों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं और गवर्नमेंट के सामने पेश करना चाहता हूं। मुझे यह मालूम है कि गवर्नमेंट को वह इलाज मंजूर नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली वालों को भी वह इलाज मंजूर होगा या नहीं और उनका क्या हल इसके लिये होगा, लकिन मैं दिल्ली वालों से कहूंगा कि क्यों तुम अपने पुराने मस्किन पर नहीं जाते, क्यों हरियाना प्रान्त में शामिल नहीं हो जाते, क्यों पंजाब में शामिल नहीं हो जाते ?

इसी तरह से मैं हिमाचल प्रदेश वालों के लिये भी कहता हूं क्योंकि मैं वहां की हालत को जानता हूं। आज उनकी हालत को देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है, न उनको फ्रैंचाइज हासिल है और न उनको वह सहूलियतें ही हासिल हैं जो कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों को हासिल हैं। आज वह यूनियन टैरिटरी की तरह पर बन गई है। न उनके पास हाई कोर्ट होगा, न वहां पर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा और न उनके पास फ्रैंचाइज ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि हिमाचल प्रदेश के साथ कोई सख्ती की जाय। एस० आर० सी० की तजवीज़ थी कि पांच वर्ष के बाद उसको पंजाब के साथ मिला दिया जाय। हिमाचल प्रदेश वालों को उस वक्त जो डर था कि अगर उनको पंजाब के साथ मिला दिया गया, जो कि एक तरक्की करने वाली स्टेट है, तो कहीं ऐसा न हो कि वह पिस जायें, उसको मैं समझ सकता था। यह वही शिकायत थी जो कि हरियाना वाले करते थे, उनके दिल में भी वही खदशा (आशंका) था, लेकिन आज वह खदशा रहने की जरूरत नहीं है। अभी आपने हमारे डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) सरदार हुक्म सिंह साहब की तकरीर सुनी है। उनकी तकरीर को सुन कर हिमाचल प्रदेश वालों को जो डर था वह उनको अपने दिल से निकाल देना चाहिये। हिमाचल प्रदेश के लिये बड़ी आसानी से एक तीसरी रीजनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद्) बन सकती थी। मुझे मालूम है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के ही कई मेम्बरान ने यह दरख्वास्त की थी, अब भी एक रिप्रेजेन्टेशन (अभ्यावेदन) की कापी मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने चाहा था कि जो कुछ पांच वर्ष बाद होना है, उसमें हमारी पोजीशन क्यों खराब करते हो, आज ही हमारा अमलगमेशन

(एकीकरण) कर दो और एक तीसरी रीजनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद्) बना दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जहां तक हरियाना प्रान्त और अकालियों का सवाल है वह हर्गिज-हर्गिज इसमें रोड़ा नहीं अटकायेंगे। उनका सारा मामला अब खतम हो चुका है, हम चाहते हैं कि पंजाब बड़ा बने और जो भी हिस्सा पंजाब में आयेगा हम नहीं चाहते कि किसी तरह से उनके बर्खिलाफ काम करें और वहां पर किसी किस्म की कंट्रोवर्सी (वाद-प्रतिवाद) हो। आज पंजाब में किसी के साथ बेइन्साफी नहीं हो रही है, सब के साथ न्याय हो रहा है। अब पंजाब नाम का सूबा बन गया है, अगर वहां पर हिमाचल प्रदेश शामिल हो जाता है तो उसके साथ भी जहां तक हमारा काबू है, हम कोई बेइन्साफी नहीं होने देंगे। आज एस० आर० सी० ने जो सिफारिशें की थीं, वह मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि वहां इंटरनेशनल फ्रंटियर (अन्तर्राष्ट्रीय सीमांत) है। पंजाब में एक ऐसा फ्रंटियर है जिसको कि बहुत मजबूत होने की जरूरत है। जैसी कि आप उम्मीद करते हैं वहां का एक-एक पंजाबी अपने देश के बचाव के लिये अपनी जान दे देगा। वह किसी तरह से भी हिमाचल प्रदेश के मिल जाने से कमजोर नहीं होगा, अगर होगा तो मजबूत ही होगा। एस० आर० सी० की रिपोर्ट में सारी बातें दर्ज हैं। इसके अलावा भाखड़ा डैम (बांध) में हम क्या देखते हैं, बिलासपुर के लोग जो वहां से चले गये वह पंजाब में आकर बसते हैं। सारी बातें जब इस तरह से हो रही हैं तो मैं कोई वजह नहीं देखता कि हिमाचल को पंजाब के साथ न शामिल किया जा सके। हिमाचल की सारी जिन्दगी हमारे साथ वाबस्ता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब दार्जिलिंग का इन्तजाम बंगाल गवर्नमेंट कर सकती है, आसाम के पहाड़ी इलाकों का इन्तजाम आसाम वाले कर सकते हैं, यू० पी० के हिली रीजन्स (पर्वतीय प्रदेशों) का इन्तजाम यु० पी० गवर्नमेंट कर सकती है, तो क्या पंजाब हमारा ऐसा है कि वह हिमाचल प्रदेश का, जो कि हमेशा से उस के साथ रहा है, का इन्तजाम नहीं कर सकता है। अगर आप की नियत यह है कि पांच वर्ष बाद आप उसको पंजाब में शामिल करें तो उसको आज ही कर दें। आप अपनी एड (सहायता) कायम रखें क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में ऐसा पनपे जैसी कोई स्टेट न पनपी हो, उसको जितनी ही एड दी जाय वह ठीक है और हम उसके हक में हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अलग रखने से कोई फायदा नहीं है। जब यही पालिसी (नीति) आपकी तेलंगाना के सम्बन्ध में रही और उसको आपने शामिल कर दिया तो कोई वजह नहीं है कि हिमाचल के साथ आप दूसरा सुलूक करें। इसमें हिमाचल का भी नुक्सान है और हमारा भी। मैं आपको अजमेर की हालत बताता हूं। सरदार पटेल ने अजमेर वालों से कहा था कि तुम राजस्थान में मिल जाओ, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और वैसा नहीं हो सका। आज हम देखते हैं कि वह बड़ी तकलीफ में हैं और महसूस करते हैं कि अगर पहले ही वह राजस्थान में शामिल हो गये होते तो शायद अजमेर ही राजधानी बन गया होता, जयपुर न होता। इसलिये हिमाचल प्रदेश को शामिल करने का यही मौका है और सारे के सारे पंजाबी इस को वैलकम (स्वागत) करेंगे। कोई भी उनमें से इसके बर्खिलाफ नहीं है।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : और दिल्ली को कैपिटल (राजधानी) कर दो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। एस० आर० सी० के सामने भी मेरी यही स्कीम थी कि सारे पंजाब, सारे पेप्सू, हिमाचल, मेरठ और आगरा के डिवीजन और दिल्ली का यह इलाका सबके सब शामिल कर दिये जायें। मेरा अब भी यह कहना है कि तीन करोड़ से कम आबादी का इलाका पंजाब का नहीं होना चाहिये था, क्योंकि मैं यहां हाउस में देखता हूं कि हम तो पंजाब की बात करते रहे, आपस में लड़ते-झगड़ते रहे, आल इंडिया बेसिस (अखिल भारतीय आधार) पर, और पंजाब और पेप्सू के जो मेम्बर यहां बैठे हैं उनकी आल इंडिया मामलों में कोई बात नहीं पूछता। इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट आफ इंडिया में कोई आवाज़ नहीं है। मैं इस को महसूस करता हूं कि जो छोटे इलाके हैं उनकी फिल वाक्य कोई वायस (आवाज) यहां पर नहीं है। इसलिये जो यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जोनल स्कीम (योजना) आई है, उसको मैं बड़ी अच्छी समझता हूं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पंजाब में शामिल हो जायें। कैपिटल के सवाल पर हमें झगड़ा नहीं करना चाहिये। आप पटियाला को कैपिटल बना दें, मुझे कोई उज्र नहीं, या जैसा कृपालानी साहब ने कहा, आप दिल्ली को कैपिटल बना दें, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा ...

उपाध्यक्ष महोदय : पहले शामिल तो हो जाने दीजिये, कैपिटल का फैसला फिर हो जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब जो नई तजवीज़ बनी है उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सरदार हुक्म सिंह ने इसकी वजुहात बड़े अच्छे और खूबसूरत अल्फाज़ में कर दी है। पिछली मर्तबा जब मैं एस० आर० सी० रिपोर्ट पर बोला था उस वक्त मैंने अर्ज किया था, फिल वाक्या सरदार साहब कहते थे कि उनके बड़े भाई की इच्छा नहीं है और बड़े भाई का कसूर है कि उनकी बात को नहीं मानते। उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि जहां तक हिन्दुओं का सवाल है या सिक्खों का सवाल है, हरयाना प्रान्त के लिये वह कहावत क मुताबिक ऋेगज़ व बेगज़ का असर रैगज़ जैसा है अब तक सिक्खों को चाचा कहता था और चौधरी रणवीर सिंह जिनको वह सरदार साहब बड़े भाई कहते हैं, उनको ताऊ कहते थे। पिछले १०० वर्षों में सारे हरियाना प्रान्त में जो चीज़ होती थी वह पंजाबी मुसलमानों को मिलती थी जो कि कुल ५६ फी सदी थे क्योंकि उनकी हकूमत थी। जो बाकी बचता था वह हमारे सिख भाइयों को, जो कि हमारे पंजाबी भाइयों के जो ताऊ हैं, मिलता था। मक्खन और मलाई उनके पास चला जाता था। बाकी जो छाछ बच रहती थी उस पर हमारा गुजारा चलता था। लेकिन बावजूद इसके हम में कोई इन्फीरियारिटी कामप्लेक्स (हीनता की मनोवृति) नहीं आया। हमारे सरदार हुक्म सिंह साहब ने तो मेरी ताईद की थी जब मैंने २३ दिसम्बर को सारे फिगर्स (आंकड़े) हाउस में दिये थे कि हमारे साथ १०० वर्षों में कितना जुल्म किया गया। लेकिन आज जब यह रीजनल स्कीम आई है, जहां तक हरियाना प्रान्त का सवाल है, वह भी इससे खुश हैं, अकाली भाई भी इससे खुश हैं और इस मौके का फायादा उठाते हुए मैं अपने सिख भाइयों को फिल वाक्य मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज मैं इस झगड़े में नहीं जाना चाहता कि पंजाबी सूबे का मतालबा ठीक था या नहीं, लेकिन जो यह रीजनल स्कीम है उसको हमने मंजूर किया है और उसको अमल में लाने के लिये तैयार हैं। मान लीजिये, जैसा कि हमारे सिख भाई फरमाते हैं, कि इसलिये कबूल किया कि इस वक्त देश के मामलात नाजुक हैं, इस वास्ते मैं और भी मुबारकबाद देता हूं। अगर यह स्कीम दुरुस्त है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर दुरुस्त नहीं है और ऐसी हालत में भी वह स्कीम को मंजूर करते हैं, तो मैं उनको और भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। पंजाब के अन्दर वही सोल्यूशन (समाधान) कामयाब हो सकता है जिसे पंजाब के लोग ज्यादा दुरुस्त समझें। रीजनल स्कीम के जो डिटेल्स (ब्यौरा) हैं वह बिल्कुल अंधेरे में है जिस को हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा, शायद पंजाब स्टेट के अन्दर भी बहुत थोड़े लोग होंगे जो इसके फुल इम्प्लीकेशन्स (पूरे-पूरे उपलक्षणों) को जानते होंगे, गवर्नमेंट आफ इंडिया के भी बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं जानते होंगे। लेकिन एक बात जो साफ है कि जो स्कीम बनी है उसने पंजाब की यूनिटी (एकता) को कायम रखा है। जहां तक पंजाब की जनता का सवाल है, वह भी यूनिटी की कदर करते हैं और वह भी उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। लेकिन यह जो तीसरा बाकी तबका है, यह थोड़ा-सा नाराज मालूम पड़ता है। लेकिन जैसा कि सरदार हुक्म सिंह जी ने कहा और अपील की कि सब तबके अपनी अपोज़ीशन (विरोध) को छोड़ दें मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं किसी को कंडेम (निन्दा) न करते हुए यह अर्ज करता हूं कि जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं, उनके अपने इंटिरेस्ट (हित) हैं और अपने इंटिरेस्टस को वे भली भांति जानते हैं। हमें उन्हें भी सहयोग से राजी रखना है। लेकिन साथ ही मास्टर तारा सिंह साहब ने और सरदार हुक्म सिंह साहब ने और दूसरे भाइयों ने

जो यह कहा कि हिन्दु-सिख मिल कर रहें और अपने सब तफरकात (मतभेद) मिटा दें, मैं इसको वेलकम करता हूं। यह ठीक बात है और हमें इस पर चलने की कोशिश करनी चाहिये और आपस में मिल-जुल कर रहना चाहिये। यह जो स्कीम तैयार की गई है अगर इसको ठीक तरह से वर्क (कार्यान्वित) किया गया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पंजाब का हर आदमी सैटिसफेक्शन फील (संतोष अनुभव) करेगा। लेकिन अभी तो मुझे पता नहीं वह पूरी स्कीम अमल में क्या होगी। इतना ही कह सकता हूं कि इसके जो प्रिंसिपल (सिद्धांत) हैं, उनको मैं मानता हूं। लेकिन एक बात जो सरदार हुक्म सिंह जी ने कही वह मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जीयो और जीने दो का प्रिंसिपल हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम किसी पर डौमिनेट (प्रभुत्व स्थापित) करना नहीं चाहते लेकिन साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि कोई हम पर डौमिनेट करे। यह असल चीज़ है और अगर इस पर अमल किया जायगा तो मुझे यकीन है हमारी कठिनाइयां बहुत हद तक हल हो जायेंगी। जब कोई किसी पर डौमिनेट करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिये कि कोई खराबी होने वाली है और उस स्टेट की पीस (शान्ति) खतरे में है।

अब जो तफरकात हैं उनको सेटल (निबटारा) करने के बारे में ज़ाहिर ऐसा होता है कि दूसरे बिल में इतना लिखा है कि गवर्नमेंट ऐसे रूल्स आफ बिज़िनेस (कार्य संचालन नियम) बनायेगी जिस के ज़रिये से इस स्कीम को कार्यान्वित किया जायेगा। लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि एक बार इस हाउस में हमारे होम मिनिस्टर (गृह-कार्य मंत्री) साहब ने एक इंकलिंग (संकेत) दिया था कि अगर रिजंस प्रदेशों के अन्दर और स्टेट के अन्दर कोई झगड़ा होगा तो गवर्नर को अख्तियार होगा कि वह उसको रिज़ाल्व (निबटा) कर दे। आज मैं जब एक इस बिल की दफा २१ को पढ़ता हूं तो वहां पर यह लिखा हुआ पाता हूं कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटी का अगर कोई झगड़ा होगा तो वह जोनल काउंसिल के पास जायेगा और ज़ोनल काउंसिल उस पर विचार करेगी। मैं नहीं जानता कि एक तो ज़ोन बन गए एक तरफ स्टेट बन गई, उस स्टेट के ऊपर एक ज़ोनल काउंसिल बन गई और इस सारे के ऊपर शायद गवर्नमेंट आफ इंडिया बैठी हुई है, अब कौन इन झगड़ों का फैसला करेगा, किस तरह से एक चीज़ किस के पास आयेगी, इसके बारे में आपके यह दोनों जो बिल हैं ये साइलेंट (चुप) हैं। इस वास्ते मुझे डर है कि किस तरह से इस स्कीम को वर्क किया जायेगा। मुझे गवर्नमेंट आफ इंडिया में, अपनी पंजाब स्टेट में और सब से ज्यादा पंजाब के रहने वालों में पूरा यकीन है कि वे इस चीज़ को जोकि उनके लिये बिल्कुल नई है, इस तरह से चलायेंगे जिससे कि सब को एबसोल्यूट सैटिसफेक्शन (पूर्ण संतुष्टि) हो और किसी तरह की कम्पलीकेशंस (पेचीदगी) पैदा न हों।

यह जो आप की एस० आर० सी० रिपोर्ट है, इस पर मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) साहब के, अपने होम मिनिस्टर साहब के तथा दूसरों के भाषण सुने हैं। सब ने ही लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ (भाषायी अल्पसंख्यक) के बारे में बहुत कुछ कहा है और उनकी सेफगार्डस (संरक्षण) के बारे में बहुत-सी बातें हमें सुनने को मिली हैं। इस सिलसिले में मैं भी आज इस हाउस में थोड़ा-सा कहना चाहता हूं। यह जो हर रोज़ कहा जाता है कि हमें अपनी स्टेट की तरफ, अपने शहर की तरफ और अपने गांव की तरफ न देख कर तमाम हिन्दुस्तान की तरफ देखना चाहिये, तमाम हिन्दुस्तान की उन्नति हो, इस तरफ देखना चाहिये, इसको मैं ठीक मानता हूं। जो हमें सिटिज़नशिप (नागरिकता) मिली है वह हिन्दुस्तान की सिटिज़नशिप है, किसी स्टेट की नहीं है। मैं आपको उन इलाकों के बारे में बतलाना चाहता हूं जो इलाके पिछड़े हुए हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो पिछड़े हुए हैं, मैं उन इलाकों की बात करता हूं जो पिछड़े हुए हैं और जहां पर ठीक हालत नहीं है। उन इलाकों की हालत ऐसी नहीं है जैसी हालत की बाकी हिन्दुस्तान की है। उन इलाकों की ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप उन इलाकों को क्या सेफगार्डस देने का विचार कर रहे हैं?

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसके बारे में मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और आज फिर अर्ज़ करता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि हर एक पहले हिन्दुस्तान का ख्याल करे तो आपको कुछ और चीज़ें करनी होंगी। मैंने देखा है कि चने का भाव मद्रास में ४२ रुपये फी मन है, कलकत्ता में २० रुपया फी मन है, दिल्ली में १४ रुपया फी मन है और हिसार में ६ रुपया फी मन रहा है। जब ऐसी चीज़ है, जब एक जगह भाव इतने ऊंचे हैं और दूसरी जगह इतने नीचे हैं तो आप यह कैसे कह सकते हैं, कि हर एक यह समझे कि मैं हिन्दुस्तान का शहरी हूं। इस वास्ते मैं बड़े अदब से गुज़ारिश करता हूं कि पहली चीज़ जो आप को करनी चाहिये वह यह है कि जितनी निसेसरीज़ आफ लाइफ (जीवन आवश्यकतायें) हैं उन सब के भाव ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकाल कर, तमाम हिन्दुस्तान में एक से होने चाहियें ताकि लोग यह समझ सकें कि भाखड़ा डैम की वजह से पंजाब की जो पैदावार बढ़ी है और वहां पर जो भाव सस्ते हुए हैं उनसे त्रावणकोर-कोचीन के लोगों को भी फायदा पहुंचा है, रायलसीमा के लोगों को भी फायदा पहुंचा है। हमारा देश एक है और कम से कम खाने पीने की चीज़ों की कीमतें तो यकसां होनी चाहियें। अगर आप लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ को और बैकवर्ड एरियाज़ (पिछड़े क्षेत्र) को मिनिमम सेफगार्डस (न्यूनतम संरक्षण) दें तो ही मैं समझूंगा कि आप अपने ध्येय की प्राप्ति की ओर कदम उठा रहे हैं।

अब मिनिमम एमिनीटीस (न्यूनतम सुभीतें) क्या होती है। इसके बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था कि पंजाब में ही जालन्धर डिविज़न और हरियाना प्रान्त में रात दिन का फर्क है। जितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशसं उनके पास हैं उनके मुकाबले में अशरोअशीर भी हमारे पास नहीं हैं। जितनी सड़कें उनके पास हैं, उसके मुकाबले में कुछ भी हमारे पास नहीं हैं। नौकरियों के बारे में भी मैंने पिछली बार कहा था कि एक भी डेपुटी कमिशनर या सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस हरियाना प्रान्त का पंजाब में नहीं है। इसी तरह से मैंने नौकरियों के बारे में कहा था और यह सब चीज़ें इस पार्लियामेंट की २३ दिसम्बर की किताब (कार्यवाही) में दर्ज हैं और जो माननीय सदस्य देखना चाहे वह मेरे पास आकर देख सकता है। खैर जो कुछ हो गया, हो गया लेकिन आगे के लिये अगर आप हमें ईक्वल फुटिंग (समान आधार) पर रखना चाहते हैं, हमें इक्वैलिटी देना चाहते हैं और हमें आप चाहते हैं कि हम कम्पीट (प्रतियोगिता) करके नौकरियां हासिल करें, और कोई प्रेफ्रेंशल ट्रीटमेंट (अधिमान्य व्यवहार) हमारा इलाका एक पिछड़ा हुआ इलाका होने की वजह से, आप नहीं देना चाहते तो मुझे महात्मा गांधी की वह बात याद आ जाती है जब अंग्रेजों ने उनसे कहा था कि तजारत के मामले में अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों में फर्क नहीं होना चाहिए और दोनों को एक ही बेसिस पर रखा जाना चाहिए, तो उन्होंने इसके जवाब में यह कहा था कि च्यूंटी और हाथी की बराबरी क्या। अगर आप चाहते हैं कि हम १५ साल के बाद या १० साल के बाद नौकरियों के काबिल बनें और कम्पीट करने के काबिल बनें तो इंसाफ की बात यह होगी कि आप अगले दस सालों के लिये कम से कम ३/४ रिक्रूटमेंट उन इलाकों से करें जो महरूम रखे गये हैं और जोकि पिछड़े हुए हैं। मैं किसी खास इलाके के बारे में नहीं कहता, मैं तो हिन्दुस्तान के उन तमाम इलाकों के बारे में कहता हूं जो पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड हैं। जहां पर आपने लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज़ के लिए सेफगार्ड की बात की हैं वहां पर आपको बैकवर्ड एरियाज़ को भी ज़रूर शामिल करना चाहिये। आपको सब स्टेट्स के लिय यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि जितनी भी रिक्रूटमट वे करें कम से कम अगली पांच बरसों तक उन इलाकों से अवश्य करें जोकि पिछड़े हुए हैं ताकि वे इलाके अगले १०–१५ सालों में यह कहने के काबिल हो सकें कि अब हमें कोई सेफगार्ड की जरूरत नहीं है, अब हम ऐसे आदमी पैदा कर सकते हैं जोकि कम्पीट कर सकते हैं, और हम सब हिन्दुस्तान के शहरी हैं और हिन्दुस्तान की भलाई में ही हमारी भलाई है।

अब जो पंजाब का पुनर्गठन हो रहा है उसमें हिन्दी स्पीकिंग पापुलेशन (हिन्दी-भाषी-जनता) माइनोरिटी (अल्पसंख्या) में हो जाएगी। आज तक तो हिन्दी बोलने वाले ७० फीसदी थे लेकिन

अब उनकी तादाद सिर्फ ५५ लाख रह जायेगी। अब हम लिंग्विस्टिक माइनोरिटी में होंगे। मैं पंजाबी और हिन्दी में कोई भेदभाव नहीं करता। मैं इस झगड़े में पड़ना भी नहीं चाहता। मेरी शिकायत यह नहीं है कि क्यों इसको किसी ज़ोन की भाषा बनाया जा रहा है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके बारे में यह कह दिया जाए कि जहां तक डिवेलेपमेंट का सवाल है उनको इसमें एक मुनासिब ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन सड़कों, नालियों, आबपाशी व नौकरी वगैरा में दी जावे ताकि यह न हो कि आइंदा भी हम इस प्रान्त के अन्दर एक सिंडरीला (उपेक्षित व्यक्ति) ही रहें।

लैंगुएज (भाषाओं) के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जहां तक हिन्दी और पंजाबी का सवाल है इन दोनों में कोई लम्बा-चौड़ा फर्क नहीं है। अगर आप यह कहते हैं कि लोगों को पंजाबी भी पढ़नी चाहिये और हिन्दी भी, तो मैं इसकी मुखालफित नहीं करता हूं। हमें पंजाबी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये अगर हमे पंजाब में रहना है। इसी तरह से वहां पर लोगों को हिन्दी पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। मैं तो दूसरे प्रान्तों के उन लोगों की तारीफ करता हूं जिन की मातृ-भाषा हिन्दी न होते हुए भी जोकि हिन्दी पढ़ने और हिन्दी बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हमारे इलाके के अन्दर लोग पंजाबी पढ़ें तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि खुशी ही होगी। लेकिन जहां मैं यह कहता हूं वहां मैं अपने सिख भाइयों से यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक लैंगुएज का सवाल है उसके लिये दफा ३४७ एप्लाई (लागू) करती है। उसमें लिखा है कि स्पोकन लैंगुएज के बारे में अगर प्रेजीडेंट साहब चाहें तो यह कह सकते हैं कि इस लैंगुएज को इस इलाके में रायज कर दिया जाये। यह कहा जाता है कि सिख भाई हिन्दी पढ़ेंगे और हिन्दु भाई पंजाबी पढ़ेंगे इस वास्ते दोनों रलमिल जायेंगे। यह बात ठीक है। जहां तक मातृ-भाषा का ताल्लुक है आपने एमेंडिंग बिल में लिखा है कि प्राइमेरी में बच्चों को उनकी मातृ-भाषा में ही तालीम दी जायेगी। यह ठीक चीज़ है। अब सवाल आगे का रह जाता है। मैं यह चाहता हूं कि जहां तक मैट्रिकुलेशन एग्जैमिनेशन का ताल्लेक है किसी भी लड़के के लिये चाहे वह इस एरिया में रहता हो या उस एरिया में पंजाबी में या हिन्दी में मैट्रिकुलेशन पास करना जरूरी नहीं होना चाहिये। इन दोनों में से किसी भी एक भाषा में वह एंट्रेंस पास कर सकता है। अगर वह नौकरी चाहेगा तो वह अपने आप उस भाषा को पढ़ेगा और सीखेगा जो कि उस नौकरी को हासिल करने के लिये ज़रूरी है। इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक मामूली आदमी के लिये इन दोनों ज़बानों में मट्रिक्युलेशन इम्तिहान पास करना मुश्किल होगा।

दूसरी चीज़ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक लैंगुएज का ताल्लुक है ३४७ दफा ही लागू होती है लेकिन उसमें स्क्रिप्ट (लिपि) की कोई बात नहीं कही गई है।

मैंने पिछली दफा भी अर्ज़ किया था कि आप सारे कांस्टीट्यूशन को पढ़ जाइये। इसमें स्क्रिप्ट के प्रोटैक्शन के लिए यही दिया गया है कि अगर कोई माइनोरिटी चाहे तो अपने स्क्रिप्ट को बचा ले। तो मुझे गुरुमुखी से नफरत नहीं है। हमारे सिख भाई जिस चीज़ को मुतबर्रक समझते हैं उससे मुझे कोई रिपगनेन्स (विरुद्ध) नहीं है। लेकिन मैं यह ठीक नहीं समझता कि आप एक इलाके को मजबूर करें कि वह पंजाबी भाषा में जो भी लिखे वह गुरुमुखी में लिखे, इसको मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं मेरठ के इलाके के पास का रहने वाला हूं। दिल्ली भी मेरे पास का इलाका है। आप दफा १४ के मुताबिक मेरठ और दिल्ली पर यह चीज़ इम्पोज (थोपना) क्यों नहीं करते, हरियाने वालों की वही पोजीशन (स्थिति) है जो कि मेरठ और दिल्ली वालों की है। लेकिन मैं अपने ऊपर यह आयद करता हूं कि चूंकि मैं पंजाब में रहता हूं इसलिये मुझे पंजाबी सीखनी चाहिये। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह देवनागरी स्क्रिप्ट म लिखी जाये। मैं तो चाहता हूं कि बंगाली, मराठी और गुजराती वगेरह सब की सब देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जायें। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे हिन्दी स्क्रिप्ट में लिखी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हुई बंगाली दिखायी मैंने उसमें से पढ़कर आधी बात समझ ली। आज सारे देश में यह मूवमेंट (आन्दोलन) चल रहा है कि सारी भाषायें देवनागरी लिपि में लिखी जायें। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त यह ज़िद करना मुनासिब नहीं है कि अगर पंजाब में पंजाबी भाषा में कोई कुछ लिखे तो वह गुरुमुखी में ही लिखे। मैं हरगिज़ गुरुमुखी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन आप इसको इस नुक्ते ख्याल से देखें। मैं गुरुमुखी को सीखने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन म अर्ज़ करता हूं कि आप देखें कि अब तक पंजाबी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। वह या तो उर्दू स्क्रिपट में लिखी जाती थी या देवनागरी में। जब हमारे सिख भाइयों ने यह ऐलान क्रिया है कि न हम किसी से डौमिनेट होना चाहते हैं और न किसी को डौमिनेट (प्रभुता में लाना) करना चाहते हैं तो मैं अर्ज़ करूंगा कि वे इस बात की इजाज़त दें कि पंजाबी जबान को हिन्दी स्क्रिप्ट में लिखा जाये।

मुझे तो इस बात पर ग़रूर है कि मेरी गीता कितनी जबानों में लिखी हुई है। आज ऐसी कौन-सी भाषा है जिसमें कि बाइविल नहीं लिखी गई है। मैं तो कहता हूं कि हमारे गुरुओं की वाणी और उसके अलावा जो कुछ भी सेक्रेड (पवित्र) है वह सब की दौलत है, उसको हर जबान में लिखा जाना चाहिये, किसी को उसका ठेकेदार नहीं बनना चाहिये। मैं अर्ज़ करूंगा कि मेरे इलाके के लोग इस बात से खुश नहीं होंगे न इसको कबूल करेंगे कि हिन्दी पढ़ने वाले लड़कों को एंट्रेंस का इम्तिहान पंजाबी में पास करना पड़े और पंजाबी की लिपि सिर्फ गुरुमुखी हो। यह उनको नापसन्द होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस किस्म की चीज़ पंजाब में न रखी जाय। यही तरमीम मैं चाहता हूं ताकि सब लोग जो कुछ किया जा रहा है उसको खुशी-खुशी मंजूर कर लें।

पंजाब में एक सच्चर फार्मूला था और दूसरा एक फार्मूला पेप्सू में चलता था। लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि कम से कम यूनीफार्मिटी के लिहाज से आप ऐसा तो न कीजिये कि एक ही खित्ते में अलग-अलग किस्म का फारमूला चले। मैं उन दोनों फारमूलों में इस वक्त नहीं जाना चाहता। मैं जो तरमीम चाहता हूं वह मैं ने अर्ज़ कर दी है।

मैं ने सरदार साहब का भाषण सुना। जो कुछ वह पेप्सू के बारे में कहते हैं मैं उससे सहमत हूं। लेकिन उनको यह कतई ख्याल नहीं करना चाहिये कि पंजाब से मिलकर वे कुछ खो रहे हैं। मैं इस सिलसिले में सब से पहले महाराजा साहब पटियाला को मुबारकबाद देता हूं। अगर इस सिलसिले में किसी का नुकसान हुआ है, अगर किसी ने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस (त्याग) किया है तो वह महाराजा पटियाला हैं। उनकी सारी हुकूमत चली गई। उन्होंने मुल्क के लिये सन् १९४७ से लेकर आज तक जो कुर्बानी की उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं।

इसक बाद हाईकोर्ट का सवाल मेरे सामने आता है। आपने जोधपुर के लिये और केरल के लिये जो हाईकोर्ट रखे हैं उनमें जजों को सिर्फ तीन हजार रुपये महीना मिलेगा। पैप्सू में तो उनको शायद १२०० ही मिलता है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पैप्सू की जज़ेज की सर्विस देखी जाये और जो उनमें से काबिल हों उनको ज्यादा से ज्यादा जगहें दी जायें। उनके साथ बेइन्साफी नहीं होनी चाहिये। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि जोधपुर और केरल के मामले में आप एक पोलीटिकल मिस्टेक (राजनीतिक भूल) न करें। मैंने जोधपुर के हाईकोर्ट में प्रेक्टिस की है और मैं वहां के जज़ेज को ट्रीब्यूट (श्रद्धांजलि) अदा करना चाहता हूं। वे काबिलियत में किसी हाईकोर्ट के जज से कम नहीं हैं। वहां की बार भी बहुत मजबूत है। यह मुनासिब नहीं कि आप वहां के जजों को तीन हजार रुपया दें, खास तौर से जब कि आप कहते हैं कि हम उनके ट्रांस्फर भी करते रहेंगे।

इसी तरह से पैप्सू वालों को शिकायत है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामले में। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस वक्त असेम्बली बैठे आप सारे मेम्बरों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनने का अख्तियार दीजिये। आप उनको इस हक से महरूम न कीजिये जिससे कि उनको यह ख्याल न हो कि उनको नुक्सान हुआ। मैं चाहता हूं कि ये जितनी बातें इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स को पैदा करने वाली हैं उनको आप निकाल दीजिये और ठीक से इन्तिजाम कीजिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री कासलीवाल को बुलाऊंगा। किन्तु इसके पूर्व मैं भाषणों की समयावधि घटाने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सदस्यों को १० मिनट से संतुष्ट रहना चाहिये।

एक चीज़ और। जब घंटी बजे तो सदस्य सहयोग करें। कभी-कभी वे इसकी परवाह नहीं करते और इससे कुछ कठिनाई होती है। मैं बार-बार घंटी नहीं बजाना चाहता।

†**श्री डाभी :** (कैरा—उत्तर) : हमारे क्षेत्रों का एक भी सदस्य अभी नहीं बोल सका है।

†**श्री केशव अय्यंगार :** (बंगलोर—उत्तर) : कर्नाटक और मैसूर के सदस्यों को कोई अवसर नहीं मिला है।

†**श्री राच्या :** (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैसूर के किसी कांग्रेसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा।

†**श्री कासलीवाल :** (कोटा—झालावाड़) : जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, इस विधेयक के अनुसार वहां के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि, केवल लोहारू को छोड़कर, आयोग की सिफारिशों को ही कार्यान्वित किया गया है। लोहारू के सम्बन्ध में मुझे कोई खेद प्रकट नहीं करना है। मुझे खुशी है कि मेरे पंजाबी मित्र लोहारू को पंजाब में रक्खे जाने पर खुश हैं।

मैं इस चर्चा में विशेषकर मध्य भारत के मुख्य मंत्री द्वारा किये गये एक काम के कारण भाग ले रहा हूं। उन्होंने भारत सरकार के गृह-मंत्रालय को लिखा है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्र मध्य भारत में मिला दिये जायें। पहले तो मुझे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, किन्तु जब मध्य भारत की विधान सभा की कार्यवाही का विवरण देखा तो यह चीज़ पक्की हो गई। मुझे इस पर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि स्वयं मध्य भारत के ही अस्तित्व का समापन होने वाला है और इसलिये वहां के विधान सभाई तथा वहां की जनता राजस्थान के किसी भी क्षेत्र को मध्य भारत में मिलाने के विरुद्ध हैं। इसी कारण से वहां के मुख्य मंत्री ने किसी सार्वजनिक भाषण में यह बात न कह कर यहां गृह-मंत्रालय को पत्र लिख दिये। तथ्य यह है कि मध्य भारत विधान सभा में दो संशोधन पेश किये गये कि मध्य भारत के कुछ क्षेत्र राजस्थान को दिये जायें।

विधेयक पर मध्य भारत के मुख्य मंत्री ने जो कुछ कहा वह इस प्रकार है जो वहां की कार्यवाही के विवरण के पृष्ठ ९१ पर दिया हुआ है :—

"बांऊडरीज़ (सीमाओं) पर एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) की हैसियत से तब्दीली की आवश्यकता है उसके लिये गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को लेटर लिखा गया है। उस लेटर में वह तब्दीली सुझाई गई है वह मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन वह वैसी तो नहीं है जो यहां हाउस में सुझाई गई है लेकिन उसमें कुछ बातें आ जाती हैं कुछ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कासलीवाल]

रीजन्स (क्षेत्र) बताये गये हैं उनसे अन्दाज़ होगा। शाहगंज, किशनगंज तहसीलें दोनों मध्य भारत में आनी चाहियें और पार्वती रिवर (नदी) के इस पार का हिस्सा सब इस तरफ आना चाहिये। इससे इतना होगा कि मध्य भारत की बाऊंड्री १२८ मील है वह रिडयूस होकर ४८ मील रह जायगी इसके लिये लिखा गया है। वह मध्य प्रदेश में शामिल होगी। छबरा तहसील कोटा डिस्ट्रिक्ट की भी यही हालत है। अंधेरी नदी से इस तरफ का जो हिस्सा है सरहद ५६ मील है, ५६ मील की बाउंड्री के बजाय १६ मील रह जाती है। इसी तरह डाका तिरावा तहसीलें हैं और एक १० मील का एरिया कोटा डिस्ट्रिक्ट का है उसकी गांधी-सागर को ज़रूरत है।"

यह विचित्र वक्तव्य है। वह ऐसा सोचते प्रतीत होते हैं कि मध्य भारत और राजस्थान दो विदेशी प्रदेश हैं और दोनों के बीच की सीमा नदियां हैं। यदि यह संशोधन उन्होंने मध्य भारत की विधान सभा में रखा होता तो वहां इसका विरोध हुआ होता। इसीलिये उन्होंने सीधे गृह-मंत्रालय को लिखने का यह गैर-प्रजातन्त्रीय तरीका अपनाया। मैं गृह-मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की कोई चीज़ की गई तो न केवल राजस्थान वरन् मध्य भारत के लोगों द्वारा भी इसका विरोध किया जायेगा।

अब मैं मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाने के सम्बन्ध कहना चाहता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक कि स्वयं मध्य भारत के लोग सहमत न हों वहां का कोई भाग राजस्थान में नहीं मिलेगा और राजस्थान वाले कभी ऐसी मांग नहीं करेंगे। मुझे मालूम है कि मंदसौर में राजस्थान के साथ मिलने के सम्बन्ध में बड़ा आन्दोलन चल रहा है। मध्य भारत विधान सभा में भी दो सदस्यों ने मुख्य मंत्री के संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि मन्दसौर जिले की मानपुरा तहसील तथा गुना ज़िले के राधोगढ़ और छाछरा को राजस्थान में मिला दिया जाये। यह संयुक्त समिति बताएगी कि इन क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाया जाये या नहीं। मैं सदन के सम्मुख केवल यह दृष्टिकोण रख रहा हूं।

एक और सदस्य ने यह भी कहा कि केवल ये ही क्षेत्र नहीं, वरन् उदयपुर ज़िले में चित्तौड़ से लगे हुए कुछ क्षेत्र भी राजस्थान में शामिल किये जायें। मैं इसमें और विस्तार से नहीं जाऊंगा।

एक बात मुझे और कहनी है। मध्य भारत में उज्जैन के तलबा नामक स्थान में कुछ क्षेत्र हैं। कहीं-कहीं यह १०० गज़ से भी कम चौड़ा है। इस क्षेत्र के द्वारा बहुत-सा तस्कर व्यापार और चोरबाजारी होती है। प्रशासनात्मक सुभीते को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस क्षेत्र को राजस्थान के साथ मिला दिया जाये। इस क्षेत्र की जन संख्या मुश्किल से ४,००० या ५,००० होगी। मुझे विश्वास है कि यदि वहां के लोगों की राय ली जाये तो वे राजस्थान में मिलना पसंद करेंगे।

अंत में मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान को पंजाब के साथ उत्तरी ज़ोन में रक्खा गया है क्योंकि दोनों के हित मिले हुए हैं। हमें पंजाब से बिजली और पानी की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि हम दोनों साथ हैं।

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा–दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया, इस के लिये मैं आप की अभारी हूं। आज मैं कई दिन से देख रही हूं, और मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों, अभी तक गुजरात और सौराष्ट्र से किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या यहां पर एक ही प्रकार का इम्प्रेशन (विचार) सब पर बना है, क्या सब एक ही प्रकार की राय रखते हैं और दूसरी आवाज निकलने की जरूरत नहीं है। आज दो दिनों से जो बहस यहां हो

रही है उस को देख कर और सुन कर मुझे बड़ा दर्द होता है। जिस खूबी से हम ने देश की ऐसी एकता बनाई थी जैसी कि पहले कभी नहीं थी, उस को देखते हुए आज ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब उसे मजबूत करने के अलावा आज हम देश के टुकड़े करने की नींव डाल रहे हैं।

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने तो कमिशन के सामने जा कर कहा था कि हम गुजरात के लोगों को समझा सकेंगे कि देश का ख्याल करके बम्बई राज्य को, जैसा कि वह आज है, वैसा ही रहने देना ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कमिशन ने उस समय जो शक्ल उसकी दी थी, उस को सही रूप में स्वीकार नहीं किया गया। एक बार उस मामले का फैसला करने के बाद, आज फिर उस पर लोगों को अपने विचार रखने का मौका मिल गया है और इस लिये सारी गड़बड़ी आज तीन महीनों से चल रही है। आज हम को तो पूछा ही नहीं जाता है, आज कांग्रेस और सरकार यह समझती हैं, कि गुजरात के लोगों के लिये जो कुछ किया जायेगा उसको वे स्वीकार कर लेंगे। इसलिये आज हमारी कोई परवाह नहीं करता है। आज हम खत्म हो रहे हैं तो भी उन को कोई परवाह नहीं है क्योंकि वह तो हम को राजी कर ही लेंगे किसी न किसी तरह से ऐसा भरोसा है। आज हम देश के लिये काम करें, देश का ख्याल कर के हर बात पर राजी हो जायें, तो हमारी कोई नहीं सुनता है। परन्तु यदि कोई धमकी दे, कोई दंगा करे, त्याग पत्र दे, कोई रूस जाय, तो उस को राजी करने के लिये कोशिश हो रही है। लेकिन अब जब गुजरात राज्य बना कर दिया जा रहा है उस में भी ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। कमिशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें गुजरात राज्य बनाने की कोई बात नहीं थी। लेकिन जब आप गुजरात का एक अलग राज्य बना ही रहे हैं तो सही बात यह है कि आप पहले एक बाउंड्री कमिशन बनाइये। वह सारे हिस्से में घूमे और तब अपनी सिफारिश करे। यह नहीं कि यहां बैठे हुए, खाली एक नक्शा लेकर और सेन्सस (जनगणना) रिपोर्ट लेकर निर्णय कर लिया कि यह इधर जाना चाहिये और वह उधर जाना चाहिये। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप को स्थानीय लोगों का ख्याल नहीं करना चाहिये और क्या आप उनके हित के विचार से ही सब कुछ कर रहे हैं। आप को उस जगह पर एक बाउंड्री कमिशन बना कर भेजना चाहिये जो कि पूरी तरह से जांच करे कि कौन सा हिस्सा किस तरफ जाना चाहिये और आप को उसकी रिपोर्ट दे। उसके बाद आप को अपना निर्णय देना चाहिये। आज राजस्थान के लोगों ने दंगा किया, धमकी दी, लोगों को पैसा दे दे कर वहां एक तूफान खड़ा किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि आप उनको आबू दे रहे हैं। डांग जंगल के लिये हम कहते हैं कि जो हिस्सा नासिक की तरफ है महाराष्ट्र में जाय। परन्तु जो पहाड़ की इस बाजु है, वहां बिना गुजरात में गये हुए कोई पहुंच नहीं सकता। अगर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी डांग फारेसट में कोई मीटिंग करना चाहे तो उसको वलसाड़ और बिल्लीमोरा हो कर ही जाना पड़ता है। फिर भी आप उस हिस्से को महाराष्ट्र में डालते हैं। मैं पूछती हूं कि क्या यह सब बातें आप ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से आप ने नवापुर और उमरगांव का फैसला कर लिया। इस सब के बारे में मरा इतना ही कहना है कि अगर आप इस तरह से एक हिस्सा दूसरे को और दूसरा हिस्सा तीसरे को देना चाहते हैं तो आप बिना जांच किये न कीजिये। आप एक बाउंड्री कमीशन बनाइये वह जो रिपोर्ट दे उस पर आप निर्णय कीजिये।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि जब आप ने यह तय किया है कि महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई के अलग-अलग राज्य बने, तो मुझे जिस सेलेक्ट कमेटी में यह बिल जा यहा है उस से यह विनती करनी है कि वह पहले सब जगहों के ऐसट्स (आस्तियां) और लाइबिलिटीज़ (दायित्व) को देखें और उसके बाद ही कोई निर्णय करें। इस दफा बम्बई के फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो फिगर्स अपनी स्पीच में बताये हैं, मैं कुछ उन के बारे में भी कहना चाहती हूं। आप पहले उन को स्टेडी (अध्ययन)

[श्रीमती मणिबेन पटेल]

कीजिये और तब यह सोचिये कि किस तरह से सारी चीजों को बांटा जाना चाहिये। जैसा कि नागपुर लैन में कहा गया है रोड माइलेज का डेफिसिट अलग-अलग जगहों में इस प्रकार है कि गुजरात में ८३ परसेन्ट रास्ते सड़कों की कमी है, महाराष्ट्र में ५४ परसेन्ट और कर्नाटक में ४७ परसेन्ट। उसी में बताया गया है कि सन् १९५३ में गुजरात की महसाना डिस्ट्रिक्ट में ९९ परसेन्ट की कमी थी, ९४·१ परसेन्ट साबारकांठा डिस्ट्रिक्ट में और ९०·५ परसेन्ट बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में सड़कों की कमी थी। जब आप देखते हैं कि वहां पर इतनी कमी रोड माइलेज की है तो आप इतनी थोड़ी-सी चीजें बता कर क्या यह कहना चाहते हैं कि गुजरात में काफी कमी है? आज कुछ लोगों के दिल में आम तौर से यह ख्याल है कि गुजरात काफी समृद्ध है, गुजरात की हालत ऐसी है कि उस को कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह आप के अन्दर बड़ी भारी गलतफहमी है। गुजरात का काफी बड़ा एरिया ऐसा है जो कि फुल्ली डेवेलप्ड (पूर्ण विकसित) नहीं है। आज अहमदाबाद को छोड़ कर पूना, शोलापुर, अमरावती जैसे शहर सारे गुजरात में नहीं हैं। यही सब सोच कर जो हमारे बम्बई के फाइनेन्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ३ मार्च को जो बजट स्पीच दी है उस में यह फिगर्स दिये हैं। उस के ऊपर सेलेक्ट कमेटी को पूरी तौर से गौर करने के बाद कोई निर्णय करना चाहिये।

अब मैं बम्बई शहर पर आती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि यह जो आप ने हवा बनाई है सारे देश में और इस हाउस में भी कि बम्बई महाराष्ट्र का है यह कहां तक ठीक है? यह बिल्कुल गलत बात है। बम्बई का इतिहास हमें दूसरी ही चीज़ बताता है। बम्बई असल में सात टापुओं का एक झुंड था जिन में नारियल के पेड़ थे। इस के बारे में जो कुछ इतिहास में लिखा है वह भी मैं आप को बताना चाहती हूं। गैजेटियर आफ बाम्बे सिटी ऐंड आईलैण्ड, वाल्यूम २, पेज २ पर लिखा है :

†"आदिम जाति के विभिन्न समुदायों को देखने से पता चलता है कि उनका मूल निवासस्थान दक्षिण प्रदेश न होकर गुजरात है, सम्भवतः उनके पूर्वज वह लोग हैं जो आर्यों के आने से पहले गुजरात में रहते थे। यह लोग गुजरात से अपनी अधिष्ठात्री देवी मुम्बादेवी भी अपने साथ लाये हैं।"

इस लिये यह जो हवा बनाई गई है कि बम्बई महाराष्ट्र का है, यह बिल्कुल गलत है। सन् १९०१ के सेन्सस आफ इंडिया के वाल्यूम ११ के पेज ३९ पर लिखा है :

†"इस नगर और द्वीप के बहुजातीय रूप का इस बात से पता चलता है कि इस की सीमा में ६२ प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं।"

महाराष्ट्र का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि उस समय महाराष्ट्र के व्यापारियों के लिये बम्बई आने के लिये इजाज़त लेनी पड़ती थी।

इसके बाद यह लिखा है :

बम्बई नगर तथा द्वीप का सांख्यिक विवरण १८९६, अंक १, पृष्ठ ३५१

†"३१ मई, १७६३ में हुई वार्ता में सरकार ने बताया कि ज्यों ही मुगलों की फौज ने पूना को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट किया, तो कई प्रमुख व्यापारियों ने बम्बई आने की अनुमति मांगी तथा उन्हें वहां बस जाने की अनुमति दी गई।"

१६६१ में बम्बई में केवल १०,००० आदमियों की बस्ती थी। उसमें ११ पुर्तगाली कुटुम्ब थे बाकी सब कोली थे। ये लोग काठियावाड़ से तथा गुजरात से आये थे। यह मैंने अभी आपको बता दिया है।

(इस समय घंटी बजी)

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे पांच मिनट बोलने के लिये और दें। पिछले दो दिनों से एक ही प्रकार के प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) इस भवन में रखे गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : और भी माननीय सदस्य जो उस इलाके के हैं, वे भी बोलेंगे।

श्रीमती मणिबेन पटेल : कम से कम पांच मिनट तो दीजिये।

इसके बाद एडवर्ड ने बाम्बे टाइम्स में १८४८ जो कुछ उसमें दिया है वह मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं :

†"हमारे दुकानदार सारे पारसी हैं तथा कारीगर लोग गुजरात तथा कच्छ से आये हैं। जूते बनाने वाले चीनी हैं और घोड़े बेचने वाले अफगान तथा बिलूची हैं।"

फिर सैंसस आफ इंडिया वाल्यूम १०, पेज ४ पर लिखा हुआ है :

†"१८८२ में ली गई जनगणना में वृद्धि का कारण संचार साधनों में सुधार है। नई-नई रेलवे लाइनें बन जाने के कारण यह द्वीप कई लाइनों का केन्द्रीय मार्गान्त बन गया। सामुद्रिक परिवहन और भी नियमित हो गया है। रोजगार के साधनों की खबर दूर दूर तक फैल गई है।"

अब १८६१ में बम्बई में १,९६,००० स्पिंडल्स थीं और २,७०० लूम्स चलती थीं। १८७५ में इनकी तादाद ८,७०,००० और ७,८०० हो गई।

काटन की मिलें १८७२ में १२ थीं जोकि बढ़कर १८७९ में ३० हो गईं। इन सब चीज़ों को बताने का मेरा अभिप्राय यह है कि इन लोगों का जो यह क्लेम है कि बम्बई हमारा है, यह बिल्कुल गलत है। इतने दिनों तक तो महाराष्ट्रवासियों के लिये वहां कोई जगह नहीं थी और गुजरात तथा कच्छ से और सौराष्ट्र से लोग वहां आकर बसे। लेकिन जब भोरघाट काटा गया, जब रेल बनी, उसके बाद ही इन लोगों को वहां आना मिला।

आखिर में मुझे यह कहना है कि आज जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, और जिन में से इस वक्त कोई भी इस भवन में उपस्थित नहीं है और मैं चाहती हूं कि मेरी यह राय उन तक पहुंचा दी जाय, उनको चाहिये कि वे देश की एकता को मजबूत करें, हमारे देश को संगठित करें, अच्छा वातावरण पैदा करने की कोशिश करें। अगर इस देश के टुकड़े टुकड़े हुए तो मैं कहना चाहती हूं कि इसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। मैं चाहती हूं कि जिन्होंने देश को आजाद करवाया उन को यह भी देखना है कि हमारा देश मज़बूत नींव पर खड़ा हो।

एक बात का मुझे दुख है और वह यह है कि आज जो टेकटिक्स (चालें) खेले जा रहे हैं, जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह से गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से त्याग पत्र देने की बात कही जा रही है, यह सब कुछ ठीक नहीं है।

अब जब उनकी किसी भी मांग को नहीं माना जाता है तो वे इतना ही कह देते हैं कि अगर और कुछ नहीं तो इतना ही कह दो कि बम्बई तुम्हारा है। इस बात को कहने के बाद वे कहेंगे कि अब तो बम्बई हमें दो। जो बात सही नहीं है वह ये लोग आप से करवाना चाहते हैं। मैं उन की इस मांग को सही नहीं मानती और मैं नहीं चाहती कि बम्बई उनको दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : लाला अचित राम।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बंसी लाल** (जयपुर) : मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। इस विषय पर काफी अरसे से चर्चा होती रही है। मेरा सुझाव है कि उन सदस्यों को दोबारा बोलने का मौका न दिया जाय जो पहले अपना मत व्यक्त कर चुके हैं। वे सदस्य जो प्रयत्न करने पर भी पहले नहीं बोल सके थे उन्हें अब अवसर दिया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री बंसी लाल से सहमत हूं और माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो पहले इस विषय पर चर्चा में भाग ले चुके हैं वे अब कृपया इसके लिये प्रयत्न न करें। उनमें से बहुत से बोलने के उत्सुक प्रतीत होते हैं। जो राज्य कि प्रभावित नहीं हैं, जैसे उत्तर-प्रदेश, वहां के लोगों को अन्य राज्यों के सदस्यों को मौका देना चाहिये ।

†**श्री ज्वाला प्रसाद** (अजमेर-उत्तर) : लाला अचिंत राम पहले बोल चुके हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं उनका नाम पुकार चुका हूं, इसलिये उन्हें बोलने दिया जाए ।

लाला अचिंत राम (हिसार) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत धन्यावाद देता हूं कि इतने मतालबात के बावजूद आपने मुझे बोलने का मौका दे दिया ।

मैं इस मोशन (प्रस्ताव) की ताईद करता हूं और साथ ही जिस मुस्तकिल मिज़ाजी से गवर्नमेंट ने एस० आर० सी० रिपोर्ट को आगे बढ़ाया है, बावजूद रेसपांसिबिल क्वार्टर्स (जिम्मेदार व्यक्तियों) द्वारा यह कहे जाने के कि इससे देश में दंगे फिसाद फैल जायेंगे, उसके लिये गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा मुल्क की स्टेविलिटी (स्थायित्व) को मजबूत बनाने के लिये बंगाल के चीफ मिनिस्टर (मुख्य मंत्री) साहब और सिन्हा साहब ने जो कदम उठाया उसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने उस वक्त मुल्क की मदद की जब कि लोगों को यह ख्याल था कि बंगाल और बिहार अपने मसले को हल नहीं कर पायेंगे। उन्होंने उस वक्त अपने मसले का फैसला ही नहीं किया बल्कि वे उससे भी बहुत आगे चले गये। मुल्क की बुनियाद को मजबूत करने में उन्होंने जो हिस्सा लिया है मैं समझता हूं उसके लिये हिस्ट्री (इतिहास) में उनका नाम रहेगा ।

एस० आर० सी० रिपोर्ट के मुताल्लिक बहुत सारे झगड़े थे, लेकिन उनमें पंजाब और बम्बई का झगड़ा सब से आगे रहा है और उस तरफ मुल्क की तवज्जह लगी रही है। जहां तक बम्बई का ताल्लुक है मुझे बड़ी खुशी है बहुत सा मसला हल हो गया है और थोड़ा सा हल होना बाकी है। पहले मैं समझता था कि बम्बई में झगड़े इस वास्ते आये कि लोगों के दिल में गुस्सा आ गया था। लेकिन पिछले दो तीन महीनों के हालात देखने के बाद में समझता हूं कि वे झगड़े रोके जा सकते थे। मालूम पड़ता है कि इस मामले में हाई कमांड को अच्छा मशविरा नहीं मिला। मैं समझता हूं कि अब आगे कोई झगड़ा नहीं होगा और बम्बई का सारा मामला हल हो जायेगा और बम्बई महाराष्ट्र में मिला दिया जायेगा ।

अब मैं पंजाब क मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। दर हकीकत पंजाब का जो मसला था वह बम्बई के मसले से भी बड़ा था। आप पूछेंगे क्यों ? उसकी वजह यह है कि हम अपने मुल्क में और दूसरे मुल्कों में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, पंचशील की और सुलह की बात करते थे : लेकिन हम अपने मुल्क के सिख माइनारिटी (अल्प संख्यकों) के मसले को शान्ति से हल नहीं कर पा रहे थे, इससे हमारे सिर शर्म से नीचे होते थे। इसलिये पंजाब का मसला इम्पार्टेंट (महत्वपूर्ण) था। खुशी की बात है कि पंजाब के अकाली मसले को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया और उसको हल करने की कोशिश की। इस वक्त मैं वहां के मुताल्लिक एक बात अर्ज करना चाहता हूं ताकि वहां का नक्शा आपकी समझ में ठीक तरह से

---

†मूल अंग्रेजी में

आ सके। हमारे होम मिनिस्टर (गृह-मंत्री) साहब ने एस० आर० सी० रिपोर्ट निकलने से पहले मुल्क में अपीलें निकालीं और कहा कि इस रिपोर्ट को आम तौर पर स्वीकार किया जाये। उस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक थे। पन्त जी ने बार-बार अपीलें इसलिये कीं कि उनका असर अच्छा हो लेकिन पंजाब के अन्दर उनका जो असर हुआ उसका आप अन्दाजा लगा सकेंगे। पंजाब में डेढ़ करोड़ आबादी है जिसमें एक करोड़ हिन्दू हैं और ५० लाख के करीब सिख हैं। एक करोड़ हिन्दू दो हिस्सों में बंटे हुये हैं, एक हिस्सा हिन्दी बोलने वाला है दूसरा पंजाबी वाला। इस नक्शे को आप समझ लें। पन्त जी की अपील का यह नतीजा निकला कि जब एस० आर० सी० रिपोर्ट आयी तो जालन्धर के ५० लाख हिन्दुओं ने कहा कि हम इसको कबूल करते हैं और जो हरियाना के हिन्दू थे उन्होंने कहा कि हमें यह कबूल नहीं है। सिखों ने कहा कि हमें यह कबूल नहीं है। कांग्रेस वालों ने कहा कि हमें रिपोर्ट मंजूर है। अब सवाल यह था कि पचास लाख हिन्दू और पचास लाख सिख जो उसको कबूल नहीं करते उनके लिये क्या किया जाये। अभी तक अकालियों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ था कि ये कम्युनलिस्ट (सम्प्रदायवादी) हैं, मास्टर तारा सिंह अलग सिख राज्य कायम करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, उसकी परवाह न करके गवर्नमेंट ने उनको बुलाया और कहा कि हम तुम से बात करेंगे। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। उनसे बात करने के बाद एक हल निकाला गया। आप देखें कि जब एस० आर० सी० रिपोर्ट आयी तो लोगों पर क्या असर हुआ, जब गवर्नमेंट ने उसमें कुछ तबदीली करने की कोशिश की तब क्या असर हुआ और जब गवर्नमेंट ने सिखों से बात करके हल निकाला तो उसका क्या असर हुआ। जब गवर्नमेंट ने आखिरी हल निकाला तो जिन लोगों ने पहले कहा था कि अच्छा किया उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि यह गलत किया। कांग्रेस वालों ने हर बार यही कहा कि ठीक किया। जब गवर्नमेंट ने आखिरी फार्मूला निकाला तो जो पहले गवर्नमेंट के पक्ष में थे वे खिलाफ हो गये और जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे वे माफिक हो गये। सिख सरकार के माफिक हो गये। पहले जिनको कम्युनलिस्ट कहा जाता था, जिनके बारे में कहा जाता था कि ज्ञानी करतार सिंह पाकिस्तान से मिल गये हैं वे गवर्नमेंट के माफिक हो गये। लेकिन जो जालन्धर के हिन्दू थे उनके लिये अब यह कहा जाने लगा कि ये कम्युनलिस्ट हैं और जनसंघी हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ईश्वर के लिये उनको इस तरह से कंडेम (निंदित) न कीजिये। कल वह आपके पक्ष में थे। मेरे दिल में सरदार हुक्म सिंह साहब के लिये बड़ी इज्जत है उस वक्त से जब से कि वह मांटगोमरी में वकालत करते थे उन्होंने कहा कि अब जो मुखालफत करते हैं इस वास्ते करते हैं कि अकाली इस स्कीम की हिमायत करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने एस० आर० सी० की तज़वीज की इसी वास्ते हिमायात की थी क्योंकि उन्होंने उसकी मुखालफत की थी ? पहले अकाली रिपोर्ट के खिलाफ थे लेकिन अब उन्होने उसको कबूल कर लिया है और दूसरे लोग खिलाफ हैं। तो इसको कबूल करने या न करने की वजह से किसी को कम्युनलिस्ट नहीं कहा जा सकता और यदि थोड़ी बहुत गलती हो तो कहने से कुछ फायदा नहीं है। न यह रिपोर्ट ही कम्युनल हो सकती है क्योंकि इसको मुल्क के बैस्ट (सर्वोत्तम) तीन आदमियों ने बनाया है। लेकिन अगर नई स्कीम को कोई कबूल नहीं करता तो उसे कम्युनलिस्ट नहीं कहना चाहिये और कंडम नहीं करना चाहिये। पहले सिख लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे। पन्त जी ने सिखों को बुलाया और उनसे बात की। उस वक्त कहा जाता था कि सिख अपना अलग राज्य चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर सरदार हुक्म सिंह और मास्टर तारा सिंह का राज्य हो तो मुझे मंजूर है। जहां तक कांग्रेस वालों का सवाल है उन्होंने हर बात को कबूल किया। जब रिपोर्ट आयी तो उसे कबूल किया, उसमें तबदीली की गयी तो उसे कबूल किया और फिर जब यह फार्मूला निकला तो उसे भी कबूल किया क्योंकि वे समझते थे कि जो उनके नेता हैं वे देश का भला चाहते हैं और जो वे करते हैं वे देश के भले के लिये करते हैं।

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : ऐसा कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। कांग्रेसी हमेशा आज़ादी से अपनी बात कहते हैं।

लाला अचिंत राम : आप उस असर को देखें जो कि इस रिपोर्ट के तीनों फेजेज़ में उन पर हुआ। तो अब यह फार्मूला है। मैं समझता हूं कि इसको टैस्ट (अजमा) करके देखा जाये कि यह डिमोक्रेटिक (प्रजातंत्री) कहां तक है। मैं पूछता हूं कि अगर पंजाब की असेम्बली में मेजारिटी (बहुमत) किसी रीजन की बात के खिलाफ है, तो उसको क्या रद्द नहीं कर सकती ? वह आपकी डेमोक्रेसी कहां गयी ? एक ज़ोन के अन्दर एक गिनती कम थी, उनको मेजारिटी में लाया गया, मैं पूछता हूं कहां गई आपकी सेकुलरिज्म (निरपेक्षता) ? वैसे मैं साफ़ कर दूं कि मुझे डेमोक्रेसी या सेकुलरिज्म की ज्यादा पर्वाह नहीं —मुझे उसकी स्पिरिट की ज़रुरत है बल्कि नेताओं को असल पर्वाह इस बात की थी कि कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जाय और मुझे यह देख कर बड़ी खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने अकालियों के दिल को जीत लिया है, रही डेमोक्रेसी की बात, उसकी मुझे पर्वाह नहीं है और न ही सेकुलरिज्म की मुझे पर्वाह है यदि उसकी स्पिरिट कायम रहे। यह बहुत इतमीनान की बात है कि पंजाब की समस्या का हल गवर्नमेंट ने बहुत ही ख़ूबसूरती के साथ कर लिया है और उससे पंजाब का वातावरण बहुत अच्छा बन गया है और जो डिटेल्स (ब्यौरा) को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद अगर रह भी गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पंत जी और सरदार हुक्म सिंह आपस में मिल कर उसको हल करने की कोशिश करें तो वे ज़रूर उसको हल कर लेंगे और मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है। जहां हमने ३३ परसेंट (प्रतिशत) को ६६ परसेंट किया है, मैं समझता हूं कि सेंट परसेंट भी हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि हिमाचल-प्रदेश, कांगड़ा और काश्मीर के पहाड़ी इलाक़ों का एक अलग ज़ोन बनाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि जब बख़्शी साहब और परमार साहब आपस में मिलने को तैयार हैं तो क्या वजह है कि आप उनका एक पहाड़ी प्रदेश क्यों नहीं बना देते, इसी में देश का भला है और डेमोक्रेसी का भला है। अगर आप इन पहाड़ी प्रदेशों को मिलाकर इनका एक अलग ज़ोन नहीं बनाना चाहते तो कम से कम यह तो कर दीजिये कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एक गवर्नर होगा और दोनों के लिये एक पब्लिक सर्विस कमिशन (लोक सेवा आयोग) होगा और उनका एक हाईकोर्ट होगा, इतना तो कीजिये और रीजनल स्कीम के रूल को एहतियात से बनाया जाये।

†**श्री सी० आर० चौधरी** (नरसराव पेट) : विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने के बाद में इस निदान पर पहुंचा हूं कि बम्बई महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्रियन होने के नाते वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख ने जो क़दम उठाया है वह बिल्कुल सही है। बम्बई की सुन्दर नगरी को गुंडों से बचाने का सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उसे महाराष्ट्र को दे दिया जाए।

सन् १९५३ में आन्ध्र राज्य विधेयक पर बोलते हुये मैंने कहा था कि आन्ध्र जन तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि उन्हें विशाल आन्ध्र न मिल जाये। जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई तो हमें आशा बंधी कि हमारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन फिर इस चीज़ को पांच वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया। किन्तु भाग्यवश, राज्यपुनर्गठन आयोग पर विचार करने के लिये जो उच्च सत्ता समिति नियुक्त हुई उसने विशाल आन्ध्र के पक्ष में निर्णय दिया। किन्तु इस समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा अछूते एक अन्य विषय पर विचार नहीं किया। मेरा मतलब आन्ध्र राज्य से लगे हुये उन क्षेत्रों से है जहां आन्ध्र लोग बहुसंख्या में हैं। इससे आन्ध्र लोगों को बड़ी निराशा हुई है। उस पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिये।

कोलार जिले में ५० प्रतिशत लोग तेलुगू भाषी हैं और इसलिये यदि उन्हें मैसूर में छोड़ दिया गया तो वे अपने सारे अधिकार खो बैठेंगे। इसी प्रकार तुमकुर जिले में पवगाडा में तेलुगू भाषायी लोग पूर्ण बहुसंख्या में हैं। उड़ीसा में परलाकिमिदी में उसके आन्ध्र में मिलाने के लिये बराबर आन्दोलन चल रहा है क्योंकि वह मुख्यतः तेलुगू क्षेत्र है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल उड़ीसा और मैसूर में ही नहीं, महाराष्ट्र के रूप में जो राज्य बनने वाला है वहां भी कुछ तेलुगू भाषायी क्षेत्र छोड़ दिये गये हैं, उदाहरण के लिये रायचुर जिला और नान्देड़ जिले में मुधोल। यहां बहुसंख्यक लोग तेलुगू भाषायी हैं।

इस जनसंख्या के पहलू के अतिरिक्त एक और पहलू भी है। आन्ध्र लोग भविष्य में गोदावरी नदी पर एक बहुमुखी परियोजना तैयार करना चाहते हैं जिससे कि कृष्णा और गोदावरी के बीच की भूमि को विकसित किया जा सके। बिना इस परियोजना के आन्ध्रवासियों के लिये तामिलनाद को जल सम्भरण करना सम्भव नहीं होगा।

इस विधेयक में सीमा आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है जोकि सीमा सम्बन्धी आवश्यक मामूली परिवर्तन कर सके। यह उपबन्ध करना बहुत जरूरी है। अन्यथा, आन्ध्र और उड़ीसा, महाराष्ट्र और आन्ध्र तथा मध्य प्रदेश और आन्ध्र के मध्य सीमा विवादों का निबटारा किस प्रकार किया जायेगा। क्षेत्रीय परिषदें यह काम नहीं कर सकतीं। इसलिये इन सब मामलों को देखने के लिये और अपनी सिफारिशें करने के लिये एक सीमा आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध करना अत्यावश्यक है जो इस विधेयक के पास हो जाने पर अपना कार्य करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड—सोरठ) : इस विधेयक में प्रादेशिक पुनर्गठन की प्रस्थापनाएं बहुत सोच विचार कर रखी गयी हैं और उनमें प्रत्येक संगत तथ्य का विचार किया गया है। वास्तव में इन प्रस्थापनाओं को सभा के समक्ष रखने के पूर्व राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर पूरा वाद-विवाद हुआ था जिसमें प्रत्येक दृष्टिकोण सामने रखा गया था। राज्य पुनर्गटन आयोग ने स्वतः कहा है कि विवादी दलों ने बम्बई को संयुक्त महाराष्ट्र में मिलाने और उसके विरोध में मामला बहुत योग्यता और विस्तार से रखा है। विधेयक में दी गयी प्रस्थापनाओं में विवादी दलों के बीच सबसे अधिक सहमति जाहिर की गयी है। वह सहमति कई महीनों की चर्चा और विचार के बाद प्राप्त हुई है। हाई कमान ने कई बार अपना निश्चय बदला है ताकि वह सभी पक्षों के दृष्टिकोणों में समन्वय कर सके। जो विनिश्चय अब सभा के समक्ष हैं उन पर अमृतसर कांग्रेस सत्र में सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हो चुका है। अतः अब कोई एक भी नया तर्क या कोई नयी बात ऐसी नहीं सामने आयी है जो हमें उस विनिश्चय को बदलने के लिये बाध्य कर सके। श्री फीरोज गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र बम्बई का पृष्ठदेश है। किन्तु पृष्ठदेश वहां समाप्त हो जाता है जहां से गुजरात की सीमा प्रारम्भ होती है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि उनकी कल्पना बहुत सीमित है। आयोग ने प्रतिवेदन में स्वतः इसका निर्देश किया है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही सरकार ने यह निश्चय किया है।

यह कहा जाता है कि हमारी उग्र भावनाओं की ओर देखिये। मैं मानता हूं कि आपकी भावनाएं उग्र हैं किन्तु आप दूसरों की भावनाओं की ओर भी देखिये। प्रत्येक आयोग ने, देश के सर्वोत्कृष्ट और बुद्धिमान व्यक्तियों ने दो निर्णय दिये हैं : एक तो यह कि बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाया जाये और दूसरा यह कि बम्बई एक भाषी राज्य का भाग नहीं हो सकता। प्रत्येक समिति, प्रत्येक आयोग, कांग्रेस और सरकार का, सबका यही निर्णय है। जवाहर-वल्लभ-पट्टाभि समिति ने भी यह कहा था कि बम्बई को एकभाषी राज्य का अंग बनाना उसका शीघ्र ह्रास करना है। मैं केवल गुजरात के लिये ही नहीं वरन् संपूर्ण देश के लिये कहता हूं कि बम्बई को एकभाषी राज्य का अंग बनाना एक राष्ट्रीय आपत्ति होगी। इसलिये सरकार ने यह मध्य-मार्ग निकाला है कि सबके लाभ के लिये बंबई को संघ राज्य क्षेत्र बनाया जाये और उसे किसी एक राज्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० सी० शाह]

में न मिलाया जाये । लोग यह कहते हैं कि न्याय किया जाये किन्तु क्या न्याय का अर्थ यह है कि सोलहों आने उनकी मांग पूरी की जाये ? मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार खुश करने की नीति से किसी का समाधान नहीं होगा । प्रत्येक बार उनकी मांगें मंजूर करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु क्या अब भी वे हाई कमान का इस विषय में आदेश मानने के लिये तैयार हैं ? श्री शंकरराव देव बार-बार कहते हैं कि बम्बई के प्रश्न को छोड़ किसी बात पर भी प्रधान मंत्री की मध्यस्थता स्वीकार करूंगा । मैं पूछता हूं कि क्या प्रधान मंत्री इस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, क्या उन्होंने जवाहर-बल्लभ-पट्टाभि प्रतिवेदन में यह नहीं कहा है कि बम्बई को एक भाषी राज्य का अंग बनाने का अर्थ उस नगर का शीघ्र ह्रास करना है ? उस प्रतिवेदन में प्रधान मंत्री ने ही यह आश्वासन दिया था कि बम्बई किसी भी दशा में एक भाषी क्षेत्र का भाग नहीं बनाया जायेगा । यही आश्वासन कांग्रेस अध्यक्ष ने भी दिया था ।

आप उग्र भावनाओं की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि सौराष्ट्र , गुजरात या कच्छ में एक भी ऐसा गांव या शहर न होगा जिसकी अर्थ-व्यवस्था या समृद्धि बम्बई पर निर्भर न हो । इसी प्रकार महाराष्ट्र और वहां की जनता भी बम्बई पर निर्भर है । इस तरह हम दोनों का ही बम्बई से घनिष्ट सम्बन्ध है । कहा जाता है कि बम्बई को महाराष्ट्र से अलग करना धड़ से सिर अलग करना है । मैं कहता हूं कि यही बात गुजरात के लिये भी लागू होती है । इसलिये सरकार यह कहती है कि हम सभी के लाभ के लिये उसे बनाये रखेंगे । लोग यह सोचते हैं कि यदि बम्बई संघ क्षेत्र बन जाता है तो उसके चारों ओर एक तरह की चीन की दीवार खड़ी कर दी जायेगी जहां कि कोई न आ सकेगा, जैसा कि रत्नागिरि और कोलाबा के लोग बम्बई से बाहर निकाल दिये जायेंगे । मैं कहता हूं कि इसी लिये बम्बई को अलग रखा जा रहा है ताकि वह पूरी तौर से किसी एक दल के पास न जा सके । भाषावार राज्य में यह स्वाभाविक है कि एक शक्तिशाली समुदाय सभी राजनीतिक शक्ति और साधनों का उपयोग कर अपने लिये विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त कर ले । भाषावार राज्यों का वही आधार है । जो उस भाषावार समुदाय का नहीं होता उसे बाहरी समझा जाता है और उसे निम्न श्रेणी का नागरिक समझा जाता है । इसलिये सरकार यह नहीं चाहती कि बम्बई में सदियों से रहने वाले लोगों को कोई हानि हो ।

महाराष्ट्र के केवल एक व्यक्ति अप्पा साहेब पटवर्धन ने सच्ची बात कही है । वे कहते हैं कि एक पिता के दो लड़के संयुक्त संपत्ति के लिये लड़ते हैं और किसी बात पर सहमत नहीं होते । ऐसी अवस्था में पिता का यह कहना कि दोनों के लाभ के लिये मैं संपत्ति उसी प्रकार रखूंगा जब तक कि वे सहमत नहीं हो जाते । मैं पूछता हूं कि क्या संघ सरकार यह कहेगी कि महाराष्ट्रीयों को बम्बई के लाभ नहीं दिये जायेंगे ? मेरा नम्र निवेदन है कि यही एकमात्र ठीक विनिश्चय है जो वर्तमान परिस्थितियों में किया जा सकता है । वही ठीक निर्णय है । यह मैं केवल गुजरात के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये कहता हूं कि बम्बई राष्ट्र के लिये गर्व की वस्तु है ।

†**श्री सी० भट्ट** (भड़ौच) : मैं राज्य पुनर्गठन विधेयक का समर्थन करता हूं । विरोधी दल के हरेक सदस्य ने बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने का समर्थन किया है । मैं समझता हूं कि अपने दल के अस्तित्व के लिये उन्हें उस प्रकार कहना पड़ रहा है ।

इस ओर स्वामी श्री रामानंद तीर्थ का भाषण सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । वे कहते हैं कि मैं सुधार करने के लिये और मानने के लिये तैयार हूं । दर आयोग ने बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के विरुद्ध प्रतिवेदन दिया है । जवाहर-वल्लभ-पट्टाभि प्रतिवेदन भी उसके विरुद्ध है । फिर कार्यकारिणी समिति का विनिश्चय भी उसी तरह है । उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग प्रतिवेदन है । इससे अधिक वे विश्वास और सुधार के लिये क्या चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदा ही कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसी तरह की कई बातें बम्बई में हुई हैं। बम्बई में उपद्रव और अत्याचार हुये हैं। मेरे माननीय मित्र डा० सुरेशचन्द्र ने कल कहा कि जो हो गया सो हो गया। मैं पूछता हूं कि यदि हमारी स्त्रियों का इस प्रकार अपमान किया गया होता तो हम क्या करते? बम्बई महाराष्ट्र का अंग बनने के पूर्व ही ऐसी घटनाएं हो गयी हैं। महाराष्ट्री बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने श्री शंकर राव देव को अपना प्रवक्ता चुना है। श्री शंकर राव देव की आड़ में वे अपना शिकार खेलना चाहते हैं। वें पहिले सर्व सेवा संघ में थे अब भूदान में चले गये जहां वे भारत में घूम घूम कर यह प्रचार करते हैं कि सभी भूमि गोपाल की है लेकिन जब बम्बई आते हैं तो कहते हैं बम्बई महाराष्ट्र का है।

†**श्री रामानन्द तीर्थ** (गुलबर्गा) : मुझे उक्त शब्दों पर आपत्ति है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से यदि किसी व्यक्ति के राजनैतिक कार्यों की आलोचना की जाय तो उसके पक्ष वालों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। साथ ही मैं माननीय सदस्य से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वह किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसी बातें न करें।

†**श्री सी० भट्ट** : महाराष्ट्रियों ने एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की है जो इस समय मेरे हाथ में है। इसमें कई नारे दिये गये हैं जो एक प्रकार से गुजरातियों के विरूद्ध जिहाद है। उसमें कहा गया है कि बम्बई के महाराष्ट्र में मिलाये जाने के सम्बन्ध में कांग्रेसी नेताओं ने जो वक्तव्य रेडियो पर अथवा समाचारपत्रों में दिये हैं वे अभिप्राय पूर्वक तथा रहस्यमय तरीके से तर्कशून्य हैं। आगे कहा गया है कि मुख्यत: पूंजीपतियों, गुजराती बनियों, को इस पर आपत्ति है। आप 'बनिया' शब्द पर ध्यान दीजिये वे कहते हैं कि गुजराती धनी होते हैं। काश गुजरात धनी होता। * * *

कल श्री खर्डेकर ने कहा था कि हमारी रगों में शिवाजी का रक्त है यह ठीक है, किन्तु मेरे विचार से उन्होंने उनके अवगुण ही ग्रहण किये हैं गुण नहीं लिये हैं। * * *

वे ऐसी-ऐसी पुस्तिकायें प्रकाशित कर रहे हैं आप सोचिये कि इससे हम पर क्या बीतती होगी।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : मेरे विचार से राज्यों के पुनर्गठन का होना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पांचवीं महान घटना है। प्रथम चार घटनायें इस प्रकार हैं। पहिला रियासतों का विलयन, दूसरा संविधान का निर्माण, तीसरा हमारे देशव्यापी चुनाव, चौथा प्रथम पंचवर्षीय योजना। मैं चाहता हूं कि यह पुनर्गठन इस प्रकार का हो कि विघटन की जड़ें सदैव के लिये समाप्त हो जायें और भारत के गठन की शक्तियों को अधिक बल प्राप्त हो सके।

उदाहरणस्वरूप, पांच परिषदें स्थापित करने का प्रस्ताव बहुत उचित है। इससे देश की एकता को बल मिलेगा। कई सदस्यों ने इन क्षेत्रीय कार्यों के सम्बन्ध में संदेह और भय प्रकट किया है तथापि मेरे विचार से ये परिषदें समृद्धिशाली भावी भारत की नींव सिद्ध होंगी।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मैंने पिछली बार यह निवेदन किया था कि सारी अनिश्चित बातों को विधेयक से हटा दिया जाय दूसरी अनिश्चित बात पंजाब का मामला था। मुझे प्रसन्नता है उस सम्बन्ध में क्षेत्र बनाने का निश्चय कर लिया गया है और भविष्य में इसी योजना पर अमल किया जायेगा। मैं चाहता हूं हम इस योजना पर दृढ़तापूर्वक कायम रहें जिससे कि यह विवाद पुन: खड़ा न होने पाये।

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि लोहारू को पंजाब से पृथक नहीं किया गया है और पंजाब व पेप्सू का एकीकरण कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

***अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री बंसल]

दिल्ली क्षेत्र के विस्तार की मांग की गई है और तर्क यह किया गया है कि क्योंकि दिल्ली की आबादी बढ़ गई है अतः उसे अधिक क्षेत्र मिलना चाहिये । मेरे विचार से यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि प्रत्येक राज्य व भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या उसके लिये अधिक क्षेत्र की व्यवस्था की जाय ? ऐसे लोगों की नजर हरियाना प्रांत या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर है ।

जहां तक दिल्ली के लिये लोकतंत्रात्मक शासन का सम्बन्ध है, मैं इस बात पर आग्रह करूंगा कि केवल दिल्ली ही नहीं अपितु बम्बई व हिमाचल प्रदेश में भी लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था की जाय । मेरे विचार से अब नौकरशाही के दिन चले गये हैं । अब सभी क्षेत्रों में चाहे वह छोटा हो या बड़ा लोकतंत्रात्मक शासन ही होना चाहिये ।

मुझे संघ क्षेत्र (यूनियन टैरिटरी) नाम भी पसन्द नहीं है । इससे कुछ अच्छा नाम रखा जा सकता है । मुझे कुछ अन्य बातें भी कहनी थीं, परन्तु क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है । अब मैं उन्हें संयुक्त समिति को लिखित रूप से दे दूंगा ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : इस सदन के सामने बहुत गम्भीरतापूर्वक बम्बई का सवाल रक्खा गया । कल से आज तक बम्बई के मसले पर हमने बहुत काफी भाषण इस सदन में सुने । जहां तक बम्बई का सवाल है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं समझता हूं कि यह मसला इस कदर बिगड़ चुका है कि हम इसको सम्भालने की या संवारने की जितनी कोशिश करते हैं यह उतना ही उलझता जाता है । आज जो बिल गृह-मंत्री महोदय ने हमारे सामने राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में रक्खा है, उसमें बम्बई का नक्शा एक यूनियन टेरिटरी (केन्द्र प्रशासित क्षेत्र) के तरीके पर आया है । आज बम्बई यूनियन टैरिटरी रहे या कोई और शक्ल उसकी बन जाय, वह हमारे नेताओं और इस सदन के सारे सदस्यों के देखने की बात है । मैं सिर्फ यह कहूंगा कि बम्बई हो या दिल्ली या हिमाचल प्रदेश हो मेरी समझ में इन इलाके के लोगों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनसे उन्हें वंचित किया जाय यह मुनासिब नहीं अथवा उचित नहीं ।

अभी हमारी माननीय बहन सुचेता कृपालानी जी ने निहायत अच्छी दलीलें देकर यह बताया है कि दिल्ली के लोगों को बहुत वाद-विवाद के पश्चात कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे और आशा थी कि उन्हें दूसरे राज्यों के लोगों के मुताबिक अधिकार प्राप्त होंगे । परन्तु अब जो यह राज्य पुनर्गठन बिल यहां पेश किया गया है इसमें इन अधिकारों को भी वापस ले लिया गया है और इतना ही नहीं बल्कि और भी कुछ इलाके हैं जिनको इस कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है जैसे हिमाचल है, या बम्बई । सुचेता जी ने यह भी बताया है कि शुरू में जो बिल हमारे सामने आया था उसमें यह अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया था कि इन इलाकों में किस किस्म का नक्शा यहां बने, कैसी राज्य व्यवस्था हो, किस प्रकार के स्वशासन के अधिकार इन इलाकों के लोगों को दिये जायें, मगर अब जो बिल हमारे सामने आया है उसमें पार्लियामेंट को भी इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है और सारे क सारे अधिकार यूनियन प्रेज़ीडेंट द्वारा घोषित किये जायेंगे । वह जो चाहें करें अर्थात सरकार जिस प्रकार की शासन-व्यवस्था चाहे स्वयं नियत करे । राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कई पार्ट सी० (भाग ग) राज्य बड़े राज्यों में मिलाये जा रहे हैं जैसे भोपाल, अजमेर । हमारा राज्य उन राज्यों के समान तो शासित होगा नहीं यह सीधे केन्द्रीय सरकार के आधीन मनीपुर और त्रिपुरा के समान शासन-व्यवस्था प्राप्त करेगा इसमें भी सन्देह होता है ।

मुझे उन बातों को दुहराने की जरूरत नहीं है कि "ग" श्रेणी के राज्यों को जो अधिकार अभी तक मिले हैं वे किस प्रकार मिले हैं और उनको प्राप्त करने के लिये उन्हें कितनी कशमकश करनी पड़ी है या संघर्ष करना पड़ा है । इस भवन के सब माननीय सदस्य इन सब बातों को अच्छी तरह

से जानते हैं। जो अधिकार दिये गये हैं उनको देने से पहले अच्छी तरह ऊंच-नीच का विचार कर लिया गया था। एक स्वतन्त्र देश में और विशेषकर ऐसे इलाके के लोगों को जो कि अपने राइट्स (अधिकारों) के लिये कांशस (जागरूक) हों, जिनकी ज़मीर (चेतन) हो, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में बड़ी से बड़ी कुर्बानी की हो, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना किया हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत झेली हो, उनको उनके अधिकारों से वंचित करना कोई उचित बात नहीं है।

मैं आपसे तथा इस सदन से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई छः महीने हुए यह नक्शा हमारे सामने रखा गया था कि दिल्ली को 'ग' श्रेणी का राज्य न रख कर इसको एक यूनियन टैरिटरी बनाया जाय। इन छः महीनों के अन्दर हिन्दुस्तान के बहुत से राज्यों के मसले तय हुए हैं और हमारे नेताओं ने उन तमाम को जो उन राज्यों से ताल्लुक रखते थे, बिठा कर बातें की हैं और उलझनों को सुलझाने की कोशिश की है। मगर दिल्ली की बदकिस्मती है और साथ ही साथ बम्बई और हिमाचल की भी, कि बावजूद इस बात के कि यहां के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वे लोक-सभा के हों और चाहे विधान सभा के, जब कभी भी उन्होंने इस बात के लिये प्रार्थना की है कि दिल्ली के मसले को जल्द तय किया जाय, या यूनियन टैरिटरीज़ का जो मसला है उस को तय किया जाय, उस पर कभी भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप जितनी देरी इस नक्शे को, या यूनियन टैरिटरीज़ का क्या भविष्य होगा और किस तरह से वहां पर शासन चलाया जायगा, रखने में करते जाते हैं उतनी ही मायूसी लोगों में फैलती ज़ाती है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की करीब-करीब २० लाख आबादी ऐसे लोगों की है जो अपने अधिकारों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जिन्होंने बड़े से बड़े काम अपने मुल्क के लिए किए हैं और आगे भी करने को तैयार हैं। अगर आज भी किसी कुर्बानी की ज़रूरत हो तो वे पीछे रहने वाले नहीं हैं। ऐसे इलाके के लोगों को अगर आप वाजिब अधिकार न दें और यह कहें कि तुम्हारे मसले पर बाद में सोच विचार किया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका उन पर क्या असर पड़ेगा। इस वास्ते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस मसले पर अवश्य रोशनी डालें और हमें बतायें कि आप क्या करने का विचार करते हैं। अगर आप यह कहते जायें कि हम दूसरे मसलों पर ग़ौर कर रहे हैं और आपका मसला बाद में लिया जायगा तो यह कोई तसल्ली देने वाली बात न होगी। दिल्ली में तीन सौ गांव हैं जिन के मुस्तकबिल के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। गांव वाले हमसे पूछते हैं कि क्या तय हुआ है। शहर के अन्दर जो सिविक एड्मिनिस्ट्रेशन (नागरिक प्रशासन) है उसका भी झगड़ा बराबर चला आता है। आज दिल्ली स्टेट ने भी, विधान सभा ने भी, सभी ने इस बात को माना है कि सिविक एड्मिनिस्ट्रेशन और राज्य अधिकार का दर्जा अलग-अलग है और यहां पर एक अच्छी कारपोरेशन होनी चाहिए, एक मज़बूत कारपोरेशन होनी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ा है। क्या अधिकार हमको आगे मिलने वाले हैं और क्या कुछ नक्शा देहली को मिलने वाला है इसके सम्बन्ध में यह बिल गोल है। इस बिल में सिर्फ यह कह दिया गया है कि इस मसले को प्रेसिडेंट के हुक्म से तय किया जायेगा या इन मसलों पर बाद में ग़ौर किया जाएगा इसे मैं मुनासिब नहीं मानता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमारे नेताओं का यह ख्याल है कि इस मसले को देर से भी तय कर सकते हैं और देर में यह अच्छी तरह से तय हो जायगा तो उनका यह ख्याल ठीक नहीं है। जितनी देर से यह मसला तय होगा उतनी ही ज्यादा उलझनें इसको तय करने में पैदा होती जायेंगी। साथ ही अगर किसी के दिमाग में यह बात है कि दिल्ली की जनता अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा अपनी मांग को मनवाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं कहूंगा कि उनका यह ख्याल सही नहीं है। आज दिल्ली की जनता यह नहीं चाहती कि वह ऐसे रास्ते अख्तयार करे कि जिससे हमारे नेता जो कई चीज़ों में उलझे हुए हैं, या बड़े-बड़े मसलों को तय करने में लगे हुए हैं, अधिक तकलीफ में पड़

[श्री राधा रमण]

जायें या उनकी दिक्कतों में इज़ाफा हो। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली एक ऐसी जगह है कि जहां केन्द्रीय सरकार की नीति को सही तौर पर समझा जाता है। चाहे वह सैक्युलरिज्म (धर्मनिरपेक्षता) हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह स्वतन्त्रता संग्राम हो, चाहे वह स्वयं अधिकारों की रक्षा हो, इन सब बातों को यहां की जनता सही ढंग से सोचती है। ऐसे इलाके की जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर देना, मैं समझता हूं, एक गैर वाजिब बात है, इसमें न इन्साफ है और न ही न्याय है। यह मसला आज दिल्ली तक ही महदूद नहीं है, अब यह बम्बई का मसला भी है और हिमाचल का भी है। इसके अलावा और भी तीन छोटे इलाके मौजूद हैं जैसे मनीपुर, त्रिपुरा आदि। मैं गृह-मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे अब देरी न करके जो भी नक्शा देहली व अन्य यूनियन टेरिटरीज़ का वह चाहते हैं उसे हमारे सामने रखें ताकि हम उसे स्टडी (अध्ययन) कर सकें और देख सकें कि वह हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार है अथवा नहीं और कहां तक हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है।

मैं माननीय मंत्री जी से तथा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग स्वतन्त्रता के पुजारी हैं, जिन के हाथों से हमने यह अधिकार आज से पांच साल पहले प्राप्त किये थे वे उन अधिकारों से किसी भी इलाके की जनता को वंचित न करें। और जो राय हम लोगों की है या तो उसके अनुसार अथवा कोई ऐसा नक्शा हमारे सामने शीघ्र रखें जिससे यह मायूसी जो दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है, दूर हो और दिल्ली के लोगों को भी इस बात का भरोसा हो कि दिल्ली के मसले का भी हल होने जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारे नेताओं का इस तरफ ध्यान जायगा और जो कुछ मैंने कहा है वे उस पर संजीदगी के साथ ग़ौर करेंगे।

†**डा० गंगाधर शिव** (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं राज्य पुनर्गठन विधेयक को एक पुनीत विधेयक समझता हूं, क्योंकि यह गृहमंत्री जैसे महान व्यक्ति के हाथों से प्रस्तुत हुआ है और इसलिए भी कि यह निकट भविष्य में भारत का भाग्य विधायन करेगा। मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के तीनों सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करता हूँ। वे वस्तुतः विद्वान, निष्पक्ष और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने अपनी पूरी सामर्थ्य से नवीन भारत का नक्शा बनाया है।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोक-सभा के सदस्य ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिनसे अवांछित कार्यवाहियों को बढ़ावा मिल सकता है। इन बातों का परिणाम यह हुआ कि लूटमार, हत्याएं इत्यादि तक हुईं और इस प्रकार सारे भारत की शांति भंग हुई। विश्व के सारे देश और विशेषकर हमारा पड़ौसी देश इन घटनाओं को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा है।

अब मैं वेल्लारी के प्रश्न को लेता हूँ। वेल्लारी हमारे क्षेत्र से मिला हुआ है। यह बहुत अभागा है क्योंकि वह सभी दृष्टियों से दरिद्र और हीन है। किन्तु अब मैसूर के मुख्य मंत्री की आँखें उस प्रदेश पर गढ़ी हुई हैं और वे उसे डकारना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार वेल्लारी के सम्बन्ध में अपने निर्णय में संशोधन करे और वेल्लारी आंध्र को दे दें।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला-शिमला) : राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश की एकता में वृद्धि हो तथा उसके आर्थिक विकास को यथाशक्ति प्रोत्साहित किया जाय। उक्त उद्देश्य को भली भांति समझने के लिये आपको पाकिस्तान की घटनाओं का अध्ययन करना होगा। पाकिस्तान यह कभी नहीं चाहता कि हम एक प्रथम श्रेणी के राज्य के रूप में तरक्की करें। वहां हमारे देश के विरुद्ध जिहाद की आवाज बुलन्द है, कवायली लोग काश्मीर में हमला करने को तुले बैठे हैं। इस सब के पीछे अमरीकी सहायता तथा अन्य पश्चिमी देशों का प्रोत्साहन है, किन्तु फिर भी हम पाकिस्तान से एक सबक सीख सकते हैं। वह यह है कि पश्चिमी पाकिस्तान में पांचों राज्यों का एकीकरण

---

†मूल अंग्रेजी में

कर एक राज्य बना दिया गया जब कि इसके विपरीत यहां क्या हो रहा है ? यहाँ भाषा, जाति तथा क्षेत्रों के आधार पर राज्य पुनर्गठन की आवाज उठाई जा रही है और संघर्ष और विघटन को बढ़ावा दिया जा रहा है । ये सब कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि अपने निहित स्वार्थों का बलिदान नहीं कर सकते और अपने अधिकार अथवा पदों पर चिमटे रहना चाहते हैं । मैं श्री गिरि द्वारा कहे गये पांच क्षेत्रीय परिषदों वाले प्रस्ताव का अक्षरशः समर्थन करूंगा । हमें बम्बई महाराष्ट्र इत्यादि कुछ नहीं चाहिये केवल पांच केन्द्रीय क्षेत्र चाहियें इसलिये मेरे विचार से पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली व काश्मीर को सम्मिलित करके निर्मित सुदृढ़ पंजाब राज्य बनाना अधिक वांछनीय होगा । हमारे आर्थिक विकास औद्योगिक समृद्धि इत्यादि सभी के लिये एकसी योजनायें होनी चाहियें तभी हममें राष्ट्रीयता और एकता की भावना का विकास होगा; किन्तु इसके विपरीत इस समय ऐसी बातें हो रही हैं जिनसे प्रान्तीयता, जातीयता और भाषावाद को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे द्वेष, फूट और झगड़ों की भावना में वृद्धि होगी ।

पंजाब के मामले पर बहुत धैर्य और संयम से काम लिया गया है । यद्यपि कुछ पक्षों के हितों का ख्याल रखा गया है और उनकी बातें भी मान ली गई हैं । वे लोग संतुष्ट हो गये हैं किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं होना चाहिये कि वे लोग इसके आधार पर कल इससे बड़ीं मांगें करने लगें ।

मेरे मित्र लाला अचित राम ने कहा है कि वहां अभी तीन पक्ष असंतुष्ट हैं । कुछ लोग—जिन्हें महापंजाब के अनुयायी या जनसंघी कहा जा सकता है—असंतुष्ट हैं क्योंकि उनकी बात सुनी ही नहीं गई है । कम से कम एक बार तो उनकी बात सुन ली जानी चाहिये थी, फिर चाहे आप कुछ ही निर्णय कर लेते ।

आज के भाषणों में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शित किया गया है । हिमाचल प्रदेश में १८ लाख की जनसंख्या है । वे कहते हैं कि हम पृथक रहना पसन्द करते हैं । दिल्ली वाले भी यही कहते हैं यदि वे लोकतन्त्रात्मक सरकार चाहते हैं तो वे पंजाब में विलीन क्यों नहीं हो जाते । हिमाचल प्रदेश में एक न्यायिक आयुक्त (जुडीशियल कमिश्नर) का न्यायालय है जो जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के पद के अधिकारी के अधीन है । मेरे विचार से इन छोटे-छोटे न्यायिक आयुक्त के न्यायालयों के स्थान पर एक बड़ा उच्च न्यायालय होना चाहिये ।

इस नये राज्य की राजधानी के लिये सरदार हुक्मसिंह ने पटियाला का दावा किया है । मुझे ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के मुख से ऐसी बात सुन कर बड़ा दुख होता है । चंडीगढ़ में, नई राजधानी के लिये करोड़ों रुपया विनियोजित किया गया है और पूर्व योजना के अनुसार निर्मित यह राजधानी वस्तुतः देश का गौरव है । इसलिये अब राजधानी बदलने का कोई कारण नहीं होना चाहिये ।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : जब शुरू में राज्य पुर्नगठन का प्रश्न उठा था तो हमने सोचा था कि यह समस्या राष्ट्रीय आधार पर सुलझाई जायेगी । परन्तु वर्तमान सरकार ने इस समस्या को ऐसा रूप दे दिया है कि इस में साम्प्रदायिकता, जातीयता आदि झलकने लगी है । मेरा कहना यह है कि इसे राष्ट्रीय आधार पर तय किया जाये । सरकार ने इस समस्या के सम्बन्ध में अथवा किसी भी अन्य समस्या के सम्बन्ध में मूलभूत सिद्धान्तों को मान्यता नहीं दी है । यही कारण है कि इस समस्या में प्रदेश आदि की भावनायें पैदा हो गई हैं ।

जहां तक मेरे राज्य का प्रश्न है, हम जो चाहते थे वह हमें मिल गया । जिस केरल राज्य की हमें आकांक्षा थी वह हमें मिल गया ।

कुछ प्रतिक्रियावादी लोग उस राज्य में भी हैं । कुछ सदस्यों ने यहां 'दक्षिण देश' या दक्षिण भारत का एक राज्य बनाये जाने की मांग की है । मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या लाभ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वेलायुधन]

इस समय हमारे राज्य में राष्ट्रपति का शासन है। परन्तु हमें आशा है कि लगभग एक वर्ष में वहां भी लोकप्रिय सरकार कायम हो जायेगी।

यह खेद का विषय है कि बम्बई के प्रश्न पर इतनी गर्मा-गर्मी हुई है। मेरे मन में देश के गुजरातियों के प्रति अत्यन्त सम्मान है; इसलिये मैं चाहता हूं कि हमें गुजरातियों की भावनाओं का आदर करना चाहिये। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि बम्बई गुजरातियों को दे दिया जाये या केन्द्र के अधीन रखा जाये। मैं तो यह चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जाये जो गुजरातियों को भी मान्य हो।

जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में लोकतन्त्रात्मक शासन हो। यह एक अलग इकाई के रूप में कायम रहे। समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना के लिये छोटे-छोटे राज्य बनाना लाभप्रद होगा। उदाहरण के लिये, विंध्य प्रदेश ने पिछले पांच वर्ष में आशातीत उन्नति की है। तो मैं चाहता हूं कि जिन राज्यों के अपने विधान मंडल हैं वे पृथक् इकाइयों के रूप में कायम रहने चाहियें।

†**श्री एन० पी० नथवानी** (सोरठ) : मेरे मित्र श्री सी० सी० शाह ने बम्बई के बारे में जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और उन बातों के पुष्टीकरण के लिये ही मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्रस्तुत विधेयक में बम्बई को केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने का उपबन्ध किया गया है। ठीक है कि इससे महाराष्ट्रियों को बुरा लग रहा है, किन्तु हम प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी भी तो नहीं कर सकते। वे कुछ तो भावना के कारण और कुछ तर्क के कारण बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाना चाहते हैं। उन की भावना यह है कि उन के साथ अन्याय किया जा रहा है। भाषा का बहाना लेकर कुछ विरोधी दलों के नेताओं ने उन में जहर फैला दिया है।

मुझे याद है कि महाराष्ट्र के एक नेता ने, जो महात्मा की तरह रहते हैं, यह वक्तव्य दिया था कि जब दो भाई किसी सम्पत्ति के लिये लड़ते हैं तो उन का बाप वह वस्तु अपने लिये रख लेता है। कांग्रेस कार्यकारिणी और केन्द्रीय सरकार का निश्चय भी इसी प्रकार की भावना पर आधारित है।

आचार्य विनोबा भावे ने बम्बई के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि महाराष्ट्री होने के नाते मैं बम्बई को चाहता हूं किन्तु गुजरातियों को भी इस बारे में निश्चय करना चाहिये। गुजरातियों से मतलब अन्य जातियों से भी है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न का निर्णय शांतिपूर्ण ढंग से किया जाय।

बम्बई का सम्बन्ध केवल महाराष्ट्र या गुजरात से नहीं बल्कि समस्त भारत से है। बम्बई नगर की एक विशेष स्थिति है और उसकी तुलना भारत के अन्य नगरों के साथ ठीक नहीं बैठती।

श्री फीरोज गांधी ने महाराष्ट्र का पक्ष लेते हुये कहा है कि महाराष्ट्र बम्बई का पृष्ठ देश है। किन्तु यदि हम गम्भीरता से विचार करें तो हमें पता लगेगा कि भौगोलिक तथा आर्थिक दृष्टि से बम्बई का सम्बन्ध गुजरात से अधिक है। केवल इतना ही नहीं बम्बई समस्त देश का एक द्वार है क्योंकि देश का ५५ प्रतिशत आयात और ४५ प्रतिशत निर्यात बम्बई से होता है और सारे देश का उससे निकट सम्बन्ध है। अतः जब हम अपने देश की उन्नति के लिये महान् योजनायें बना रहे हैं तब भाषा विशेष का ढोल पीटना हमें शोभा नहीं देता और उस आधार पर हम ऐसा महत्वपूर्ण निश्चय नहीं कर सकते।

श्री गाडगील ने अपने भाषण में कहा है कि प्रधान मंत्री ने भी बम्बई को महाराष्ट्र का अंग स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब किसी अवधि की घोषणा कर देनी चाहिये। किन्तु मैं कहता हूं कि बाद में इस प्रश्न पर यदि विचार भी किया गया तो क्या यह जरूरी है कि महाराष्ट्र

†मूल अंग्रेजी में

के पक्ष में ही फैसला किया जायेगा । इस प्रश्न के दूसरे पहलुओं को हमें भूल नहीं जाना चाहिये । अन्य लोगों के हितों को हमें सदैव ध्यान में रखना होगा । अतः मैं माननीय गृह-मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में सरकार का निश्चय हमें बतायें और ऐसा तरीका अपनायें जिस से यह समस्या शांति-पूर्वक हल हो सके ।

†**सभापति महोदय** : श्री लाश्कर से अपना भाषण प्रारम्भ करने को कहने से पूर्व मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से अपना संशोधन प्रस्तुत करने को कहता हूं ।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में "and 17 Members from Rajya Sabha" ["और राज्य सभा के १७ सदस्य हों"] के बाद यह जोड़ दिया जाय:

"with directions to include in the Bill such provisions for the amendment of the First and Fourth Schedules to the Constitution as may be necessary"

["इस अनुदेश के साथ कि विधेयक में, संविधान की पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी शामिल किये जायें जो आवश्यक हों"]

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह संशोधन, अध्यक्ष महोदय द्वारा आज सवेरे कही गई बातों के अनुरूप है ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री लाश्कर** (कचार -- लुशाई पहाड़ियां—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : आसाम के लिये यह कहा गया है कि राज्यों के पुर्नगठन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है किन्तु इस से पता चलता है कि आसाम के बारे में सदस्यों को कोई परवाह नहीं है । मैं यह बताना चाहता हूं कि आसाम की स्थिति पर इतना प्रभाव पड़ा है कि उस से देश की एकता भंग हो सकती है ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा था कि भाषाओं के जो अल्पसंख्यक दल हैं उन के हितों की रक्षा की जायेगी किन्तु विधेयक में हम देखते हैं यह काम क्षेत्रीय परिषदों को सौंपा जायेगा । वे इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकेंगी ।

उदाहरण के लिये आसाम में, मैं कचार जिले का रहने वाला हूं जहां बंगला बोली जाती है किन्तु हमारे यहां लोगों को भय है कि प्रारम्भिक स्तर से आगे उनकी भाषा पर ध्यान नहीं दिया जायेगा । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में भाषायी अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये कोई उपबन्ध किया जाय ।

मैं तेलंगाना का आंध्र के साथ, विदर्भ का महाराष्ट्र के साथ और बंगाल का बिहार के साथ मिलना ठीक समझता हूं किन्तु मैं यह बात पसन्द नहीं करता कि केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाये । विधेयक में उनकी संख्या ३ से बढ़ा कर ७ कर दी गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य पुनर्गठन आयोग और आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति की सिफारिशों की ओर ध्यान न देकर मनीपुर और त्रिपुरा को पड़ौसी राज्यों में क्यों नहीं मिलाया गया है ।

हमारे मुख्य मंत्री की यह राय है कि भारत की एकता और सुरक्षा के लिये उत्तर पूर्व का सारा प्रदेश एक एकीकृत प्रशासन के अधीन होना चाहिये जिससे वह आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सके । हमारी आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति ने गत फरवरी में संकल्प पारित कर मांग की थी कि मनीपुर और त्रिपुरा का आसाम में विलय किया जाये । राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है । परन्तु विधेयक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाश्कर]

में मनीपुर और त्रिपुरा दोनों को ही अलग रखा गया है। इस से दो बातें होंगी। छोटे क्षेत्रों में समाज विरोधी तत्वों को स्थान मिल जायेगा। प्रत्येक पहाड़ी जिले की यही स्थिति होने के कारण वह अलग राज्य की मांग करेगा। मनीपुर और त्रिपुरा में से प्रत्येक की आय ३५ से ५० लाख रुपये की है और केन्द्र लगभग १५० लाख रुपये देता है। क्या ये दो राज्य इस आय से लोकतन्त्र राज्य बन सकते हैं? परन्तु, लोकतन्त्र राज्य बनने की मांग उचित मांग है। अतः वे आसाम में विलीन किये जाने चाहियें। इस सामरिक महत्व के प्रदेश में समाज-विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देना खतरनाक है। इस के एकीकरण को प्रोत्साहन देना भारत गणराज्य के पूर्वोत्तर सीमान्त के लिये अत्यावश्यक है।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था कि मनीपुर अधिक देर तक अलग नहीं रह सकता। यदि इस प्रकार का राज्य प्रतिनिधि सरकार चाहता है तो उसे बड़े राज्य में विलीन हो जाना चाहिये।

मेरा निवेदन है कि मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है उन पर सभा के सदस्य, संयुक्त समिति और माननीय मंत्री विचार करें।

श्री ज्वाला प्रसाद : अब तक आप उन प्रान्तों के बारे में, दो रोज से बहस सुन रहे हैं, जिनमें बड़े-बड़े झगड़े और बड़े-बड़े विवाद थे। मैं एक बहुत छोटे से प्रान्त से आता हूं जिस को स्टेट्स रिआर्गिनाई-जेशन रिपोर्ट (राज्य पुनर्गठन प्रतिवेदन) में राजस्थान के साथ मिलाने की सिफारिश की गयी है।

अजमेर सी० स्टेट 'ग' राज्य है लेकिन अगर उसका पुराना इतिहास देखा जाये तो मालूम होगा कि पिछले डेढ़ सौ बरस से वह सीधा भारत सरकार द्वारा शासित होता आया है। वह कोई ऐसी सी० स्टेट नहीं है जो कि सन् १९५२ में वजूद में आयी हो। वह पहले राजपूताना एजेंसी के बीच में था। इस सिलसिले में मुझे महाराष्ट्र का नाम भी लेना पड़ेगा। बहुत पहले अजमेर में पेशवाओं का राज्य था। लेकिन एक बार जब पेशवा अंग्रेजों से दक्षिण में हारे तो उन्होंने अजमेर अंग्रेजों को पेश कर दिया। अंग्रेजों ने अजमेर को इसलिये ले लिया क्योंकि वहां से राजस्थान के राजाओं पर अच्छी तरह से नियन्त्रण रखा जा सकता था। अंग्रेजों के वक्त में अजमेर में एजेंट टू दी गवर्नर जनरल रहा करते थे और वहां पर भारत सरकार की ओर से एक चीफ कमिश्नर शासन करता था। इस तरह से वहां की सात लाख जनता का भार सीधा भारत सरकार पर रहा है। इस डेढ़ सौ साल में भारत सरकार द्वारा अजमेर का शासन जिस अच्छी तरह से चलाया गया है उसके लिये मैं भारत सरकार का सात लाख जनता की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। मुझे यह कहना पड़ता है कि वहां के लिये भारत सरकार ने जो व्यवस्था की थी वह राजस्थान से ऊंची थी। आज वहां शिक्षा का यह हाल है कि वह मद्रास के बाद दूसरे नम्बर पर है। वहां हर गांव में स्कूल है, हर गांव में अस्पताल है और दूसरी सुविधायें हैं। इसके लिये हम लोग भारत सरकार के बहुत ममनून (आभारी) हैं। लेकिन जब हम लोग अजमेर को भारत सरकार द्वारा राजस्थान से मिलाने की बात सुनते हैं तो हम सात लाख लोगों के हृदय भारी हो जाते हैं। उसका कारण है। पहले मत्स्य राजस्थान का इनागुरेशन हुआ। उसके एक महीने बाद काका साहब गाडगील के हाथों, जो कि उस समय सेंटर में मिनिस्टर थे, कोटा में छोटे राजस्थान का इनागुरेशन (उद्घाटन) हुआ। इसके बाद उससे बड़े राजस्थान का पंडित जी ने उदयपुर में इनागुरेशन किया और उसके बाद जोधपुर और जयपुर आये। मैं कह सकता हूं कि अगर आप उस वक्त के हालात को पढ़ेंगे तो आप को मालूम होगा कि सरदार पटेल ने उस वक्त बड़ी ताकत के साथ इन देशी राज्यों को काबू में किया था। उस वक्त बहुत बड़ा डर था कि कहीं जोधपुर के महाराज और दूसरे लोग इस तरह का कोई षड्यन्त्र न करें और जिन्ना साहब से कोई साठगांठ न कर बैठें जो देश के लिये अहितकर और घातक सिद्ध हो और ऐसी स्थिति न आने देने के लिये स्वर्गीय सरदार पटेल ने, जिनके हाथ में रियासती विभाग की बागडोर थी सारे देशी राजाओं को एक जगह पर इकट्ठा किया। उस समय अजमेर की मांग थी

कि हमको राजस्थान में मिला दिया जाय और इसके लिये रेजूलेशंस (संकल्प) पास किये गये और इसके लिये प्राविंशयल कांग्रेस कमेटी (प्रांतीय कांग्रेस समिति) और दूसरे राजनैतिक सम्मेलनों के द्वारा इसकी मांग की गई और सब ने मांग की कि हमको तुरन्त राजस्थान में मिला देना चाहिये। राजस्थान प्राविन्शयल कांग्रेस कमेटी जो उदयपुर हाउस दिल्ली में बैठी थी, उसमें १०० में से ८० आदमियों ने अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने के हक में वोट दिया। अजमेर के ६ लाख निवासियों की ओर से उसको राजस्थान में मिलाने की मांग की गई लेकिन उस समय सरदार पटेल ने ऐसा करना देश के बड़े हित में उपयुक्त न समझा और अजमेर को राजस्थान में नहीं मिलाया गया और किया यह गया कि राजस्थान के लिये एक महाराजप्रमुख बना दिया गया, यहां पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि राजस्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी महाराजप्रमुख नहीं बनाया गया। उदयपुर के महाराज को महाराजप्रमुख बना दिया गया और जयपुर के राजा को राजप्रमुख बनाया गया और जयपुर का चीफ मिनिस्टर बनाया गया और जयपुर को राजधानी। राजस्थान बनने के वक्त अजमेर के लोगों ने चाहा था कि उनको राजस्थान में मिला दिया जाय ताकि जो हमारी सही जगह है वह हमें राजस्थान पिक्चर (चित्र) में प्राप्त हो जाय लेकिन उस समय अजमेर को राजस्थान से अलग रखा गया। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय तो अजमेर राजस्थान के बीचोबीच में स्थित है और उसके अलावा राजस्थान की कोई दूसरी राजधानी बन ही नहीं सकती, लेकिन खैर उस वक्त अजमेर को अलग ही रखना मुनासिब समझा गया। उस वक्त जो एक स्पेशल कमेटी बैठी थी उसने प्राविजनली (अस्थायी रूप से) जयपुर को कैपीटल (राजधानी) माना है, मैं समझता हूं कि आज जब अजमेर को राजस्थान में शामिल किया जा रहा है तो राजस्थान के नक्शे में जो उसकी मुनासिब और सही जगह होनी चाहिये, वह भारत सरकार को देनी चाहिये। उस वक्त हमको भारत सरकार ने राजस्थान में मिलने से रोका, आज इस बात का अवसर है कि उस समय जो सारे राजस्थान के लोग चाहते थे कि अजमेर राजस्थान में मिलाया जाय और वही उसकी राजधानी बने, तो आज वह काम करना चाहिये और उसको राजधानी बनाना चाहिये। आज जब आप अजमेर को राजस्थान में मिलाने जा रहे हैं तो जैसी कि सारे राजस्थान की मांग थी, अजमेर को राजस्थान में उसका सही स्थान दिलवायें और ऐसा करना कोई नई बात नहीं होगी बल्कि जो चीज उसको आज से पांच साल पहले मिलने वाली थी, वह आज आप दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना भारत सरकार की और इस संसद् के सदस्यगणों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अजमेर को राजस्थान के नक्शे में उसकी सही जगह मिलनी चाहिये। हमें पंत जी और कांग्रेस सरकार से उम्मीद है कि वे हमारे साथ पूरी तरह न्याय करेंगे और आज जो वह हमको राजस्थान में मिलने का हुक्म दे रहे हैं तो वह तो हमें मानना ही है लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर है कि ६ लाख आदमियों का ख्याल किया जायगा जो कि डेढ़ करोड़ आदमियों के साथ मिलने जा रहे हैं। अक्सरियत के लिये सरकार को देखना होगा कि कहीं वह जो अल्पमत में हैं उन पर गलबा (प्रभुत्व) हासिल न कर लें। डेढ़ करोड़ की आबादी के राजस्थान में ६ लाख आबादी वाले अजमेर की जनता राजनैतिक माइनारिटी (अल्प संख्यक) में है।

मैं और अधिक न कह कर सिर्फ इतना पंत जी और कांग्रेस के कर्णधारों से अपील करूंगा कि वे अजमेर के ६ लाख निवासियों का हित अपने ध्यान में रखें और आज जो उनको राजस्थान में मिलाने का हुक्म दिया जा रहा है और जिसको कि अजमेर निवासी बजा ला रहे हैं, उसमें यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि अजमेर को राजस्थान की पिक्चर में उसकी सही जगह दिलाई जाय।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : हमारे देश के नेताओं ने पंजाब का जो एक इतना कठिन मसला दर पेश था उसका एक ऐसा हल निकाला है जिससे पंजाब के करीब ८० प्रतिशत: आदमी

[चौ० रणवीर सिंह]

जिनके कि पास कोई अखबार नहीं, जो बोलना नहीं जानते और जो अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सकते हैं और जो अपनी मांग और आवाज नेताओं के कानों तक नहीं पहुंचा सकते थे, आज वह इस समस्या के हल हो जाने से खुश हैं। हमारे लुधियाना, अमृतसर और जालन्धर के कई एक दोस्त यह समझते हैं कि शायद यह जो पंजाब की समस्या का हल निकाला गया है, इससे सिक्खों को कुछ मिल गया है। अगर कुछ मिलने के सवाल के ऊपर गौर किया जाय तो सभापति महोदय, जैसा कि आप को भी मालूम है, अगर किसी को मिला है तो वह हरियाने और कांगड़ा के ५०,६० लाख लोग हैं जिनकी कि ओर आज तक पंजाब सरकार ने देखा भी नहीं था, उनको कुछ मिला है। आपको मालूम ही है कि जहां तक हमारी इक्तसादी और आर्थिक तरक्की करने का ताल्लुक था, किसी भी जालंधर डिवीजन के आदमी ने हमारी तरफ, चाहे वह हिन्दू हो या सिख हो, कभी देखने की कोशिश नहीं की।

सभापति महोदय, आपको पता ही है कि यह भाखरा डाम जिसका कि आज दुनिया के अन्दर बड़ा शोर है मैं पूछना चाहता हूं कि यह शुरू में जो भाखरा डाम की स्कीम थी, यह किन की भलाई के लिये निकाली गई थी और आज उसकी क्या शक्ल है ? क्या यह सत्य नहीं है कि यह तमाम का तमाम पानी हरियाना इलाके को देने के लिये इस स्कीम का जन्म हुआ था ? लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसका करीब आधा पानी हरियाना इलाके से बाहर जायगा। आखिर इसका कारण क्या है ? इसका कारण साफ यह मालूम पड़ता है कि चूंकि हमारे इलाके के लोग सदा से दबे रहे हैं और उनकी कभी कोई आवाज नहीं थी और उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था, इसलिये यह चीज की गई।

हमारा इलाका पंत जी और कांग्रेस लीडरशिप का हमेशा मशकूर रहेगा जिन्होंने कि हम दबे हुये आदमियों को उनके जायज हकूक (उचित अधिकार) दिलाये हैं। आज हम देखते हैं कि देश के अन्दर जनसंघी और कुछ भाई ऐसे हैं जो हमेशा हिन्दू राष्ट्रवाद और हिन्दुओं के नाम पर अपील करना चाहते हैं और जैसा कि उनका स्वभाव और तरीका है, हिन्दूवाद का नारा लगाते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि हम हरियाने के हैं क्या हम लोग हिन्दू नहीं हैं और अगर वे हमें हिन्दू मानते हैं तो फिर क्यों व्यर्थ में हिन्दुओं के नाम की दुहाई दे रहे हैं ?

अभी लाला अचिन्त राम ने बतलाया कि हिसार के १ लाख और कुल पंजाब के ५० लाख आदमी ऐसे हैं जिनको कि कुछ गिला है और शक है। हमारे अम्बाला रीजन (क्षेत्र) के इलाके की आबादी ५१ लाख है, १० लाख की आबादी कांगड़ा जिले की है जो कुल मिलाकर ६१ लाख की बनती है और ६० लाख के करीब सिक्ख हैं, तो इन १२० लाख में से कितने आदमी ऐसे हैं जो आज अपने आपको प्रसन्न समझते हैं ? सभापति महोदय आज हालत बिलकुल साफ है कि सिवाय कम्युनलिस्ट्स (साम्प्रदाइयों) के आज कोई आदमी अप्रसन्न नहीं हैं और, अप्रसन्न आखिर क्यों हो क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा था ऐसा तो कोई अख्तियार किसी को दिया नहीं गया है कि उसके ऊपर या उसकी ताकत के ऊपर कोई लगाम न हो क्या आज यह सत्य नहीं है कि पंजाब के सब से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट (उद्योगपति) ने जब रुपया लगाने की बात सोची तो उसने जा कर पेप्सू में अपना रुपया लगाया जहां पर कि ज्यादातर सिखों की आबादी थी ? उसने पंजाब में अपना रुपया लगाने की कोशिश नहीं की। इतिहास इस बात की शहादत है कि पिछले आठ या नौ सालों में जो हिन्दू इंडस्ट्रियलिस्ट (उद्योगपति) थे उन्होंने पंजाब के बजाय पेप्सू में ज्यादा रुपया लगाया। आज जो रीजनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद्) बन रही है उसको पेप्सू के बराबर भी अख्त्यार नहीं हैं। पेप्सू की सरकार को, 'बी' क्लास स्टेट होने के बावजूद, रीजनल कौंसिल से ज्यादा अख्त्यार था। लेकिन अगर कभी वहां पर कोई खराबी आई तो हमारे देश की केन्द्रीय सरकार ने उसको बहुत मजबूती से रोका। जब भी कोई खतरा वहां आया, यहां की सरकार को जैसा ऐक्शन (कार्यवाही) लेना चाहिये था

वह जायज ऐक्शन उसने लिया । जब यह बात है तो जालन्धर, अमृतसर और लुधियाना के हिन्दू भाई आज क्यों इस बात से घबरायें ? अभी चन्द दिन हुये लाला अचिन्त राम जी भी वहां थे, शायद दो या तीन दिन की बात है, भूमिदान के लिये एक मीटिंग हुई लुधियाने के अन्दर जो किसी पार्टी की मीटिंग नहीं थी, इसी तरह से जालन्धर के अन्दर महाबीर जयन्ती मनाई गई, भगवान महाबीर की जयन्ती किसी पार्टी की जयन्ती नहीं थी । लेकिन इस के बावजूद कुछ आदमियों ने शेवा (धंधा) बना रखा है कि इस तरह की चीजों में गड़बड़ी पैदा करें । उस भूमिदान की मीटिंग के अन्दर एक आदमी को लाया गया.जिसके एक थप्पड़ भी नहीं लगा था, जिसको कोई चोट नहीं लगी थी, जो कि अपने पैर चल कर आया था । अचानक उस को मीटिंग के अन्दर डाल दिया गया और यह नारा लगाया गया कि उसको जान से मार दिया गया । इस तरह का प्रोवोकेशन (उत्तेजना) वहां पर दिया गया । हमारे सोचने की यह बात है कि क्या इस तरह से प्रोवोकेशन पैदा करने वाले आदमियों से डर कर हमें राजकाज चलाना है ? अगर दरअसल किसी आदमी को कोई चोट लगती या कोई नुकसान होता तो हमारा फर्ज था उसको बचाने का, लेकिन एक आदमी जिसका कोई नुकसान न हुआ हो, उस के लिये कहा जाय कि जान से मार दिया और इस तरह से गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जाय तो यह हमारे लिये गम्भीरता से सोचने की बात है । इस तरह के कम्यूनलिस्टों से डर कर हम आगे नहीं चल सकते ।

सभापति महोदय : आप का समय खत्म हो गया ।

चौ० रणवीर सिंह : चूंकि मेरा समय खत्म हो रहा है, इसलिये मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं । दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि दिल्ली का जो भविष्य बनने जा रहा है उसके अनुसार उसके अन्दर तीन सौ देहात होंगे । जब उनकी कोई ऐसेम्बली (सभा) नहीं होगी, और एक कारपोरेशन (निगम) ही यहां बनेगा, तो आप जानते ही हैं कि उस कारपोरेशन के अन्दर उनकी क्या आवाज होगी ? कारपोरेशन सिस्टम (निगम पद्धति) में उनके आर्थिक हितों का क्या ख्याल किया जायेगा यह भी सोचा जा सकता है । कुछ दिन की बात है, बड़े-बड़े साहूकारों ने मकान बनाने के लिये जमीनें लीं, बड़े-बड़े जमींदारों ने बड़ी-बड़ी जमीनों की मिल्कियतें नहीं, बल्कि एक-एक एकड़ और दो-दो एकड़ की मिल्कियत के मालिकों की जमीनें लीं । लेकिन वह जमीनें उस भाव पर नहीं ली गईं जो कि बराबर की जमीनों की कीमत थी । आप जानते ही हैं कि सरकारी अफसर जितने हैं उनके अन्दर बहुत बड़ी तादाद ऐसे आदमियों की है जो जमीन से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, जो कि जमीन पर खेती करने वाले लोगों की मुश्किलात को समझते नहीं हैं । जमीन कोई मिल्कियत की चीज नहीं है, यह किसान को पेशा देती है । कारपोरेशन के अन्दर कोई आदमी इस बात को नहीं सोचता है कि अगर वह किसानों की जमीन को लेंगे तो उनका पेशा छीनेंगे । इसलिय मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर इस बिल के मुताबिक दिल्ली की ऐसेम्बली तोड़ी जाय, और जो दिल्ली के ढाई, तीन सौ देहात हैं उनमें से ज्यादा से ज्यादा देहात यू० पी० या पंजाब को दिये जा सकें तो वे जरूर उनको दे दिये जायें ।

†**श्री रिशांग किशिंग** (बाह्य मनीपुर — रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : श्री एस० के० पाटिल ने समाजवादी दल में जो विरोधी संकल्पों के फलस्वरूप कुछ सदस्यों के पद त्याग की बात कही वह उनकी सर्वथा भूल है ।

बम्बई में जो हमारे राष्ट्रजन आत्माभिव्यक्ति के अधिकार के प्रयोग में मारे गये, यह विधेयक उनके रक्त से सिक्त है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रिशांग किशिंग]

बम्बई सरकार का श्वेत-पत्र साक्षी है कि ५०० बार गोली चलाई गई, २,७०० गोलियां चलीं, २७८ व्यक्ति जख्मी हुए और ७२ व्यक्ति मारे गये।

महाराष्ट्रियों और बम्बई सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मेरा विचार है कि एक न्यायिक जांच द्वारा पीड़ितों को सान्त्वना देनी चाहिये।

मैं अनुभव करता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषा की दृष्टि से बम्बई महाराष्ट्र का है। यदि सरकार की यह सिफारिश है कि बम्बई केन्द्र द्वारा प्रशासित रहे तो सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। उन्हें लोगों की आवाज का ध्यान रखना चाहिये। निगम ने बम्बई का महाराष्ट्र के साथ संविलय की सिफारिश की थी। बम्बई विधान-सभा के कई सदस्यों ने पद त्याग किया और इसी प्रश्न को लेकर वे पुनः निर्वाचित हुये। ४,००० सत्याग्राही जेल पहुंच चुके हैं। इस बात पर सारी महाराष्ट्र जाति जेल जाने के लिये तैयार हैं। यदि कोई महाराष्ट्री नेता सरकार से सौदा कर रहा है तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्री इसे सहन नहीं करेंगे।

भारत सरकार, मनीपुर और त्रिपुरा के लोगों को लोकतन्त्रीय अधिकार क्यों नहीं देती जब कि वे लोग इन राज्यों के एकीकरण के पश्चात् से लोकतन्त्रीय अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे हैं। जब सरकार गांवों को भी यह अधिकार दे रही है तो मनीपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश को ये अधिकार क्यों नहीं दिये जा सकते। मैं सभा, प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि सारे भारत में सर्वप्रथम लोकतन्त्रात्मक तन्त्र मनीपुर राज्य में स्थापित किया गया था। वहां की संस्कृति अपूर्व है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मनीपुर राजनैतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है।

कहा जाता है कि ये राज्य घाटे के राज्य हैं। मैं सभा को याद दिला दूं कि यह सरकार विदेशी सहायता स्वीकार कर रही है तो क्या वह यह नहीं कहती कि इस पर राजनैतिक बंधन नहीं होने चाहिये। परन्तु जब सरकार अपने ही दरिद्र देशवासियों को वित्तीय सहायता देती है तो वह सभी प्रकार के राजनैतिक बंधन डालना चाहती है। यह बहुत अन्याय है। हमारे गृह-कार्य मंत्री बड़े लोकतन्त्रवादी हैं और हम आशा करते हैं कि वे हमें लोकतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था प्रदान करेंगे।

बंगाल और बिहार के संविलय की बात जाने दीजिये। दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री अब अपनी बात से फिर रहे हैं। वे खुल्लमखुल्ला नहीं कहना चाहते कि उन्होंने गलती की थी।

सीमा सम्बन्धी विवाद जन मत संग्रह द्वारा निबटाये जाने चाहियें और उसके लिये एक गांव को एकक के रूप में स्वीकार करना चाहिये।

श्री बंसीलाल : सभापति महोदय, अभी कुछ देर पहले मेरे मित्र ज्वाला प्रसाद जी ने अजमेर के बारे में कुछ कहा और उसका इतिहास बताया कि किस प्रकार अजमेर जब राजस्थान बना तो उसमें सम्मिलित नहीं हुआ और अब जब कि अजमेर राजस्थान में मिल रहा है, तो अजमेर को ही राजस्थान की राजधानी बनाया जाना चाहिये। जिस समय राज्य पुनर्गठन के मसले पर वाद-विवाद समाप्त हुआ था उस समय आदरणीय गृह मंत्री जी ने अजमेर के सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किया था कि अजमेर राजस्थान में मिल रहा है और जो कुछ उसके लिये हो सकेगा, किया जायगा और उनकी इस बात से एक ऐसा वातावरण राजस्थान में और अजमेर में बना कि दोनों को ही संतोष हुआ। अब जब कि अजमेर को राजस्थान में मिलाने की बात लगभग तय हो गई है उस समय कोई भी इस प्रकार की मांग का पेश किया जाना जिस से मिलने से पहले जो वातावरण पैदा होना चाहिये उसमें कुछ बिगाड़ पैदा हो,

किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता । मेरे मित्र अजमेर के प्रतिनिधि ने अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने के बारे में जो दलीलें पेश कीं और इस सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, उसके सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इसका कारण यह है कि जयपुर में काफी बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स (भवन) बन चुकी हैं और करोड़ों रुपया वहां पर खर्च किया जा चुका है । इसके मुकाबले में न तो अजमेर में कोई मकान ही हैं और न ही वहां पर पीने के लिये पानी की कोई व्यवस्था है । मगर इसका यह अर्थ नहीं कि राजस्थान के लोग अजमेर की उन्नति नहीं चाहते । मेरा कहना तो केवल इतना है कि क्योंकि अजमेर का राजस्थान में मिलना निश्चित है, इस वास्ते कोई भी इस प्रकार की मांग करके वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए ।

मैं सखेद यह बात देखता हूं कि राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में हमारे नेताओं ने एक योजना देश के सामने रखी है और हमारे देश का नक्शा बदलने की कोशिश की है और ऐसी सूरत में हम कांग्रेसजनों का यह कर्त्तव्य था कि हम जनता को उसके लिये तैयार करते, जो कि हमने नहीं किया । हमारे देश की अधिकतर जनता जहां इस राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो सरकारी योजना है उसका साथ देने के लिये तैयार थी वहां हम कांग्रेसजनों ने इस फिजा को बिगाड़ने में काफी योग दिया है और उसको भड़काने का प्रयत्न किया है । जो हमारी जिम्मेदारी थी उसे हमें स्वीकार करना चाहिये था ।

मैं यह भी देखता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जो कि सिलैक्ट कमिटी (प्रवर समिति) के सुपुर्द किया जा रहा है, काफी उत्तेजनापूर्ण वातावरण यहां पर भी पाया जाता है । मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उत्तेजनापूर्ण भाषण यहां किये जाते हैं, उनका काफी असर बाहर देश के लोगों के ऊपर पड़ता है । यह चीज उस पार्टी के लिये जिस के कंधों पर शासन चलाने की जिम्मेदारी है, शोभा नहीं देती है । बम्बई के मामले को लेकर तथा दूसरी समस्याओं को लेकर जिस प्रकार के उत्तेजनात्मक भाषण होते हैं उससे दूसरी जगहों पर जहां पर कि अच्छा काम हो रहा है, जो लोग लालायित हैं तमाम रियासतों को दूसरा चित्र देने के लिये, उनके दिल में भी फर्क आ जाता है । मैं ज्यादा समय न लेकर यह कहना चाहता हूं कि जो भी समस्यायें हमारे सामने हैं और जो बीमारी हमारे समक्ष उपस्थित है, उसका एक मात्र हल यह है कि देश में एकतंत्र, एक इकाई शासन की स्थापना करना । आगे या पीछे एक न एक दिन आपको एक इकाई शासन लागू करना ही होगा । मैं समझता हूं कि आज देश का वातावरण इसके अनुकूल है और लोग इसके लिये तैयार हैं । मेरा यह पक्का विश्वास है कि आज अगर देश के लोगों का इसके बारे में मत लिया जाय तो अधिकांश लोग, कम से कम ६० से लेकर ७० प्रतिशत लोग, या इससे भी अधिक, इसके पक्ष में अपना मत देंगे और कहेंगे कि इस देश में एक इकाई शासन कायम होना चाहिये । अगर आज हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार से हमारे नेताओं का जनता के ऊपर प्रभाव है, और जिस तरह का सारे देश में वातावरण है उसका उपयोग करके देश के अन्दर एक इकाई शासन की स्थापना के लिये कदम उठाये जाते हैं तो मैं समझता हूं हमारी तमाम की तमाम समस्यायें हल हो जायेंगी । ऐसा करने से बम्बई की, दिल्ली की तथा और जो भी दूसरी समस्यायें हैं, वे सब हल हो जायेंगी । बाकी जिस तरह से बम्बई के प्रश्न को लेकर तथा दूसरे प्रान्तों के प्रश्नों को लेकर हमारे देश के अन्दर वातावरण बना है वह कोई अच्छी बात नहीं है ।

जहां तक अजमेर का प्रश्न है मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि इसको राजधानी बनाने का सवाल पैदा नहीं होता और राजस्थान के लोग अजमेर की जनता का स्वागत करने के लिये तैयार हैं । वे चाहते हैं कि अजमेर राजस्थान में मिले और जो पुराना इतिहास अजमेर का रहा है उससे राजस्थान

[श्री बंसीलाल]

की जो आज हालत है उसमें सुधार हो। मगर इस प्रकार की मांग करने से कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाये, न जयपुर का भला होने वाला है और न ही अजमेर का भला होने वाला है ।

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** (आंतरिक मनीपुर) : वर्तमान विधेयक, जहां तक इसका सम्बन्ध केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों से है, इस सभा में पुरःस्थापित किये गये विधेयकों में सब से निकृष्ट है। अब तक यह क्षेत्र भाग 'ग' राज्य कहलाते थे और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में शासन की लोकतन्त्रीय व्यवस्था थी। इस विधेयक से वह समाप्त हो गई है और उन्हें अन्दमान के समकक्ष लाया गया है। भाग 'ग' राज्यों का शासन संविधान के अनुच्छेद २४० के अनुसार होता है। इसके अनुसार वहां पर विधान मंडल मंत्रणादाता या मंत्रियों की परिषद् बनाई जाती है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वर्तमान विधेयक के अनुसार दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के राज्यों को भाग 'घ' राज्य बना दिया गया है और वे अनुच्छेद २४३ द्वारा प्रशासित होंगे और वे मुख्यायुक्त अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किये जायेंगे। इन राज्यों में लोकतन्त्रीय शासन नहीं रहेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग पर वाद-विवाद के समय माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मनीपुर और त्रिपुरा के लोगों को अपने क्षेत्र के प्रशासन में सहयोग दिया जायेगा। वहां के लोग इसके लिये वर्षों से मांग कर रहे हैं। अतएव वहां पर निर्वाचित विधान मंडल बनाया जाना चाहिये ।

हम चाहते हैं कि "केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों" के स्थान पर "केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य" शब्द रखे जायें। पहले नाम से कुछ हीनता का भाव प्रकट होता है। मनीपुर और त्रिपुरा के लिये शासन का रूप निर्धारित करते समय आपको स्विटज़रलैंड, अमरीका और रूस के लोकतन्त्रीय शासन की ओर ध्यान देना चाहिये। स्विटज़रलैंड में केन्टनों को पूरा लोकतन्त्रीय शासन दिया गया है। रूस में करेल नामक क्षेत्र को जिस की जनसंख्या त्रिपुरा अथवा मनीपुर से कम है, एक गणतन्त्र माना गया है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि संविधान के भाग ८ का प्रस्तावित संशोधन न किया जाये ।

मनीपुर राज्य कांग्रेस समिति ने एक संकल्प पारित कर यह मांग की है कि वहां पर उत्तरदायी सरकार बनाई जाये अर्थात् वहां पर विधान-मंडल और मंत्रिपरिषद् भी हो। उस समिति ने मनीपुर सम्बन्धी राज्य पुनर्गठन विधेयक के उपबन्धों पर भी खेद प्रकट किया है ।

हम पूर्ण उत्तरदायी सरकार की मांग नहीं करते। हम केवल निर्वाचित विधान-मंडल और मंत्रियों की मांग करते हैं। हम क्षेत्र शब्द का भी विरोध करते हैं। उसे केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य कहना चाहिये।

†**श्री विमला प्रसाद चालिहा** (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि हमने स्थिति की यथार्थता को देखते हुए अपने अनुभव के आधार पर प्रादेशिक परिषदों की स्थापना का विचार किया है ।

भारतीय एकता के लिये भाषावार राज्य की भावना बड़ी घातक है, इसे एक न एक दिन समाप्त करना होगा। यह केवल विधान बनाने के द्वारा दूर नहीं होगी, इस के लिये तो दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी भावी सन्तान हमारी इन लड़ाइयों और झगड़ों को पढ़कर हमें मूर्ख समझेगी इसलिये हमें भारत का एकीकरण करने के लिये उचित कार्रवाई करनी चाहिये। प्रादेशिक परिषद्

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में और जनता के बीच उचित सद्भावना पैदा कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त और भी कदम उठाने पड़ेंगे, परन्तु यह भी बहुत अच्छा कदम है। इसे ठीक अर्थों में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

यद्यपि इन परिषदों का व्यापक कार्य क्षेत्र है तथापि इनके लिये विधेयक में कुछ विशेष उपबन्ध किये गये हैं। ये परिषद् राज्य पुनर्गठन से उत्पन्न होने वाले मामलों, अर्थात् सीमा सम्बन्धी झगड़ों, भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को और अन्तर्राज्य परिवहन के बारे में सिफारिश कर सकेंगी और सामान्य हित और लाभ तथा सामाजिक योजना के क्षेत्र में सिफारिश करेंगी। इन परिषदों में चर्चा के द्वारा सद्भावना उत्पन्न होगी और एकता की भावना आयेगी। परन्तु खण्ड १७ (४) में मतदान का जो उपबन्ध है, उससे इस सद्भावना और सहयोग के नष्ट होने की आशंका है। इस प्रकार के गठबन्धनों के द्वारा कुछ राज्यों में झगड़े होने का डर है और हमने जो आशायें बांधी हैं, उनके नष्ट होने की आशंका है। इसलिये मतदान का यह उपबन्ध निकाल दिया जाना चाहिये। एकता की भावना लाने के लिये ही परिषद् बनाई गई हैं और इनका काम परामर्श देना होगा। इसलिये इन परिषदों के केवल वही परामर्श मान्य होने चाहिये जिनके बारे में एकमत हो। और जहां एकमत न हो, वह मामला पुनः पुनः उठाया जाना चाहिये। यदि उनके प्रस्तावों में सत्य और युक्तियुक्तता होगी तो निश्चय ही सब लोग सहमत होंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रादेशिक परिषदों के बारे में मतदान का उपबन्ध हटा दिया जाना चाहिये। मैं इसके लिये सरकार से और संयुक्त समिति से अपील करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : गृह-कार्य मंत्री कल उत्तर देंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव २६९९–२७००

अध्यक्ष ने एक स्थगन प्रस्ताव, जो २४ अप्रैल, १९५६ को नई दिल्ली में संयुक्त महाराष्ट्र के कुछ समर्थक प्रदर्शनकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के बारे में था और जिसकी पूर्व सूचना श्री साधन चन्द्र गुप्त तथा श्री के० आनन्द नम्बियार ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ... २७०१

इक्यावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

नियम समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २७०८

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने का प्रस्ताव ... २७०१–०७, २७०८–४७

संयुक्त समिति को राज्य पुनर्गठन विधेयक सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर विचार । संयुक्त समिति को राज्य पुनर्गठन विधेयक सौंपने के प्रस्ताव पर तथा संयुक्त समिति को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

M123LSD—190—14-12-57—GIPF